

C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol.XVII, Eighth Session, 2011/1933 (Saka)
No.9, Thursday, August 11, 2011/ Sravana 20, 1933(Saka)**

| <u>S U B J E C T</u> | <u>P A G E S</u> |
|---|------------------|
| REFERENCE BY THE SPEAKER | 2 |
| Homage to martyrdom of Shaheed Khudiram Bose | |
| SUBMISSION BY MEMBERS | 3-6 |
| Re : Need for Caste-based census alongwith population census in the country | |
| ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| *Starred Question Nos.161 to 164 | 7 to 39 |
| WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | |
| Starred Question Nos.165 to 180 | 40 to 93 |
| Unstarred Question Nos.1841 to 2070 | 94 to 551 |

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| | |
|--|----------------|
| PAPERS LAID ON THE TABLE | 552-562 |
| PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE 35th to 39th Reports | 563 |
| COMMITTEE ON MEMBER OF PARLIAMENT LOCAL AREA DEVELOPMENT SCHEME (MPLADS) 4th Report | 564 |
| STANDING COMMITTEE ON COMMERCE 98th Report | 564 |
| STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 168th to 170th Reports | 565 |
| BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 28th Report | 565 |
| STATEMENTS BY MINISTERS | |
| (i) Status of implementation of the recommendations contained in the 7 th and 12 th reports of Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2009-10 and 2010-11, respectively), pertaining to the Ministry of Minority Affairs. | 566 |
| Shri Salman Khursheed | |
| (ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 214 th Report of Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology | 567 |
| Shri Ashwani Kumar | |
| MATTERS UNDER RULE 377 | 593-606 |
| (i) Need to ensure proper utilization of funds under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Uttar Pradesh particularly in Sultanpur Parliamentary Constituency | |
| Dr. Sanjay Singh | 593 |

- (ii) Need to grant a special package for all round development of the Mundrothruthu Island in Kollam district of Kerala
- Shri Kodikunnil Suresh 594
- (iii) Need to ensure proper implementation of Mid Day Meal Scheme in Pratapgarh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
- Rajkumari Ratna Singh 595
- (iv) Need to undertake safety measures inside the rail coaches to minimize deaths or injuries during train accidents
- Dr. Mahesh Joshi 596
- (v) Need to expedite gauge conversion work of railway line between Dindigul and Palani towns in Tamil Nadu
- Shri N.S.V. Chitthan 597
- (vi) Need to include frost and cold waves in the list of natural calamities eligible for relief under Calamity Relief Fund
- Shri Harish Choudhary 598
- (vii) Need to release funds for construction of underground drainage scheme and storm water drainage scheme in Vizianagaram district in Andhra Pradesh.
- Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi 599
- (viii) Need to fix a remunerative price for cotton in Maharashtra
- Shri Rao Saheb Patil Danve 600

- (ix) Need to take adequate safety measures with regard to construction of dams in North East region keeping in view the location of Assam in sensitive and seismological area
- Shri Ramen Deka
- 601
- (x) Need to develop the Khirkiya Railway Station in Betul Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh and provide stoppage to more trains at the railway station
- Shrimati Jyoti Dhurve
- 602
- (xi) Need to develop Surat Airport and provide better air-connectivity to Surat with all the major cities of the country
- Shrimati Darshana Vikram Jardosh
- 603
- (xii) Need to construct a Over Bridge at railway level crossing under Sandila-Bilhaur-Kachhona Municipality in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh
- Shri Ashok Kumar Rawat
- 604
- (xiii) Need to establish a medical institute in Anantnag, Jammu & Kashmir on the lines of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi
- Dr. Mehboob Beg
- 605
- (xiv) Need to provide safe drinking water in Balurghat Parliamentary Constituency, West Bengal
- Shri Prasanta Kumar Majumdar
- 606
- STATE BANK OF INDIA (SUBSIDIARY BANKS LAWS) AMENDMENT BILL, 2009**
- 607-678**
- Motion to Consider
- 607
- Shri Nishikant Dubey
- 607-615

| | |
|---|----------------|
| Dr. K.S. Rao | 616-626 |
| Shri Shailendra Kumar | 627-628 |
| Shri Gorakhnath Pandey | 629-631 |
| Shri Mangani Lal Mandal | 632-635 |
| Shri A. Sampath | 636-641 |
| Shri Bhartruhari Mahtab | 642-645 |
| Shri Prabodh Panda | 646-648 |
| Dr. Raghuvansh Prasad Singh | 649-652 |
| Shri S. Semmalai | 653-654 |
| Shri Prasanta Kumar Majumdar | 655-657 |
| Shri Narahari Mahato | 658-659 |
| Shri S.S. Ramasubbu | 660-662 |
| Shri Namu Narain Meena | 663-669 |
| Clauses 2 to 10 and 1 | 670-678 |
| Motion to pass | 678 |
| TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS (AMENDMENT) BILL, 2009 | 679-725 |
| Motion to consider | 679 |
| Shri Ghulam Nabi Azad | 679-683 |
| Shri Arjun Ram Meghwal | 684-690 |
| Dr. Jyoti Mirdha | 691-696 |
| Shri Shailendra Kumar | 697-699 |
| Shri Ramashankar Rajbhar | 700-701 |
| Shri Vishwa Mohan Kumar | 702 |
| Dr Ratna De | 703-705 |
| Shri S. R. Jeyadurai | 706-707 |
| Shri Anup Kumar Saha | 708-709 |
| Shri Bhartruhari Mahtab | 710-712 |

| | |
|---------------------------|---------|
| Shri Anant Gangaram Geete | 713-714 |
| Dr. P. Venugopal | 715-719 |
| Shri Jagada Nand Singh | 720-723 |
| Shri Prabodh Panda | 724-725 |

ANNEXURE – I

| | |
|--|---------|
| Member-wise Index to Starred Questions | 737 |
| Member-wise Index to Unstarred Questions | 738-743 |

ANNEXURE – II

| | |
|--|---------|
| Ministry-wise Index to Starred Questions | 744 |
| Ministry-wise Index to Unstarred Questions | 745-746 |

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, August 11, 2011/ Sravana 20, 1933(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

Homage to martyrdom of Shaheed Khudiram Bose

MADAM SPEAKER: Hon. Members, 103 years ago, on 11th August, 1908, Khudiram Bose attained martyrdom to liberate the nation from the shackles of colonialism and imperialism at the tender age of 18 years.

The courage, bravery and patriotism of Khudiram Bose will always be a source of inspiration to the citizens of our country.

On this occasion, let us pay our homage to Shaheed Khudiram Bose and all those martyrs who laid down their lives in the freedom struggle of the nation.

The House may now stand in silence as a mark of respect to the memory of our martyrs.

11.01 hrs.

The members then stood in silence for a short while.

11.02 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

RE: Need for Caste-based census alongwith population census in the country

अध्यक्ष महोदय : शरद यादव जी, आप बोलिए, लेकिन बहुत संक्षेप में कहिए।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं कई दिनों से नोटिस दे रहा था, इस सदन में बहुत लम्बी बहस हुई है, हम सब लोगों ने जाति जनगणना का मामला पूरे सदन ने आम राय से स्वीकार किया था। लेकिन अभी जो किया जा रहा है, यदि इसको हेड काउण्ट में भी रख देते, तो यह सब हो सकता था, इतना ज्यादा पैसा खर्च करके, हैण्डसेट के साथ और अब इसके तीन हिस्से कर दिए। यह कह दिया कि एक, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, फिर दूसरा करेगी रूरल डेवलपमेंट, फिर करेगी अर्बन डेवलपमेंट। अध्यक्ष जी, एक तरह से यह काम कभी होने वाला नहीं है। अफसोस है कि इस देश में आप पेड़, जानवर, पहाड़ आदि सभी का संख्या गिन लेते हैं, हम लोग इतने दिन से कह रहे हैं, पूरी आम राय से - भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक के लोगों ने - सभी ने आम सहमति से इसे स्वीकार किया, लेकिन अब इसके तीन हिस्से कर दिए गए हैं। बिलो पावर्टी लोगों को उसमें डालने की बात कही गयी है। बिलो पावर्टी लोगों के लिए कमीशन बनाइए, वह कंट्रोलर्सियल मामला है, वह कहीं भी सिरे नहीं चढ़ेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रणब बाबू यहां बैठे हैं, यह सेंशस कमीशनर का काम है, उसे ही इसे करना चाहिए। आपने, सोनिया जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार हम लोगों को इस बारे में कहा है, हम लोग विश्वास में थे, लेकिन इस तरह से इसके खण्ड-खण्ड करके यह कभी होने वाला नहीं है क्योंकि कहीं चुनाव आ जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगा, कहीं कुछ और हो जाएगा, इसलिए मेरी विनती है कि यह मामला बहुत गंभीर है।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदय, यह भी खबर है कि कैबिनेट में भी जातीय आधार पर जनगणना हो, यह सवाल आया था, यह सही है कि कैबिनेट में भी कुछ लोगों को इस पर एतराज था, लेकिन कैबिनेट ने यह स्वीकार किया कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। जब आरक्षण हुआ है, तो वह जातिवार हुआ है, फिर इसमें दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर इसके बारे में आश्वासन दे दिया है कि हम जातीय आधार पर जनगणना करेंगे। उसके बाद हमने नेता, सदन से मिलकर प्रार्थना की थी। नेता, सदन भी इस पर सहमत हो गए थे, फिर अब बीच में क्या वजह हो गयी?

जब नेता सदन और प्रधान मंत्री जी यह बात कह दें तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस पार्टी में भी किसी का विरोध हो सकता है। यह मामला कहां अटका हुआ है और क्यों अटका हुआ है, यह बात हम सदन के अंदर नेता सदन से जानना चाहते हैं? आप इस पक्ष में हो गए थे, आपका हमने विश्वास किया।



श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड) : अध्यक्ष महोदया, 1939 के बाद कास्ट सेंसस नहीं हुआ। यहां संसद में एक राय हुई थी कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। जनगणना का काम सेंसस कमिश्नर करता है। यह वादा किया गया था। उसके बाद हम सदन के नेता से मिले थे। उन्होंने कहा था कि सभी पार्टीज से लिखित रूप में मांगेंगे। सभी दलों ने लिखित रूप से सरकार को अपनी राय दी थी। उसके बाद कास्ट सेंसस करने का फैसला हुआ। लेकिन आज जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें कास्ट सेंसस नहीं है। सरकार ने एक वादा किया, लेकिन एक्शन दूसरा लिया। राज्य सरकारों को सेंसस करने का कोई अधिकार नहीं है और आप उनसे सेंसस करा रहे हैं। सेंसस कमिश्नर का यह का है और आप रूरल डवलपमेंट विभाग से करा रहे हैं। यह कास्ट सेंसस नहीं है, जानबूझकर यह किया जा रहा है, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मंत्री और अधिकारी चाहते हैं, लेकिन हमें कास्ट सेंसस चाहिए और वह होनी चाहिए।...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत हो जाएं। रघुवंश बाबू शांति भंग न करें। आप बैठ जाएं, आपका भी नाम है। आपको भी मौका दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: इतना जोर से मत बोलिए

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

अध्यक्ष महोदया: रघुवंश बाबू, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Dara Singh Chauhan says.

*(Interruptions) ... **

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह जी आप आप अपनी बात कहें।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : माननीय अध्यक्ष जी, जाति इस देश की सच्चाई है और इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता। जाति जनगणना के लिए पूरी संसद में एकमत से यह राय आई कि जब इस देश में सामाजिक परिवर्तन हम लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जाति पर आधारित जनगणना जरूरी है। आपने बीपीएल की जनगणना शुरू कर दी और उसके लिए पैसा भी रिलीज कर दिया। हम उसके लिए आपको बधाई देते हैं। लेकिन जाति पर आधारित जनगणना एक सच्चाई है और इसमें यह चीज आनी चाहिए कि देश में किस वर्ग की कितनी पापुलेशन है। हम बजट में एलोकेशन करते हैं, तो वह इस आधार पर हो कि कितने अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने रिमोट एरिया में रहते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जब देश की जनता सच्चाई को जानना चाहती है और सदन के नेता तथा प्रधान मंत्री जी भी इस बात को सदन में स्वीकार कर चुके हैं तो फिर जाति पर आधारित जनगणना क्यों नहीं हो रही है? हम सब चाहते हैं कि जाति पर आधारित जनगणना होनी चाहिए।

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Madam Speaker, sometime back, the whole House adopted a resolution to go for a Caste based Census; everybody, cutting across Party line, has agreed. I do not know why the Government sheepish to enter into the Caste based Census.

This is more important. Even for budgeting, we need to know how many people belonging to which Caste are there; what is the number of people in each and every Caste, especially, the OBC. You preach for social justice, but at the same social justice is rendered only by virtue of Caste basis.

In this connection, the DMK Party is vociferous in requesting the Government to go for Caste based Census now itself. Otherwise, definitely it will not happen after some time.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, I would once again like to submit that, the hon. Members have raised this issue and as I was involved with it, the Cabinet has taken the decision that Census will take place. The hon. Shri Sharad Yadav gave to me the format as to in which format this should take place. That has also been forwarded to the authorities concerned who will be dealing with it. But I am told that there have been some problems at the implementation level. We will sort it out... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि जो लोग इस बारे में चिंतित हैं, उन्हें बुलाकर बात की जाए तो अच्छा है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Before the Session started, I went to you; I requested you. The Home Minister told me that he has said the same format which you gave to me. But you are telling me that it is not being implemented. We will look into it so that, in the same format, it is being implemented. ...

(Interruptions)

(Q. No.161)

MADAM SPEAKER: Q. 161; Shri A. Sampath.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down; nothing else will go in record.

(*Interruptions*) ... *

SHRI A. SAMPATH : Madam, since 27 years, lakhs and lakhs of people are languishing; they are run from pillar to post to get their grievances redressed. The Bhopal Gas Tragedy was one of the biggest industrial accidents in the world – if not a culpable homicide – done by a multinational corporation registered in the United States of America..... (*Interruptions*) From the reply that has been given by the hon. Minister in the House, I understand that less than 50 per cent of the total amount has been paid.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Sampath, please ask your question quickly.

... (*Interruptions*)

SHRI A. SAMPATH : I am asking the question, Madam, but, then, others are also asking some questions. I am very sorry.

MADAM SPEAKER: Now you ask.

SHRI A. SAMPATH : My question is this. The hon. Minister has given a reply that the Cabinet has approved the recommendations of the GOM in its meeting held on 24th June, 2010 and 18th November, 2010 with the modification that instead of compensation, the payment to be made to victims will be treated as ex-gratia.

The total amount that will come is Rs. 1191.25 crore. But, from the reply that has been given by the hon. Minister in this House, it seems that only 50 per cent of the total amount of ex-gratia, which has been approved by the GoM, has been disbursed now. At the same time, it has to be taken note of by the Government of India that there are lakhs and lakhs of people ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please ask your Supplementary.

* Not recorded.

SHRI A. SAMPATH : My first question is this. Madam, through you, I would like to know from the Minister, whether the Government will take immediate steps to distribute the whole amount of ex-gratia and also to consider the complaints of other people also. In 1984 the accident or the culpable homicide happened in Bhopal. It is the 27th year. The US and the multinational corporations may be celebrating its 27th Anniversary but our poor people are suffering. That is why I asked such a question.

SHRI SRIKANT JENA: Madam Speaker, as I have said in my reply, the Cabinet took a decision after a serious discussion took place in this House. An ex-gratia amount of about Rs. 740 crore was sanctioned on the basis of the estimate that was prepared. Out of that, already Rs. 519.12 crore has been disbursed. On the basis of the identification and finalization of the beneficiaries and the victims, the rest of the money will flow. The money is available with the Welfare Commissioner. They have already released Rs. 519.12 crore to the various categories, namely, death, injury of utmost severity, permanent disability, temporary disability, cancer cases (2000) and renal failure cases (1000). The total amount has been released and the beneficiaries have already got Rs. 519.12 crore. Whenever the demand comes, accordingly the money is being released.

MADAM SPEAKER: Your second Supplementary; please be very concise and to the point.

SHRI A. SAMPATH : I understand the Government of India has till date not executed the letter rogatory dated 06th July 1988 issued by the Court of Chief Judicial Magistrate, Bhopal. It has given a direction to CBI to carry out a comparative study of the safety system installed in the Union Carbide Plant at Bhopal and the Union Carbide Plant at the institute, West Virginia, USA to verify whether the UCC has adopted double safety standards.

Madam, through you, I would like to know from the hon. Minister as to whether the Government of India has taken any steps for cleaning of the toxic waste which has been dumped in and around the Union Carbide India Limited

factory which has already been taken over by the Dow Chemicals, they have to pay the price for the transportation of the chemical toxic waste back to USA. I would like to know as to whether the Government of India has taken any step to transport all these chemical hazardous waste from India to USA. The Dow Chemicals cannot escape itself from the clutches of the vicarious liabilities as they step into the shoes of the Union Carbide India Limited. That is my question.

SHRI SRIKANT JENA: Madam, there are three questions. One of them is the extradition case. On the extradition, the submission of additional materials in support of extradition of Mr. Anderson. The Ministry of Law, the CBI and the Ministry of External Affairs on the advice of the Attorney General, have sent a fresh request for extradition with additional material duly vetted by the Learned Attorney General of India to the concerned authorities of the US Government through the diplomatic channels. The other curative petitions, which was assured in this house, as per the decision of the GoM or the Cabinet, filling up curative petitions in the Supreme Court against the Judgement dated 13/09/1996. The curative petition has been filed by the CBI on 02/08/2010 and it has been dismissed by the hon. Supreme Court on 11th May, 2011. Filing of revision application in the hon. High Court against the Judgement of the Trial Court, the CBI on the advice of the Solicitor General has filed the criminal revision application in the Court of Sessions Judge, Bhopal on 23/08/2010. Filing of the appeal in the Sessions Court against the Judgement of Trial Court, the appeal has been filed by the CBI on 27/07/2010 in the Sessions Court, Bhopal, for the enhancement of punishment as well as the imposition of fine against each of the convicted persons, convicted company UCIL, Bhopal under Section 377 Cr. P.C.

So far as, the toxic waste is concerned, there was a Committee. The Committee had three meetings in the meantime. The Madhya Pradesh Government was not interested to putting it in the Pithampur incinerator. Then, again this case went to the High Court of Madhya Pradesh. Recently, the High Court of Madhya Pradesh has given a Judgement.

श्री गणेश सिंह : महोदया, मध्यप्रदेश सरकार ने पूरी रुचि दिखाई है।

SHRI SRIKANT JENA: Madam, on 28/07/2011, the Madhya Pradesh High Court has ensured a clearance to the Maharashtra Pollution Control Board that the transport of the toxic material within the territory of Maharashtra will not cause any health hazard. It has also be examined by the Maharashtra Pollution Control Board whether the disposal of the toxic waste at the DRDO site in Nagpur will not result any toxic discharge on ground, water and air. That will also not cause health hazard to the people in the vicinity. Now the material has gone there, because the DRDO's incineration is at Nagpur, and the Committee, the Environment Ministry thought that it can be incinerated there itself. Now it is up to the Maharashtra Government. After the High Court's judgment, it now depends on whether the Maharashtra Pollution Control Board will allow this or not. On that basis, the Government will take a view.

SHRI RUDRAMADHAB RAY: Madam, Bhopal Gas Tragedy is one of the worst industrial catastrophes. The Report reveals that nearly half a million people had been affected by this gas tragedy. Till now, one lakh people continue to suffer from the health problem without any medical care.

Is it not the concern of the Government to have a thorough medical check up by some research institute? Has the Government of India assured the Madhya Pradesh Government to establish a research institute there so that the health of nearly half a million affected people can be checked up and get a permanent cure for their health problem?

Secondly, I would like to know from the hon. Minister whether the Supreme Court ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please ask one question. Let him reply.

SHRI RUDRAMADHAB RAY : I would like to know from the hon. Minister whether the Supreme Court has issued any notice to Dow company for increasing the compensation amount from Rs.750 crore to Rs.7,000 crore. If so, what is the up-to-date information about it?

SHRI SRIKANT JENA: Madam, so far as medical issue is concerned, this is being taken very seriously. ICMR has established its 31st permanent institute namely, National Institute for Research in Environmental Health (NIREH) at Bhopal. To strengthen the existing infrastructure Centre and to make it operational, 41 equipments worth Rs.1.39 crore have been purchased for installation at NIREH. Consultants have been identified for research in the identified areas as per the Cabinet decision. The progress on epidemical study on long-term effects of MIC exposure is being monitored. The long-term Action Plan, the Vision Document for ICMR's new institute, NIREH, Bhopal has been prepared.

Apart from that, the hospital which was established there had been taken over by the Department of Biotechnology and Department of Atomic Energy on the advice of the Additional Solicitor General. It is functioning well. I think, any complaint on this ground is always welcome because we have already in place the required arrangements at Bhopal.


श्री कैलाश जोशी: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो संख्या बताई है, इस संबंध में पहले से ही मांग उठती रही है। मध्य प्रदेश राज्य शासन ने, गैस पीड़ितों के संगठन ने और वहां के अन्य नागरिकों ने सरकार से बार बार यह मांग की है कि जो संख्या बताई गई है, वह संख्या सही नहीं है। अनेक लोग आज भी ऐसे हैं जो उस दायरे में अभी नहीं आये हैं जिस दायरे में उन्हें उसी समय आ जाना चाहिए था। दूसरा प्रश्न यह है कि 20 वॉर्ड को छोड़ दिया गया है। भोपाल में कुल 56 वार्ड थे। सिर्फ 36 वार्डों को सम्मिलित किया गया है और 20 वार्ड्स को छोड़ दिया गया है। उसमें भी बहुत बड़ी संख्या गैस पीड़ितों की है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ और साथ ही अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि वास्तविक संख्या को ध्यान में लाकर तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री श्रीकांत जेना: मैडम, जो जोशी जी ने अभी बताया है कि संख्या कम है और बहुत लोग पीड़ित हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। आपको याद होगा कि वर्ष 1996-97 तक एक फाइनल नोटिफिकेशन हुआ था जिसमें यही बताया गया था कि अगर कुछ लोग इसमें छूट गये हैं, वे आकर अपनी दरखास्त दे दें। उसके बाद कम से कम 10 लाख से ऊपर दरखास्त आईं। उसमें जो हाईकोर्ट जज वैलफेअर कमीशन है और डिस्ट्रिक्ट जज लैवल के पांच जज बैठे हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि पीड़ितों की

कितनी संख्या है यानी कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं और किनको शामिल किया जाए, इसकी एक लिस्ट सबमिट करने के बाद सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। इसमें कैंसर और दूसरी भयंकर बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, उनको भी इंकलूड करने के लिए यानी जो अफैक्टेड हैं, चूंकि 2000 लोगों के कैंसर के केसेज आ रहे हैं और अभी खबर यह है कि यह संख्या और बढ़ सकती है। इसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए प्रावधान किया गया है।

ऐसे लोग हैं, जोशी जी प्रावधान के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम संख्या का एक बार निर्णय होने के बाद 20 साल बाद कैसे करें?...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : 30,000 से ज्यादा लोग मरे थे। इन सवालों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing  will go on record except the Supplementary of Mr. Datta Meghe.

*(Interruptions) ... **

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि भोपाल का वेस्ट नागपुर में जलाना चाहते हैं। वहां 25,00,000 लोग रहते हैं, वहां आंदोलन हो रहा है। हमारा कोई संबंध नहीं है, महाराष्ट्र सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नागपुर में क्यों जलाना चाहते हैं? क्या वहां लोग नहीं रहते हैं?...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना: ऐसा नहीं है कि सरकार की इच्छा है कि यह नागपुर जाए, गुजरात जाए या पीथमपुरा जाए।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : अमेरिकी कंपनी है, वहीं भेजिए।...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना: महोदया, यह तय किया गया था, जब पीथमपुरा में प्राब्लम आई, गुजरात में प्राब्लम आई। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन का एक इंस्टीट्यूशन नागपुर में है। ...(व्यवधान) महाराष्ट्र सरकार एक बैंच में हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि यह केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि अगर महाराष्ट्र पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड अगर कैरी करने के लिए अलाऊ करेगा तब जाकर निर्णय होगा। अभी यह विचाराधीन है।

(Q. No.162)

SHRI S. R. JEYADURAI : Madam Speaker, the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) was set up in 2003 based on the recommendations of the Joint Parliamentary Committee, which went into the Stock Market Scam in 2001. Now, almost eight years have passed. At present, the SFIO cannot take up any case on its own whereas the British SFIO can take up any case *suo motu*.

I would like to ask the hon. Minister that while giving the evidence before the Standing Committee on Finance, whose Report was presented to the Lok Sabha on 20-04-2005, the Government representative stated that in the first phase, the SFIO would work under the Companies Act, 1956; and in the second phase, there would be proper legislative changes on the lines of UK's Serious Fraud Investigation Office.

MADAM SPEAKER: Please ask your Question.

SHRI S. R. JEYADURAI : This is there in paragraph 20 of the Report. So, does the Government think that the time for the second phase has not yet come? What is the reaction of the Government in this regard?

DR. M. VEERAPPA MOILY: Madam Speaker, in fact the Vepa Kamesam Committee submitted a Report that the legislative status will have to be given to this agency, SFIO. Now, it is only from the Executive Order based on the provisions of the Companies Act. It has not got much teeth. So, now we have resolved that the SFIO should be given a legal status by incorporating a Section in the New Companies Bill. The New Companies Bill has already been drafted. In fact, it has been circulated among the Ministries. It is coming up before the Cabinet shortly; and a strong legal support and status will be provided to the SFIO agencies.



SHRI S. R. JEYADURAI : The U.K Bribery Act, 2010 has come into operation with effect from 1st July, 2011 which brings commercial organizations operating in U.K to criminal liability, punishable by an unlimited fine for failing to prevent bribery. Does the Government of India also propose to bring the foreign business organization operating in India under the Indian Prevention of Corruption Act? If not, the reasons therefor?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Madam Speaker, the pattern, which has been used to strengthen the SFIO agencies, is more or less on the pattern of the U.K.

SHRI M.I. SHANAVAS : I would like to ask the hon. Minister through you, Madam, that the Serious Fraud Investigation Office is the most ineffective functionary under the Government of India. Now, it is by an executive order that this SFIO has come into existence. The hon. Minister has said in his answer that it is going to be given statutory recognition. In the reply the hon. Minister has said, "...in the new Companies Bill, powers such as treating its investigation report as a report filed by the police officer". I would like to say to the hon. Minister that it will be almost ineffective.

Now, the CBI is looking after great frauds that are being committed in so many companies. If the SFIO is given more powers, more than the powers that are envisaged in the answer given by the hon. Minister, that is, powers for raiding, investigating, calling witnesses and for prosecuting, it will be effective. Unless that is done, it will not be effective.

Will the hon. Minister take steps to give more effective powers as the SFIO in U.K so that big company frauds can be curtailed and the CBI can get rid of the great burden?


SHRI M. VEERAPPA MOILY: Madam Speaker, I do appreciate the concerns of the hon. Member. In fact, I do not say that the SFIO is totally ineffective. It has done its work. But for whatever cases it has gone to the court till now, all the cases have resulted in positive conviction. In fact, 39 cases have been handled and all of them have gone in favour of the SFIO. That is one thing.

But I do agree with you that it is not just adequate. We need to strengthen it with its power of arrest, power of raid, power of seizure and all those other powers.

Suppose there is a flight of capital or the company is operating outside, then sometimes the accused escapes from the country. Even the power of obtaining the rogatory will be given to this body. So, I think the Bill, which is now proposed, will meet with or respond to all that wishes that you expressed now. I think you will definitely look for a very strong agency which will be self-sufficient to handle the situation in hand.

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय यह कहा गया है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कार्यालय को और अधिक शक्ति-सम्पन्न बनाया जायेगा। लेकिन उसके पहले जो इस कार्यालय के द्वारा रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, उसमें पर्तिकुलरली में जानना चाहूंगी कि वेदांता रिसोर्सिज कम्पनी के मालिकाना हक के समय सेसागोवा की कार्य प्रणाली के संबंध में क्या कोई रिपोर्ट दी गई है और उसमें सेसा इंडस्ट्रीज के जो अल्पसंख्यक शेयरधारक हैं, कम्पनी एक्ट के अंतर्गत उनके भी हितों की रक्षा करना आवश्यक है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस रिपोर्ट पर भी कुछ कार्रवाई कर रही है, यदि हां तो क्या कार्रवाई की जा रही है?

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Madam Speaker, in so far as Sesa Goa is concerned, the matter is under investigation and we are seriously going into this matter.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने एसएफओ को विशेष दर्जा और मजबूत कानूनी प्रक्रिया में लाने की बात कही है। देश के अन्दर और देश से बाहर बहुत सारी कम्पनियां हैं जो धोखाधड़ी में लिप्त हैं। आयात निर्यात करने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिलती है कि वे भी किसी-किसी न माध्यम से धोखाधड़ी कर के हेराफेरी करते हैं। वे जांच के दायरे से भी निकल जाते हैं। जबकि देश के अन्दर  सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो उस स्तर की जांच कर सकती हैं। उनके द्वारा उन्हें संज्ञान में लाया जा सकता है। एसएफआईओ के माध्यम से उन प्रक्रियाओं के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ताकि इन धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियों पर भविष्य में अंकुश लगाया जा सके।

SHRI M. VEERAPPA MOILY: All those cases, which have come to the notice of the Ministry or the SFIO, we have handled them and a number of prosecution cases have been lodged. There are cases, which really go out of the country. That

is why, we have a Market Research and Analysis Unit in the SFIO. They go into any information or intelligent information inputs, which need to be obtained by this organization.

The proposal in the present Bill also contains for the strengthening of the Market Research and Analysis Unit. We never had offices at various levels. In fact, SFIO will establish regional offices at New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Chennai, Kolkata and Ahmedabad. If necessary, we will open some more. Under the proposal which is before the Cabinet, we have also considered the proposal to have the special courts, which will deal exclusively with these cases which are investigated by the SFIO.

(Q. No. 163)

श्री सतपाल महाराज : अध्यक्ष महोदया, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना को राज्य सरकार ने एनजीओ से अनुबंधित कर दिया, जो कि हस्ताक्षर तो पूरे करवाते थे परंतु भुगतान नहीं करते थे। इन कारणों से यह महत्वपूर्ण योजना राज्य में असफल हो गई है। हालत यह है कि राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में पिछले वर्ष इस योजना के अन्तर्गत सिर्फ एक आदमी को ही सौ दिन का रोजगार उपलब्ध हुआ है। अन्य जिलों में भी यही हालत है। भविष्य में उत्तराखण्ड राज्य में सभी तक इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री प्रदीप जैन: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यह कानून इस सरकार ने इस उद्देश्य से पारित किया था कि देश के हर राज्य में हर ग्राम पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति को सौ दिन का रोजगार मिले। योजना को ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रदेश सरकार को बनाना है और उसका क्रियान्वयन भी करना है। जहां तक स्पेसिफिक राज्य की बात उन्होंने कही है, यह वास्तव में विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की मंशा यह है कि ...(व्यवधान) देश की 2 लाख 52 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में प्रत्येक परिवार को सौ दिन का रोजगार मिले। ...(व्यवधान) उसमें अगर उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर इस तरह की स्थिति निर्मित है तो उसके लिए हम भारत सरकार से ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ... **

श्री प्रदीप जैन : भारत सरकार से एक टीम भेजेंगे और वह टीम वहां जाकर मूल्यांकन करेगी। देश के दूसरे राज्यों में इस योजना का बहुत अच्छे ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। इसकी बहुत सारी स्टडीज़ हैं। ...(व्यवधान) एनएसएसओ ने भी कहा है कि ...(व्यवधान) आज जिस तरह से लैण्ड की प्रोडक्टिविटी और सस्टेनबिलिटी है, उसमें स्थायित्य और उत्पादकता बढ़ी है। चाहे आप आन्ध्र प्रदेश को देखें और चाहे राजस्थान को देखें। ...(व्यवधान) लेकिन अगर उत्तराखण्ड की यह स्थिति है तो हम वहां टीम भेजेंगे। इसमें पिछले वर्ष 55 लाख परिवारों को सौ दिन से ज्यादा का रोजगार मिला है। इस बात को लोकसभा के सारे माननीय सदस्य जानते हैं ...(व्यवधान) इस योजना के माध्यम से देश के अन्दर स्थिति परिवर्तित हो रही है।

अध्यक्ष महोदया : आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

* Not recorded.



अध्यक्ष महोदया : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिये।

...(व्यवधान)

श्री सतपाल महाराज : महोदया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत हरियाणा में 169 रुपये मजदूरी प्राप्त हो रही है, चंडीगढ़ में 164 रुपये मजदूरी प्राप्त हो रही है। उत्तराखंड में भी इसके अन्तर्गत मजदूरी 120 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दी जाये। इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री प्रदीप जैन : महोदया, चूंकि इस सरकार का वायदा था कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो इसे सीपीआईएल से जोड़ा जाये।...(व्यवधान) सीपीआईएल से जोड़ने से हर राज्य की जो मजदूरी दर है, उस मजदूरी दर का भारत सरकार भुगतान करती है। उत्तराखंड के अन्दर जो मजदूरी की दर है, उसे सीपीआईएल से जोड़ने के बाद उसका जो मूल्यांकन होगा, उस दर को भारत सरकार देने के लिए सहमत है।...(व्यवधान)

श्री सतपाल महाराज : 120 रुपये बहुत कम है, इसे बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया जाये।

SHRIMATI SHRUTI CHOUDHRY (BHIWANI-MAHENDRAGARH): Madam, MGNREGA is meant to give minimum sustenance in guaranteed employment to the poorest of the poor and it must continue to do so. But the States like Haryana and Punjab, which are the grain baskets of India, are facing alarming labour shortage exactly at the time when they need additional labour the most from other States, like at the time of harvest, etc. What steps is the Government taking to incorporate crop harvesting and other crop production related activities as components to ensure that the local villagers, small and marginal farmers benefit by this and side by side the crop production is not affected.

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI JAIRAM RAMESH): This issue has agitated many Members of Parliament. Many people have approached me and said that the NREGA is cutting into the labour demand for agricultural operations. The Agriculture Minister has also expressed such a view to me recently. I would like to categorically state here that there is now indisputable evidence across the country that agricultural wages have increased as a result of

NREGA. This is a very good development that with the increase in agricultural wages, rural poverty will come down. However, with the increase in agricultural wages, cost of cultivation also goes up. ... (*Interruptions*)

I am sensitive to the issue that has been raised. The hon. Member has asked as to what is the Government doing about this. We have already taken a number of steps. Now, land development and water conservation works in farms owned by Scheduled Castes and Scheduled Tribes farmers, in land holdings of Indira Awas Yojana beneficiaries, in small and marginal farms are covered under the schedule of works that is permitted under NREGA. We are also looking at how the programme of the Rashtriya Krishi Vikas Yojana can be integrated with that of NREGA.

One suggestion that has come from the Chairman of the Commission on Agricultural Costs and Prices is to allow the construction of shallow tubewells, particularly in eastern India under NREGA. All these suggestions are under examination and we will ensure that the success of NREGA does not necessarily mean in a drop in agricultural production. In fact, I can tell you, I have figures to show that in many States of India, the area under cultivation has actually gone up after NREGA. In Andhra Pradesh, in district after district, there is at least ten to fifteen per cent increase in cultivable area on account of NREGA.

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलायी गयी योजनाओं की समीक्षा करने के लिए हर जिले में निगरानी और सतर्कता समितियां बनायी गयी हैं। जिनमें सांसद शामिल होते हैं और उनकी समीक्षा करते हैं और सांसद ही उसका चेयरमैन होता है। मैं ऐसी तीन समितियों की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कह रही हूँ और सभी सांसद साथी भी मेरे साथ सहमत होंगे कि मनरेगा की योजना बहुत अव्यवहारिकताओं से भरी हुई योजना है। भारत सरकार का यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। यहाँ बैठकर दोनों मंत्री महोदय जितनी मर्जी सफलता का दावा करें, सच्चाई ज़मीन की यह है कि यह योजना पूरी तरह से असफल है। इसलिए असफल है कि इसको प्रैक्टिकल आधार पर बनाया नहीं गया है। इसलिए इसमें न तो बहुत रोज़गार मिल पा रहा है और न संपत्ति पैदा हो रही है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना है क्योंकि ये नये-नये मंत्री बने हैं और इस मंत्रालय का प्रभार लिया है। क्या



मंत्री जी अलग-अलग सांसदों की राज्यवार बैठक बुलाकर केवल मनरेगा की अव्यावहारिकताओं पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि एक राज्य दूसरे से नहीं मिलता, एक ज़िला दूसरे से नहीं मिलता। इसलिए जब तक उन अव्यावहारिकताओं की जानकारी आपको नहीं होगी, तब तक आप इस योजना को सफल नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न के साथ मेरा सुझाव भी आपको है कि राज्यवार सांसदों की बैठक बुलाकर केवल मनरेगा डिसकस करिये। उसमें हम आपको बताएँगे कि अव्यावहारिकताएँ क्या-क्या हैं। अगर आप उनमें सुधार कर लेंगे तो योजना सफल होगी। आज यह योजना सफल नहीं है।

श्री प्रदीप जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सांसद को, जो बहुत अनुभवी हैं और सदन के सभी सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हर ज़िले के अंदर विजिलैन्स मॉनीटरिंग कमेटी होती है। ...(व्यवधान) वह उनकी ओपीनियन है। चूँकि मध्य प्रदेश से वह ताल्लुक रखती हैं और मध्य प्रदेश के अंदर यह स्थिति सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश के करीब 12 जिलों में हम गए। हमारा फ़ैडरल स्ट्रक्चर है और योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य को करना है। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा गड़बड़ी की शिकायतें हैं और उस कारण से जो हमारे सम्मानित नेता का कहना है, वह ठीक है। हमने स्वयं देखा है। हमारे बुंदेलखंड में चाहे टीकमगढ़ हो, या सम्मानित नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र हो, वहाँ जाकर हमने देखा है। ...(व्यवधान) वहाँ कमियाँ हैं और उनको दूर करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में जो वीआईपीज़ हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, राज्य सरकार ने वहाँ उनकी भी 35 शिकायतों का निपटारा नहीं किया। मध्य प्रदेश के अंदर महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना का नाम बदलकर अन्य नामों से धनराशि को डाइवर्ट किया जाता है और उससे योजना कार्यान्वित की जाती है। मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूँ कि हमारे मंत्री जी का और हमारे मंत्रालय का सर्वसम्मति से प्रयास है कि हर राज्य के सांसदों को बुलाकर अलग-अलग सलाह-मशविरा लें। जैसे उत्तर प्रदेश के सांसद आए थे। हमारे मंत्रालय ने, मंत्री जी ने बातचीत की थी। मैं निश्चित रूप से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो विजिलैन्स मॉनीटरिंग कमेटी है उसकी मीटिंग नहीं होती, क्योंकि हमने यह भी देखा है कि जो हमारे सम्मानित सांसद हैं, वे दो-तीन जगह के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वे तीन महीने में विजिलैन्स मॉनीटरिंग कमेटी की मीटिंग तक नहीं लेते जिसके कारण योजना की कमियाँ दूर नहीं हो पाती और यह योजना सफल नहीं हो पाती है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने बहुत मीटिंगज़ की हैं। मैंने कंटीन्यूअसली मीटिंगज़ की हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूँगी कि आप इस पर नोटिस दें क्योंकि यह ऐसा विषय है जिस पर सभी चर्चा करना चाहेंगे। अगर आप नोटिस दें तो इस पर आधे घंटे की चर्चा हो सकती है।

(Q. No. 164)

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पड़ती भूमि और मरुभूमि से संबंधित है जो ऐसी भूमि है जिस पर किसी तरह की खेती नहीं हो सकती, और न ही किसी तरह की वनस्पति वहाँ उत्पन्न हो सकती है।

मैं माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूँ कि इस योजना के अंतर्गत बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। यह योजना 2012 में समाप्त होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत जितनी भूमि उपचारित की गई है, उस भूमि के आगे रख-रखाव की इस योजना में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।

ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से एक साथ दो प्रश्न करना चाहता हूँ कि आगे भविष्य में यह योजना बंद न हो, इसके साथ-साथ आपने 195 जिले इस योजना के अंतर्गत लिए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस योजना को पूरे देश में क्यों लागू नहीं किया जा सकता है? साथ ही, जिस जिले को आपने लिया है, उसके सारे ब्लॉक इसमें शामिल नहीं किए गए हैं? ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के जिन 16 जिलों को आपने लिया है, उन जिलों के साथ-साथ क्या सारे ब्लॉक्स को इसमें शामिल करेंगे और मध्य प्रदेश के क्या सारे जिलों को इस योजना में शामिल करेंगे?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, the hon. Member has asked a question on the Integrated Wasteland Development Programme. I want to mention to the hon. Member that today the Government of India runs one programme called 'Integrated Watershed Development Programme' which integrates the Integrated Wasteland Development Programme, the Desert Development Programme and the Drought Prone Areas Programme. There is no such thing as an Integrated Wasteland Development Programme today. The flagship programme is the Integrated Watershed Development Programme which brings together all the three old programmes, that is, the Wasteland Development Programme, Drought Prone Areas Programme and the Desert Development Programme.

I want to assure the hon. Member that this is an on-going programme. We are sanctioning projects under this programme. So, there is no question of this programme stopping in 2012. These projects will continue.

Today there are about 36 million hectares in India which are considered cultivable wasteland. In the year 2000, the amount of land that was considered to be cultivable wasteland was about 51 million hectares. So, in the last ten years, about 15 million hectares of cultivable wasteland has been made cultivable. Our objective is that all these 36 million hectares should be made cultivable.

In this context, I want to mention, Madam, one of the great success stories in this country has been the *Usar* Land or Sodic Land Reclamation Programme in Uttar Pradesh where over the last ten years, in the ten districts of Central Uttar Pradesh, almost 180,000 hectares of *usar* land or sodic land has been reclaimed benefiting almost 370,000 small and marginal farmers.

So, I wish to assure the hon. Members that under the Integrated Watershed Development Programme, his concerns on deserts and drought-prone areas, particularly in Madhya Pradesh and Rajasthan, will be taken into account.

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिन जिलों को आपने लिया है, क्या उसमें सारे ब्लॉक्स को शामिल करेंगे? क्या मध्य प्रदेश के सारे जिलों को आप इसमें शामिल करेंगे?

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, the blocks for which proposals are prepared by the State Government will automatically be included.

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, इकॉनामिक रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में कुल वेस्ट लैण्ड 638 लाख हेक्टेयर है। इंटीग्रेटेड वेस्ट लैण्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमारे पास केवल 32 लाख हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक चमत्कार हुआ है। लेकिन सच यह है कि टारगेट नहीं बताया गया है कि वेस्ट लैण्ड को डेवलप करने के लिए कितना टारगेट भारत सरकार ने तय किया है। दूसरी बात, मैं यह देख रहा हूँ कि फण्ड एलोकेशन लगातार कम होता जा रहा है। आपके सवाल के जवाब में ही सब कुछ लिखा हुआ है। वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11, लेकिन वर्ष 2010-11 की बात आप 31 जुलाई तक की ही कह रहे हैं। रोज़गार सृजित करने की व्यवस्था भी लगातार कम होती जा रही है। एरियावाइज़ कवरेज भी लगातार कम हो रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि यह बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है। मैं यह जानना चाहा था कि अचीवमेंट क्या है? सच यह है कि मंत्री महोदय के विस्तृत जवाब में, जिसमें तमाम आंकड़े और फिगर्स दिए गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका अध्ययन करने के बाद

महसूस होता है कि हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सच यह है कि इस स्कीम को सरकार बहुत गंभीरता से न लेते हुए, फण्ड एलोकेशन, रोज़गार सृजन और एरिया कवरेज़, हर मामले में कम होता चला जा रहा है। इस मामले में मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे तो बेहतर होगा।

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam Speaker, the hon. Member has asked a large number of questions.

First, whether the allocation under the programme has actually gone down. The numbers tell a different story. In 2009-2010, the allocation for the Integrated Watershed Development Programme was about 1800 crore. In 2010-2011, it was about 2500 crore.

SHRI SANJAY NIRUPAM : The question is related to Wasteland Development of this country.

SHRI JAIRAM RAMESH: There is no such Wasteland Development Programme.

MADAM SPEAKER: Let him reply. Let him reply.

SHRI JAIRAM RAMESH: If you had heard my answer, I have said that there is no such thing as an Integrated Wasteland Development Programme.

SHRI SANJAY NIRUPAM : You have replied about that question.

MADAM SPEAKER: Let him complete his answer.

SHRI JAIRAM RAMESH: Hon. Member, listen to me. There was an Integrated Wasteland Development Programme. In 2009, the Integrated Wasteland Development Programme, the Drought Prone Areas Programme and the Desert Development Programme were all integrated into one single Integrated Watershed Management Programme. The objective of the Integrated Watershed Management Programme is to make wastelands of this country cultivable through a watershed approach. I have already mentioned that the rough area which is classified as cultivable wastelands in 2010 is about 36 million hectares. In 2000, it was about 51 million hectares. In the last ten years about 15 million hectares has been treated. Every year, we are bringing about one and half million hectares of wasteland under cultivation.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, मैं विनम्रतापूर्वक श्री जय श्रीराम मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप अच्छी हिन्दी बोलते हैं तो कृपया मेरे प्रश्न का जवाब हिन्दी में देंगे तो देश के लाखों-करोड़ों किसान आपकी भाषा अच्छी तरह समझ जाएंगे।

मेरा प्रश्न सीधा है। डॉ. राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में वर्ष 1962 से वर्ष 1967 तक हम लोग इस पर आंदोलन करते थे और कहा करते थे कि "उसर, बंजर आबाद करेंगे, भूमि सेना का निर्माण करेंगे।" जो हमारे गांव के निर्धन, निर्बल, गरीब किसान हैं, सीमान्त और लघु किसान की श्रेणी में हैं, दलित और वनवासी हैं, जो नौजवान बेरोजगार हैं, उन कृषि क्षेत्र के नौजवानों की भूमि सेना बनाना, उनके हाथ में रोजगार देना, उनको रोजगार भी मिलेगा और वे अपने श्रम से पसीने से जो धरती को माता समझते हुए उन्हें लगाव है तो इस देश की सभी उसर, बंजर, पथरीली भूमि को आबाद करके हरियाली में परिवर्तित कर सकते हैं तो इस योजना को उस रूप में लागू करने में क्या सरकार विचार करेगी जिससे कि देश की सम्पूर्ण उसर, बंजर, और पथरीली भूमि को हरियाली में परिवर्तित करके देश में एक नवनिर्माण कर सके।

श्री जयराम रमेश: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सांसद के जो सुझाव हैं, इस पर जरूर विचार करूंगा। मुझे याद है कि 20-25 वर्ष पहले कई राज्य सरकारों ने, खास तौर से जब श्री राम कृष्ण हेगड़े जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, वहां भूमि सेना की स्थापना की गयी थी और अलग-अलग राज्यों में भी यह प्रयास किया गया था। यह सुझाव अच्छा है। उसर और बंजर भूमि के हरियाली के कार्यक्रम में क्या हम ऐसा केन्द्र सरकार की ओर से भूमि सेना की स्थापना कर सकते हैं, हम इस पर जरूर विचार करेंगे। किन्तु मन्रेगा कार्यक्रम में मैं यह कहना चाहता हूँ... (व्यवधान)

I want to use this opportunity of saying what the Leader of the Opposition has said about NREGA is completely wrong. In fact, there is clear evidence to show that under NREGA agricultural wages have gone up. Area under cultivation has gone up. About 68 per cent of the works under MNERGA are for water conservation and for *Haryali* which the hon. Member is talking about. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The Question Hour is over.



12.00 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI VIRBHADRA SINGH): I beg to lay on the Table: -

(i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the year 2007-2008.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No.LT-4743/15/11)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the year 2008-2009.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No.LT-4744/15/11)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the year 2009-2010.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No.LT-4745/15/11)

- (7) A copy each of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Small Industries Corporation Limited and the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4746/15/11)

- (8) A copy of the Coir Industry (Registration) Amendment Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. S.O. 1252(E) in Gazette of India dated the 1st June, 2011 under sub-section (4) of Section 26 of the Coir Industry Act, 1953.

(Placed in Library, See No.LT-4747/15/11)

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES
(SHRI PRAFUL PATEL): I beg to lay on the Table: -

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
- (i) Memorandum of Understanding between the Bharat Bhari Udyog Nigam Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4748/15/11)

- (ii) Memorandum of Understanding between the Hindustan Paper Corporation Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4749/15/11)

- (iii) Memorandum of Understanding between the Hindustan Newsprint Limited (Subsidiary) and the Hindustan Paper Corporation Limited (Holding Company) for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4750/15/11)

- (iv) Memorandum of Understanding between the Hindustan Salts Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4751/15/11)

- (v) Memorandum of Understanding between the Heavy Engineering Corporation Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4752/15/11)

- (vi) Memorandum of Understanding between the Bharat Heavy Electricals Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4753/15/11)

- (vii) Memorandum of Understanding between the NEPA Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4754/15/11)

- (viii) Memorandum of Understanding between the Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4755/15/11)

- (ix) Memorandum of Understanding between the Instrumentation Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4756/15/11)

- (x) Memorandum of Understanding between the Rajasthan Electronics and Instruments Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4757/15/11)

- (xi) Memorandum of Understanding between the Hindustan Cables Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4758/15/11)

- (xii) Memorandum of Understanding between the Andrew Yule and Company Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4759/15/11)

- (xiii) Memorandum of Understanding between the Engineering Projects (India) Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4760/15/11)

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (i) Review by the Government of the working of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 2009-2010.
- (ii) Annual Report of the Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No.LT-4761/15/11)

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT AND MINISTER OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI JAIRAM RAMESH): I beg to lay on the Table: -

- (1) A copy of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Audit of Schemes Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 495(E) in Gazette of India dated the 30th June, 2011 under sub-section (1) of Section 33 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005.

(Placed in Library, See No.LT-4762/15/11)

- (2) A copy of the S.O. 1484(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 30th June, 2011, making certain amendments in the Schedule I to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 under sub-section (1) of Section 29 of the said Act.

(Placed in Library, See No.LT-4763/15/11)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Memorandum of Understanding between the Hindustan Antibiotics Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4764/15/11)

- (ii) Memorandum of Understanding between the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4765/15/11)

- (iii) Memorandum of Understanding between the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4766/15/11)

- (iv) Memorandum of Understanding between the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4767/15/11)

- (v) Memorandum of Understanding between the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4768/15/11)

- (vi) Memorandum of Understanding between the Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4769/15/11)

- (vii) Memorandum of Understanding between the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4770/15/11)

- (viii) Memorandum of Understanding between the Fertilisers and Chemicals Travancore Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4771/15/11)

- (ix) Memorandum of Understanding between the FCI Aravali Gypsum and Minerals India Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4772/15/11)

- (x) Memorandum of Understanding between the National Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4773/15/11)

- (xi) Memorandum of Understanding between the Projects and Development India Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4774/15/11)

- (xii) Memorandum of Understanding between the Madras Fertilizers Limited and the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4775/15/11)

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-

- (i) S.O. 28(E) published in Gazette of India dated the 7th January, 2011, regarding order indicating the supplies of Urea to be made by domestic manufacturers of Urea to States and Union Territories during Kharif-2011.
- (ii) S.O. 2838(E) published in Gazette of India dated the 24th November, 2010, regarding order indicating the supplies of Urea to be made by domestic manufacturers of Urea to States and Union Territories during Kharif-2010.

(Placed in Library, See No.LT-4776/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.H. MUNIYAPPA): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Memorandum of Understanding between the IRCON International Limited and the Ministry of Railways for the year 2011-2012.
(Placed in Library, See No.LT-4777/15/11)
 - (ii) Memorandum of Understanding between the RITES Limited and the Ministry of Railways for the year 2011-2012.
(Placed in Library, See No.LT-4778/15/11)
 - (iii) Memorandum of Understanding between the Konkan Railway Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2011-2012.
(Placed in Library, See No.LT-4779/15/11)
 - (iv) Memorandum of Understanding between the Indian Railway Finance Corporation Limited and the Ministry of Railways for the year 2011-2012.
(Placed in Library, See No.LT-4780/15/11)
- (2) A copy of the Report (Hindi and English versions) on the progress made in the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes against vacancies reserved for them in recruitment and promotion categories in the Railways for the year ending 31st March, 2010.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.
(Placed in Library, See No.LT-4781/15/11)

(4) A copy of the Railway Red Tariff (Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in the Notification No. G.S.R. 384(E) in Gazette of India dated the 12th May, 2011 under Section 199 of the Railway Act, 1989.

(Placed in Library, See No.LT-4782/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI R.P.N. SINGH): I beg to lay on the Table :-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Noida, for the year 2009-2010.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No.LT-4783/15/11)

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (a) (i) Review by the Government of the working of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2007-2008.
(ii) Annual Report of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No.LT-4784/15/11)

- (b) (i) Review by the Government of the working of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2008-2009.
(ii) Annual Report of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No.LT-4785/15/11)

(c) (i) Review by the Government of the working of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2009-2010.

(ii) Annual Report of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No.LT-4786/15/11)

(4) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Indian Oil Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4787/15/11)

(ii) Memorandum of Understanding between the Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4788/15/11)

(iii) Memorandum of Understanding between the Bharat Petroleum Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4789/15/11)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Rae Bareli, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology, Rae Bareli, for the year 2009-2010.

(Placed in Library, See No.LT-4790/15/11)

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974:-

- (i) The Oil Industry Development Board Employees' (Pension)(Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 214(E) in Gazette of India dated the 15th March, 2011.
- (ii) The Oil Industry Development Board Employees (Death-cum-Retirement) Gratuity (Amendment) Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 220(E) in Gazette of India dated the 17th March, 2011.
- (iii) The Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 792(E) in Gazette of India dated the 30th September, 2010.

(Placed in Library, See No.LT-4791/15/11)

(8) A copy of the Appellate Authority (Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and members and the manner of meeting expenditure of the Authority) Amendment Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 477(E) in Gazette of India dated the 24th June, 2011 under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949.

(Placed in Library, See No.LT-4792/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI VINCENT H. PALA): I beg to lay on the Table :-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Commission for Minorities, New Delhi, for the year 2006-2007.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Minorities, New Delhi, for the year 2006-2007.
 - (iii) A copy of the Action Taken Memorandum (Hindi and English versions) on the recommendations contained in the Annual Report of the National Commission for Minorities, New Delhi, for the year 2006-2007.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No.LT-4793/15/11)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Hydrology, Roorkee, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Hydrology, Roorkee, for the year 2009-2010.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No.LT-4794/15/11)

- (5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
- (i) Memorandum of Understanding between the National Projects Construction Corporation Limited and the Ministry of Water Resources for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4795/15/11)

- (ii) Memorandum of Understanding between the WAPCOS Limited and the Ministry of Water Resources for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No.LT-4796/15/11)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI ASHWANI KUMAR): I beg to lay on the Table :-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Technology Development Board, New Delhi, for the year 2009-2010.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No.LT-4797/15/11)

12.01 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

35th to 39th Reports

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): अध्यक्ष महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग से संबंधित 'त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)' के बारे में 35वां प्रतिवेदन।
 - (2) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2007-08) से अधिक व्यय' के संबंध में समिति के सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 36वां प्रतिवेदन।
 - (3) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित 'स्टोर सामान की खरीद और मालसूची नियंत्रण' के संबंध में समिति के 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 37वां प्रतिवेदन।
 - (4) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित 'संसाधनों की अव्यप्रगत केन्द्रीय पूल योजना' के बारे में 38वां प्रतिवेदन।
 - (5) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'एडीजीईएस राडार के कार्यकरण, विशेष वस्त्र और पर्वतारोहण उपकरण की खरीद और पट्टे पर देने/पट्टे के नवीकरण में विलंब' के संबंध में समिति के 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 39वां प्रतिवेदन।
-

12.01 ½ hrs.**COMMITTEE ON MEMBER OF PARLIAMENT LOCAL AREA
DEVELOPMENT SCHEME (MPLADS)****4th Report**

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): I beg to present the Fourth *Report (Hindi and English versions) of the Committee on MPLADS (2010-11) on the subject 'Effective monitoring of the MPLAD Scheme to avoid delays in execution of MPLADS work'.

12.02 hrs.**STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
98th Report**

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): I beg to lay on the Table the 98th Report (Hind and English versions) of the Standing Committee on Commerce on Export of Foodgrains-Premium Non-Basmati Rice and Wheat.

* This Report was presented to hon. Speaker on 4 May, 2011 under Direction 71A when the House was not in Session.

12.02 ½ hrs.**STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
168th to 170th Reports**

श्री महेश जोशी (जयपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूँ:-

- (1) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) --- मुद्दे और चुनौतियों के बारे में* 168वां प्रतिवेदन।
- (2) भारत में हेलीकॉप्टर प्रचालन के बारे में * 169वां प्रतिवेदन।
- (3) महापत्तनों के आधुनिकीकरण के बारे में 170वां प्रतिवेदन।

12.03 hrs

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

12.03 ¼ hrs.**BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
28th Report**

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I beg to present the Twenty-eighth Report of the Business Advisory Committee.

* The Report was presented to Hon'ble Speaker on 04th May, 2011 under directions 71A when the House was not in Session.

12.03 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 7th and 12th Reports of Standing Committee on Social Justice and Empowerment on Demands for Grants (2009-10 and 2010-11, respectively), pertaining to the Ministry of Minority Affairs. *

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): I beg to lay this statement on the status of the implementation of recommendations contained in the Seventh Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants for the year 2009-10 of the Ministry of Minority Affairs, in pursuance of the Direction 73A of the Directions by the Hon'ble Speaker, Lok Sabha under Rule 389 for the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

2. The Standing Committee on Social Justice and Empowerment (Fifteenth Lok Sabha) presented its Seventh Report on the Demands for Grants for the year 2009-10, relating to the Ministry of Minority Affairs, to the Lok Sabha on 19th August, 2010. The recommendations were considered and the action taken by the Government on the recommendations were submitted to the Committee on 14th December, 2010.

3. Report contained 5 recommendations. The present status of implementation of all these 5 recommendations is indicated in the Annex, which is laid on the Table of the House.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No.LT 4798/15/11.

12.04 hrs.

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 214th Report of Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Demands for Grants (2010-11), pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI ASHWANI KUMAR): I beg to lay this Statement in pursuance of Direction 73A of Hon'ble Speaker, Lok Sabha under rule 389 of the Rules of procedure and conduct of Business in Lok Sabha (Eleventh Edition), to inform the esteemed House about Action Taken on the comments contained in the 214th (Two Hundred Fourteenth) report of the department related Parliamentary Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests on Demands for Grants (2010-2011) of the Department of Biotechnology.

The 214th Report relates to comments of the Department related Standing Committee on the action taken by the Government on the recommendations contained in the 205th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests on the Demands for Grants (2010-11) of the Department of Biotechnology which was presented to both the Houses of Parliament on the 13th December, 2010. The present statement gives action taken on the comments contained in the 214th Report of the department related Parliamentary Standing Committee related to paras 4.3, 5.5, 5.6, 5.7, 6.0, 7.3, 7.4, 8.3, 9.4, 11.5, 12, 13.4, 14 of 205th report. The details are given in Annexure which is laid on the Table of the House.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No.LT 4799/15/11.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Basudeb Acharia to speak.

... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा हुआ है।... (व्यवधान) यह बहुत गंभीर मामला है, दो मिनट का समय दे दीजिए।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह विषय राज्य का है, मंत्री जी ने सुन लिया है, वे बात करेंगे।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सिर्फ श्री बसुदेव आचार्य जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

... (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सिर्फ बसुदेव आचार्य जी की बात रिकार्ड में जायेगी। यह मामला राज्य का है, मंत्री जी ने सुन लिया है, वे राज्य सरकार से बात करेंगे।

... (व्यवधान)

12.05 hrs.

At this stage, Shri Shailender Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

उपाध्यक्ष महोदय: यह राज्य सरकार का मामला है, इसका यहां तो जवाब मिलेगा नहीं। यह राज्य सरकार का कानून और व्यवस्था का मामला है, इसलिए इसका जवाब तो मिलेगा नहीं।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी, आप बोलिये।

... (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, as per the latest decision of the Nuclear Suppliers Group, India cannot access sensitive nuclear technology, as India is not a signatory to the NPT. ... (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय: हम देखेंगे, जीरो ऑवर खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। जीरो ऑवर के बाद देखेंगे।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी जगह पर जाइये, हम बाद में देखेंगे। अभी नहीं बाद में देखेंगे।

* Not recorded.

12.08 hrs.

At this stage Shri Shailender Kumar and some other hon. Members went back to their seats

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जीरो ऑवर खत्म होने दीजिए, आपको बाद में सुनेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : पहले हम बता दें, उसके बाद नेताजी बोलेंगे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी।

आप इनके बाद में बोलना। जीरो ऑवर के बाद हम लोग आपको सुनेंगे।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमको बोलने दीजिए।

Sir, as per the latest decision of the Nuclear Suppliers Group, India cannot access sensitive nuclear technology. At the time of the Indo-US Nuclear Deal, we pointed out, contrary to the claims by the Prime Minister, that India will not be able to access enrichment and re-processing technology. But we were told a number of times in this House – the Prime Minister time and again told us – that the waiver was full and complete. But the US had clearly barred the technology being transferred to India. The UPA Government, at that time, claimed that exemption from the NSG will enable India to access such technology from other countries. After the latest decision of the Nuclear Supplier Group, India cannot access to such technology even from other countries. As a result of this, the apprehension expressed by us at that point of time, that we will not be able to have that technology and will not be able to reach the third phase of the nuclear technology, holds good. If we cannot reach the third phase we will not be able to utilise the Thorium. We have abundant reserves of Thorium in our country but we will not be able to reach the third phase.

The United States has never committed to export such technology. The claim that was made by the Government at that point of time was not based on

facts. The Parliament as well as the nation was misled by the Prime Minister when he said that India has got a clean waiver. It was not a clean waiver.

Sir, I demand that the Prime Minister should come and make statement as to what will happen to our nuclear technology. Why were we told time and again that waiver would be clean? Moreover, Sir, already one year has elapsed. We have passed the Nuclear Liability Bill. The Government is yet to notify the rules. Why is the Notification of the Rules being delayed? Recently, Mrs. Hillary Clinton came to India and she had put pressure on the Government to further amend the Nuclear Liability Act which was passed by this Parliament. It is because as a result of the Nuclear Liability Act, the legislation which had been enacted, the private nuclear equipment manufacturers of the United States of America will be at a disadvantageous position.

So, I demand that the Prime Minister should make a Statement clarifying in regard to clean waiver and also without further delay Notification in regard to the Rules of the Nuclear Liability Act should be issued.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एम.बी.राजेश अपने आपको श्री बसुदेव आचार्य के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

मुलायम सिंह जी, आप जानते हैं कि कानून एवं व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है, इसलिए आप केवल दो मिनट में यह बतायें कि आप केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, एक गंभीर मामले पर मैं आपके सामने और सदन के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको दो मिनट का समय दिया गया है।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या दो मिनट हो गए? वहां दंगा हुआ है। जब मुरादाबाद का दंगा होता है, तो बहुत गंभीर और खतरनाक दंगा हो जाता है। वर्ष 1980 का मुरादाबाद का दंगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दंगा था। ...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सरकार कार्रवाई कर रही है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : महोदय, जब यह स्टेट का मैटर है, तो बोलने की अनुमति कैसे दी गयी? ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनको बोलने दीजिए। हमने उनसे कहा है, वह दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह समय दो मिनट में नहीं जोड़ा जाएगा। ...(व्यवधान)

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : यूपी सरकार पूरी तरह सतर्क है कि वहां स्थिति बिगड़ने न पाए। ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह बता दीजिए।

(व्यवधान)



उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह की बात के अलावा और कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

श्री मुलायम सिंह यादव : वहां दंगा कराया गया है। वहां अत्याचार हो रहा है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके नेता बोल रहे हैं। उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : वहां पर पुलिस पूरी तरह लोगों को परेशान कर रही है। ...(व्यवधान)

लोगों के साथ मार-पीट कर रही है। वह ऐसा दंगा है जो पूरे देश में फैल सकता है। ...(व्यवधान) यह क्या बात है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इसे गंभीरता से लिया जाए। मैं गृहमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पर तत्काल बयान दें कि उन्होंने क्या-क्या उपाय किए हैं। अखबारों एवं चैनलों के ऊपर सेंसर लगा दिया गया। कोई भी यह सूचना नहीं दे सकता है कि मुरादाबाद में क्यों दंगा हो गया। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री मुलायम सिंह यादव : देश के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ...(व्यवधान) मुरादाबाद में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मुसलमानों को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। यह खतरनाक है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

डॉ. भोला सिंह (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के नवादा जिले में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना जिले की चेतना बन गई है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ भोला सिंह जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)*

डॉ. भोला सिंह: यहां नवादा, हिसुआ, तिलैया, बारसलीगंज, काशीचक्र रेलवे सब स्टेशनों में सैंकड़ों केन्द्रीय कर्मचारी कार्यरत हैं। ...(व्यवधान) उनकी संख्या 500 से अधिक है पर उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। इससे उनमें गहरा असंतोष है। जिले में सैंकड़ों डाकघर हैं। उनमें केन्द्रीय कर्मचारियों का ठहराव है उनके बच्चे भी ऐसे विद्यालय में पढ़ने से वंचित रहते हैं। वर्ष 2003 में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोल चुके हैं। अब बैठ जाइए। आपकी पार्टी के सदस्य ही बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. भोला सिंह : वह किराए के मकान में चलने लगा था, फिर वह बन्द कर दिया गया। एक वर्ष पूर्व श्री संगीत सिंह ने स्वेच्छा से केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए 8 एकड़ जमीन दान में निबंधन कर दिया है जिसकी सूचना केन्द्रीय विद्यालय संगठन को दी जा चुकी है। ...(व्यवधान) अस्थायी तौर से निजी भवनों में केन्द्रीय विद्यालय चलाने के लिए स्थान का चयन भी किया जा चुका है, पर अभी तक इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है जो चिंता का विषय है। मैंने लगातार संसदीय प्रक्रिया का अनुगमन करते हुए नवादा में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए सरकार का ध्यान खींचा है पर वह भी फलित नहीं हो पा रहा है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इनको समाप्त करने दीजिए।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

डॉ. भोला सिंह : अतः मैं मानव संसाधन विकास विभाग के माननीय मंत्री से सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार ने जो मानक तैयार किए हैं नवादा उसकी अभिपूर्ति करता है जिसकी मान्यता मिलनी चाहिए। अतः नवादा में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए सरकार अतिशीघ्र कर्वाइ करे। इस ओर सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करता हूँ। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : योगी जी, आप एक मिनट में अपनी बात बोलिए।

12.19 hrs.

At this stage Shri Shailender Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): मुरादाबाद में पिछले 4 दिनों से लगातार दंगे हो रहे हैं। ...(व्यवधान)
हिंदुओं को धार्मिक कार्यक्रम से वंचित किया गया। जलाभिषेक के कार्यक्रम के लिए जानेवाले हजारों कांवड़ियों पर हमले किए गए। ये हमले पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुए हैं। वहां पर शासन और प्रशासन दोनों पूरी तरह फेल हैं।...(व्यवधान)


उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : इसलिए मैं मांग करता हूँ कि हिन्दुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। वहां पर हमले तीन-चार दिन से लगातार चल रहे हैं।...(व्यवधान) मुरादाबाद के समाचारों को पूरी तरह सेंसर कर दिया गया, रोक लगा दी गई। वहां की खबरों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है।...(व्यवधान) मुरादाबाद पहले से ही संवेदनशील जगह है। इसलिए हम आप के माध्यम से मांग करते हैं कि मुरादाबाद में हिंदू धार्मिक कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए।

वहां के विभिन्न मोहल्लों में जो हिन्दू अल्पसंख्यक है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाए। वहां केन्द्रीय दल भेजा जाए और मुरादाबाद की स्थिति को नियंत्रित किया जाए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

 ...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भारत सरकार के मेगा फूड पार्क की स्थापना के

* Not recorded.

विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 के बजट में पांच मेगा फूड पार्क स्वीकृत करने की योजना बनाई थी। इस साल के बजट में भी मेगा फूड पार्क स्थापित करने की योजना है। बीकानेर मुख्यालय मेगा फूड पार्क स्थापित करने की पूरी पात्रता रखता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार की फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से मांग करता हूँ कि बीकानेर मुख्यालय पर मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाए ताकि वहाँ पशुपालकों को लाभ मिले, गृह उद्योगों में कार्यरत लोगों को लाभ मिल सके और औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हो सकें। हमारे वहाँ स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है। उसमें यह तकनीकी विषय भी शुरू हो सकता है जिससे युवा वर्ग को रोजगार मिलेगा।...(व्यवधान) मैं मांग करता हूँ कि बीकानेर मुख्यालय में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री द्वारा एक मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाए जिससे गृह उद्योग जैसे पापड़, भुजिया, नमकीन आदि के काम को बल मिले और जो महिलाएं इन्हें बनाती हैं, उन्हें भी रोजगार मिले। धन्यवाद।... (व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to raise a matter of serious public importance which relates to the urgent need of the creation of many decade old and much-long awaited separate State of Bodoland. An age-old and a very long pending issue relating to the urgent need of bringing about an honourable and a lasting political solution to the burning Bodoland statehood imbroglio has been long overdue... *(Interruptions)*.

12.24 hrs.

At this stage Shri Shailender Kumar and some other hon. Members went back to their seats

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : As on today, the present UPA-II Government has already announced a policy decision with regard to the creation of the much long awaited separate State of Telangana but the same policy should have been declared by the Government of India with regard to the creation of the much long awaited separate State of Bodoland also. The attainment of a separate State of Bodoland is the birth right of the indigenous Bodo people. Therefore, I would like to strongly urge the Government of India to take appropriate steps to help create the much long awaited separate State of Bodoland

within the framework of the Indian Constitution without any further more delay.

No Bodoland : No Rest... (*Interruptions*) मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द बोडोलैंड बनाया जाए।... (व्यवधान)

I would like to appeal the whole nation and the whole Parliament to extend their unequivocal support to the urgent need of the creation of the much long awaited separate State of Bodoland. It is the genuine demand of the Bodo people. The demand for the creation of a separate State of Bodoland is the historical prerogative of the Bodo people... (*Interruptions*) यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। That is our birth right. Without a separate State of Bodoland, the indigenous Bodo people of that region cannot survive... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : अब इनकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

... (व्यवधान)*

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): A preliminary examination of the Jaitapur Nuclear Power Plant project shows that there is no scientific, technical and economic justification for the project which is going to adversely affect the livelihood of thousands of people and cause unimaginable damage to the bio-diversity and environment in the area. It is apparent that it is being pushed for purely political consideration in the wake of a new discredited Indo-US nuclear deal, I strongly condemn the manner in which the Government of Maharashtra and the Nuclear Power Corporation Limited have used force to acquire the land for the project and the manner in which the Government has trampled upon the democratic rights of the project and resorted to brutal *lathi* charge and firing to cow them down. Already two young men have become martyr, and several people including women, children and elderly people have been injured in the last few months. What is more condemnable is the fact that it has been reported that the Central Government plans to amend the Atomic Energy Act to acquire land in and around Jaitapur Nuclear Plant by which it will allow the Centre to merely issue an

* Not recorded.

order barring the farmer from use and enjoyment of their lands, proximate to any nuclear research production and disposal facility to ensure unhindered access. The proposed amendment also will provide the Central Government power to declare a prohibited area where in and around the area Forces could be deployed. In view of the nuclear catastrophe in Fukushima, Japan the security and the future of the nuclear power reactors world over has come into serious question.

I strongly urge upon the Central Government that the nuclear power project that is going to be built in Jaitapur should immediately be stopped because it is posing a threat to the residents in and around that plant and is also endangering the safety and security of the whole nation. So, I urge upon the Government once again to stop the Jaitapur Nuclear Power Plant project.

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरुच): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल के दौरान इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह विषय सामयिक एवं जनहित में है। देश में बच्चों के गुम होने की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कई सूचनाओं के अनुसार देश में हर घंटे एक बच्चा गुम हो रहा है। दिल्ली में रोजाना सात बच्चे गायब हो रहे हैं। एक बच्चे के गायब होने के बाद उस परिवार की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जो लोग बाहर से रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं या अन्य शहरों में जाते हैं, उनके बच्चों के गुम होने की संख्या ज्यादा होती है। मुझे खेदपूर्वक सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि गायब बच्चों की बरामदी दर आधे से भी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 921 गुम हुए बच्चों में से केवल 315 बच्चों का पता ही सरकार चला पायी है। पिछले साल गुम हुए 500 बच्चों का कुछ पता नहीं चला। ये बच्चे किसी षडयंत्र का शिकार हो सकते हैं, शरीर के अंग निकालने वाले अपराधियों या गुमराह करने वाले शिकारियों के शिकार हो सकते हैं। पुलिस की भूमिका इस संबंध में बड़ी ही निराशाजनक है। बच्चा गायब होने के एक साल बाद अखबारों में सूचना दी जाती है। इस संबंध में पुलिस भी कोई समन्वय कार्य संतोषजनक नहीं कर पाती है। इससे पुलिस के कार्यों पर गंभीर प्रश्नचिह्न उठ सकते हैं। न्यायालयों के माध्यम से भी पुलिस को कई बार फटकार भी मिल चुकी है। न्यायालय ने एक विशेष दल का गठन करने का भी निर्देश दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बच्चों के गुम होने की घटनाओं की सघनता से जांच की जाये और इस संबंध में समन्वयकारी कार्यों की समीक्षा की जाये

MR. DEPUTY SPEAKER: The following Members may be allowed to associate themselves with the submission made by Shri Mansukhbhai D Vasava:

Shri C.R.Patil, Devji M Patel, Shrimati Jyoti Dhurve and Shri Shivkumar Udasi

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Mr. Deputy Speaker Sir, I would like to raise an important and common problem prevailing in many States of the country.

Countless number of children go on missing every year in many States of the country. In 2005, the National Human Rights Commission informed that on an average 44,000 children are reported missing every year and as many as 11,000 of them remain untraced. Many NGOs claim that the estimates of missing children are much higher than reported.

Children are tempted in many ways by anti-social elements. There are cases where infants are lifted from hospitals and young children are abandoned by parents. Children who go missing may be exploited and abused for various purposes. There are instances where infants are sold to childless couples, employed in tea stalls, involved in begging and prostitution, etc. The ultimate aim is to extort money.

Most of these children come from poorer families who do not have access to police services and even if reported, they are not taken seriously by the police. According to CBI, there are over 800 gangs involved in child lifting and are operating across the country. Every child is precious and much more needs to be done to counter the menace of missing of children.

The NHRC has made several recommendations to the Union and State Governments on this issue.

I humbly urge upon the Union Government to take necessary steps and enact stringent laws to safeguard and protect the children of the country from missing. The Government may direct all the State Governments to take stringent action in this regard.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.T. Thomas and Shri Anto Antony are allowed to associate himself with the issue raised by Shri Ramasubbu.

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): महोदय, बुंदेलखण्ड में कई करोड़ रुपये खा गयी उत्तर प्रदेश की सरकार।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री घनश्याम अनुरागी : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है। इसकी जांच कराने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 49 करोड़ रुपये के पेड़ लगाए...(व्यवधान) यह बहुत गंभीर मामला है, इसकी जांच कराने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सार्वजनिक महत्व का प्रश्न सदन के सम्मुख आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। हमें मालूम है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में और यूरोप के अनेक देशों में फिर से एक नया आर्थिक संकट पैदा हो गया है। वह संकट केवल अमेरिका या अन्य दो-तीन देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ है, वह बहुत गंभीर है और उसके परिणाम अमेरिका के निवासियों को तो भुगतने ही पड़ रहे हैं, लेकिन वहां जो भारतीय गए हैं और जो वहां हजारों की संख्या में हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। यहां की जो आईटी कंपनीज हैं, जो वहां से बीपीओ कर रही हैं, उनके प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, जैसे ही अमेरिका के बाजार में गिरावट आती है, उन कंपनीज को नुकसान होता है, कंपनीज बंद होती हैं, उसका सीधा असर हमारे यहां की आईटी कंपनीज पर आता है। अब अमेरिका में एक नई मांग हुई है, जो इंग्लैंड में भी हो रही है और जो अन्य देशों में भी होगी कि अगर वहां बेरोजगारी हुई है, तो वहां जो बेरोजगार उस देश के निवासी नहीं हैं, जैसे गैर-अमेरिकन हैं, गैर-ब्रिटिश हैं, उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए, उन्हें नौकरी न दी जाए। यह संकट लंदन में खड़ा हो गया है। सारे इंग्लैंड के अंदर आज आग लगी हुई है और उसका मुख्य कारण यही है कि भारतवासियों, एशियावासियों, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, के बारे में वहां यह मांग की जा रही है कि वापस भेजो। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ग्रीस में, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में बौखलाहट है। जर्मनी और फ्रांस डरे हुए हैं कि ये सारे लोग अब वहां से इनके यहां न आ जाएं। आज सारी यूरोपीय यूनियन के सामने संकट आ गया है कि वह इस बढ़ते हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या करे। यूरोपीय यूनियन के सामने यह सामूहिक संकट खड़ा हो गया है। चीन घबरा रहा है, क्योंकि चीन का बहुत सारा पैसा अमेरिका के पास रखा हुआ है। भारत के सामने भी यह



गम्भीर संकट है। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे डालर्स, सब के सब अमेरिकन ट्रेजरी में हैं। अमेरिका कर्ज भुगतान करने में असमर्थ हो रहा है। अभी आपने देखा कि उनके यहां क्राइसेज़ ही इसी बात का था कि अमेरिका कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हो रहा है। वहां के देश में अंदरूनी गड़बड़ हो रही है, वहां की पार्टिज के बीच में मतभेद है। बड़ी मुश्किल से ओबामा उस समझौते को करा पाए हैं। नतीजा यह है कि इसका सारा दुष्परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। रुपए की कीमत गिरने और उठने से आयात और निर्यात पर प्रभाव पड़ता है। अगर रुपया बहुत ज्यादा गिर जाए तो इम्पोर्ट पर असर पड़ता है। एक्सपोर्ट वाला खुश होगा, लेकिन वह निर्यात करेगा किसे, क्योंकि आज अमेरिका और यूरोपीय बाजारों की खरीदने की ताकत कम हो गई है, खर्च करने की ताकत कम हो गई है। वे पहले ही इतना खर्च कर चुके हैं कि उसका भुगतान कहां से करेंगे। कई ट्रिलियन डालर्स का अमेरिका ने कर्ज लिया है और वह सबसे बड़ा कर्जदार देश है। तीन पीढ़ियों तक का कंज़म्पशन उन्होंने कर लिया है। उनके सामने सवाल यह है कि कर्ज तो इन्होंने लिया है, अब चुकाएगा कौन, पूरा कौन करेगा?

यह बड़ा गम्भीर सवाल है। यह इस बात की तरफ इंगित करता है कि जो डवलपमेंटल इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने स्वीकार किया है, वह गलत है। वह सारी दुनिया के लिए खतरनाक है। मुझे आज प्रसन्नता हुई जब हमारे एक मंत्री जी ने बयान दिया कि हम इसलिए बचे हुए हैं कि हम सेव करते हैं। अमेरिका और यूरोप इसलिए फंसे हुए हैं कि वे सिर्फ खर्च करते हैं। इसलिए इकोनॉमिक डवलपमेंटल का जो मॉडल है, सेविंग का और पर्यवारण का, अभी शायद जयराम रमेश जी यहां मौजूद नहीं हैं, सारा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। यह अर्थव्यवस्था का सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। इस संकट को सिर्फ अखबारों तक ही सीमित न समझें। एक और संकट पैदा हो रहा है। सोने का और चांदी का दाम बढ़ रहा है। इन्वैस्टमेंट बजाय किसी रचनात्मक काम के इस तरफ जा रहा है। लोग बुरे दिनों के लिए सोना खरीद कर रख रहे हैं, चांदी खरीद कर रख रहे हैं। ये सवाल गहरे हैं और केवल यह कह देने से कि हमारी ग्रोथ ठीक होगी, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। रंगराजन साहब ने कहा है कि बहुत मुश्किल है ग्रोथ को बनाए रखना। मंत्री जी कहते हैं कि ग्रोथ मुकम्मिल रहेगी। प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि ग्रोथ मुकम्मिल रहेगी। जबकि बाजार कहता है कि यह खत्म नहीं होगी। इसलिए यह गम्भीर प्रश्न है। इस पर भारत की समस्त अर्थव्यवस्था संकट में पड़ने वाली है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है और ग्रोथ के सारे कयास नष्ट होने वाले हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर मंत्री जी सदन में बयान दें और सदन इस पर पूरे तौर पर चर्चा करे कि जो हमने आज का इकोनॉमिक डवलपमेंटल का मॉडल ले रखा है, वह बिल्कुल गलत है। उसके स्थान पर एक नए भारतीय मॉडल के विकास करने की जरूरत है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, मैं जोशी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सम्बद्ध हो जाएं और अपना नाम भेज दें।

Hon. Members, Shri Virender Kashyap, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Shivkumar Udasi, Shri Devji M. Patel, Shri C.R. Patil, Shrimati Jyoti Dhurve, Shri P.L. Punia, Shri Ramen Deka are allowed to associate with the matter raised by Dr. Murli Manohar Joshi.

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY (JALPAIGURI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for your kind permission to me to raise a serious matter in the House. ...

(Interruptions)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): जोशी जी ने जो सवाल उठाया है.

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि बहस होनी चाहिए। सरकार इस पर सोचेगी।

श्री शरद यादव : आज जो ब्रिटेन में हो रहा है, उसका भी कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं जोशी जी की बात से सहमत हूँ कि आज वहां जो आग लगी है उससे पश्चिमी सभ्यता का पतन शुरू हो गया है। उस पतन का नतीजा यह होगा कि हम तो डूबेंगे ही आपको भी ले डूबेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात रिकार्ड में आ गई है इसलिए अब आप बैठ जाएं।

SHRI MAHENDRA KUMAR ROY: I informed you that there is an acute problem of tea garden workers of Terai and Dooars area in my constituency Jalpaiguri in West Bengal. A previous three-year wage agreement ended on 31st March, 2011. ... *(Interruptions)* But the new agreement was not made despite four sittings already held. Now, all the Trade Unions, including the INTUC, the CITU, etc., have called for a three-day strike from 10th to 12th August, 2011. The strike is on and fifteen lakh of tea garden workers have joined this strike.

At present, a permanent tea worker gets only Rs.67/- per day in the Terai and Dooars area. As per MGNREGS, the workers should get a minimum of Rs. 130/- per day. So, the tea garden workers have been deprived by the tea garden owners. The Coordination Committee of the Trade Unions, which includes more than 20 organisations like CITU, INTUC, have decided to strike after a failed attempt to



reach an agreement on 4th and 5th August, 2011. A tripartite meeting in Kolkata called by the State Labour Department to finalise a wage agreement between the State, planters and trade unions ended without any settlement. No result has come from this tripartite meeting. The Coordination Committee of Planters Association (CCPA) was reluctant to increase wages for tea workers following the trade union demands. The angry trade union leaders have called three days strike from 10th August to 12th August, 2011. The strike has started and it is continuing from 10th August. The demand of the tea garden workers is to fix the wage rate at Rs. 167/- per day *in lieu* of Rs. 67/- with variable Dearness Allowance. But the tea garden owners did not pay attention to solve the same. *Bhartiya Adibashi Vikas Parishad* backed trade unions has already stopped dispatching tea from factory and warehouses in the Terai and Dooars area from 9th August and called an indefinite strike from 9th August.

There is no alternative way to demand an increase in tea garden workers wages. All the trade unions called a strike when planters were inflexible and refused to accept their demands.

So, I would like to urge upon the Union Government to resolve the present crises of the tea workers. I would also request the hon. Minister to constitute a Labour Wage Board immediately.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष जी, शरद यादव जी जब बोल रहे थे, तब माइक ही नहीं चला। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शरद यादव जी, ये जो बोल रहे हैं, इनके भाषण के बाद आप बोलिये।...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि जब शरद यादव जी बोल रहे थे तो इनका माइक क्यों नहीं चला?

उपाध्यक्ष महोदय : माइक चलेगा, आप बैठ जाइये। शरद यादव जी, आप इनके बाद बोलियेगा, अभी बैठ जाइये। ...(व्यवधान)


श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष जी, इस विषय पर सभी दलों को बोलने दिया जाए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी लोग अपने को इनके कथन से सम्बद्ध कर दीजिए। शरद यादव जी, आप बोलिये। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, यह विषय क्योंकि नियम 377 में उठाया गया है इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। यह जीरो आवर है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल संक्षेप में, एक-डेढ़ मिनट में, अपनी बात को रखूंगा। मैं माननीय जोशी जी की सारी बातों के साथ संपूर्ण तौर पर सहमत हूं। एक बात और मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि इस सभ्यता के बारे में डा. लोहिया कहते थे कि यह जो इतिहास चक्र है इसमें कभी हम लोग बहुत ऊपर थे, कभी कोई सभ्यता पीक पर जाती है और फिर नीचे आ जाती है। उनका कथन विंडिकेट हो रहा है क्योंकि यह सभ्यता, ब्रिटानिया सभ्यता, अब पतन की ओर है। ब्रिटानिया में जो कुछ हो रहा है, वह इस तरह से हो रहा है कि वहां का और भारत का जो मीडिया है वह कुछ समझ नहीं पा रहा है। वहां कुछ इस तरह से सेंसरशिप चली है कि सच्चाई और हकीकत बाहर आ नहीं रही है कि वहां क्या हो रहा है? मैं मानता हूं कि आपने सारे मूल्यों और नैतिकता को खत्म कर दिया, मौज करो, खाओ, पीयो और लूटो और वहीं लोग हैं जो एसएमएस कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): वैलेंटाइन-वैलेंटाइन करके सब नाश कर दिया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी, आपको जब बुलाएंगे, तभी बोलियेगा, अभी आप बैठ जाइये।

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, नई सभ्यता का जो विस्तार हुआ है, इस विस्तार को करने में उनकी सभ्यता का हाथ है, यह उन्हें ही समझ नहीं आ रहा है। आज ब्रिटानिया की संसद बैठकर माथा मार रही है कि क्या हो रहा है। अगर वे एक जगह खड़े होते हैं, तो दूसरी जगह हो जाता है और दूसरी जगह खड़े रहते हैं तो तीसरी जगह हो जाता है। हम उस सभ्यता को अपना आदर्श मान रहे थे और उसके चलते पूरे देश में एसएमएस तथा तमाम दूसरी तरह की चीजें चल रही हैं। जिस सभ्यता को हमने पकड़ा  पतन की ओर जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री शरद यादव : वे तो डूबेंगे, उनके साथ हम भी डूबेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी नकल छोड़ो और देश बचाओ। जिस चीज में आपने उनकी नकल नहीं की, उस चीज में आप बच गए हैं। आपने बैंक में उनको नहीं माना, इसलिए बच गए। यदि उन्हीं को देख कर बैंक को भी खोल देते, तो आपकी भी वैसी ही दुर्दशा होती। मैं जोशी जी का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, there is a unanimity in the House. All the Members in the House are unanimous in telling the Government:

“Do not be a victim to the American model of economic reforms and do not be a victim of the World Bank model in India.” If you do it, the same thing that is happening in London will be happening in India. Inflation, unemployment retrenchment, poverty and deprivation are all resulting in social convulsion.... (Interruptions) The Government of India and Dr. Manmohan Singh must give up their economic reforms and put India back on the Indian model so that India is safe from the decadence that has totally affected the Western world. We must have the Indian model – no American model, no World Bank model. We must be humane. We must take care of the human problems. Otherwise, the same will happen in India. We are sitting on a volcano.... (Interruptions) So, the Government must stop the economic policy. I join Dr. Murli Manohar Joshi in demanding a discussion on the economic policy, privatization, liberalization and globalization.

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, शरद यादव जी ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया था। ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है, उसके कारण लाखों हिंदुस्तानी वहां से भाग रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि वहां से कैसे भागें। यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। हिंदुस्तान भी इसकी चपेट से बच नहीं सकता है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है? आप तो हमेशा अमरीका के पिछलग्गू बने रहे हैं और हम विरोध करते रहे हैं। आप हर समय अमरीका-अमरीका ही करते रहे हैं। अब अमरीका दिवालिया हो गया है। आज हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा रहेगा और हिंदुस्तान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर अमरीका पर किसी ने भरोसा किया है और उसके पिछलग्गू बनी है, तो यह सरकार बनी है। देश पर खतरा है तथा हमें आशंका है कि अमरीका की वजह से कहीं हिंदुस्तान पर भी असर न हो जाए।

सवाल यह है कि सरकार वहां क्या कर रही है? भारत के लोग अमेरिका से भाग रहे हैं। उनका क्या इंतजाम किया है? भारतीय अमेरिका और इंग्लैंड से भाग रहे हैं...(व्यवधान) उन लोगों के लिए...(व्यवधान) सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, अब आपकी बात पूरी हो गई। अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)



श्री मुलायम सिंह यादव : उन लोगों के लिए जो हिन्दुस्तान के हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा है? यदि उन पर संकट आएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सब लोग अपने को सम्बद्ध कर रहे हैं। मामला गंभीर है।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने जो गंभीर सवाल उठाया है,...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप गंभीर हैं न?

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हमारी बात सुनिए। अगर आपको इन चीजों में रुचि नहीं है तो हम बैठ जाएंगे।...(व्यवधान)
सारा देश रो रहा है, साधु-संत रो रहे हैं, ऋषि-महर्षि रो रहे हैं, क्या हमारा देश बनने जा रहा है? मुरली मनोहर जोशी जी ने पाश्चात्य देशों का अंधाधुंध अनुकरण जो हम करते चले गये हैं और हम यह मानते गये कि हम एडवांस्ड हो गये हैं, हम दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं। जिन बातों की तरफ उन्होंने इशारा किया है, खुलकर बात नहीं हो रही है। यह सवाल गरीबी और अमीरी का नहीं है, मारकाट का सवाल नहीं है। हमारा देश क्या बनने जा रहा है? भारत की भूमि स्वर्ग से भी बड़ी है और यह धरती ऋषि-मुनियों की मानी गई है जिसे भारत माता कहते हैं। आज हमारी भारत माता के सामने क्या हो रहा है? इसी दिल्ली में जिस सभ्यता का अनुकरण करने के कारण ये सारी परेशानी हो रही है, नंगे होकर हजारों लोग सड़कों पर निकले, जश्न मनाया और अपने चेहरे पर रंग-बिरंगे टैटूस बनवाए। बहुत गंभीर बात है। यह देश अब इन सब बातों से बचा नहीं है और न बचने वाला है। हम इस पर बहस चाहते हैं चाहे देश के सामने जो कुछ भी नतीजा आए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपकी बात समाप्त हो गई न?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी, आप हमसे बात कीजिए। इधर देखकर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : समलैंगिक का कानून आपने एडॉप्ट कर लिया।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपका हो गया न? आपने सिर्फ सम्बद्ध करने की बात कही थी। अब आपकी बात समाप्त हो गई।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदय, महिला महिला से शादी करेगी,...(व्यवधान) इसको आपने चुपचाप बैठकर एडॉप्ट कर लिया।...(व्यवधान) आईपीसी की धारा 377 के तहत पुरुष पुरुष से शादी करेगा। देश की जनता को अभी सारी बात का खुलासा नहीं हुआ है और शर्म के कारण हम लोग बातों को नहीं बता रहे हैं। धारा 377 है जिसमें अननैचुरल ऑफेंस जिसे कहते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया और लोग यहां हाथ पर हाथ धरकर बैठे रह गये, आगे नहीं गये। यह ऋषियों-महर्षियों का देश है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।


श्री लालू प्रसाद : बहुत गंभीर मामला है। कृपया हमारी बात सुनिए।

चाहे अनचाहे जो भी है, हमारी बात रिकॉर्ड में रहेगी, आप इसे मानिए या न मानिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकॉर्ड में रहेगी।

श्री लालू प्रसाद : आप इन्टरस्ट मत लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ज्यादा इन्टरस्ट मत जगाइए।

...(व्यवधान) 

श्री लालू प्रसाद : आप सुनिए, आपका काम सुनना है। हम सबसे पहले सूर्य मंदिर गए थे, वहां हमने चारों तरफ नंगी तस्वीरें देखीं। हमें काफी आश्चर्य हुआ कि भगवान के मंदिर में नंगी तस्वीर क्यों है, तरह-तरह के आसन क्यों हैं? खजुराहो मंदिर पर आसन क्यों हैं? तब हमें किसी ने बताया कि एक समय था कि सैक्स के प्रति लोगों की विरक्ति हो गई थी, जनसंख्या घट रही थी। भारत की लाज है कि भारत की बेटियां और महिलाएं आंख उठाकर नहीं देखती है। हमें बताया गया कि सैक्स के प्रति तब लोगों की विरक्ति हो रही थी, मंदिर के प्रति, रिलीजन के प्रति लोग भीरु हो गए थे। जब जनसंख्या का खतरा होने लगा तब नंगी तस्वीरें दिखाई गईं ताकि सैक्स के प्रति लोगों के मन में भावना आए, तब ये बनाया गया था। लेकिन अब कितने मंदिर बनाएंगे? नंगापन, चैटिंग, वेलेंटाइन, इन्टरनेट, आई-पॉट, फेसबुक अमेरिका से लाए और आज चारों तरफ नग्नता हो रही है। क्या हमारा देश बचा है? हम जीतकर आते हैं, यहां हाथ पर हाथ रखकर टुकुर-टुकुर देखते हैं। जोशी जी ने ठीक कहा है कि यह भारत है, भारत की भूमि है, हमारी संस्कृति बरबाद की जा रही है, चौपट की जा रही है, हमारी विरासत चरमरा रही है। इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है, ध्यान दिया जाए।...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने आपका नाम नहीं बोला है। लालू जी, आपकी बात हो गई है, संक्षेप में बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस स्थान से बोलने की इजाजत दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इजाजत है।

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं संबद्ध करते हुए सिर्फ डेढ़ मिनट में बात समाप्त करना चाहता हूं। मेरा कहना है कि जब-जब भारत में दूसरे मॉडल की नकल की गई है, तब-तब धड़ाम से गिरा है। 1954 और 1957 के बीच हम समझते थे की यूएसएसआर बहुत बड़ी चीज है। हम एक लैफ्टिस्ट माडल को यहां ले आए। कोई भी अधिकारी अगर कालमाक्स की किताब लेकर, कैपिटल की किताब लेकर खाकी फुल पैंट पहनकर घूमता था तो लगता था बहुत संपन्न है, बहुत इंटेलेक्चुअल है। हम उस मॉडल में आए, जहां से वह मॉडल शुरू हुआ, यूएसएसआर के साथ बहे और धड़ाम से गिर गए। आप जानते हैं कि कजाखिस्तान से चेचेन्या सात भाग हुए। नव लैफ्टिस्ट मॉडल, इस समय इंडस्ट्रियल अनरैस्ट आदि, इसकी देन है। जब हम वहां से नकल नहीं कर पाए तो अमेरिका की तरफ चले गए। इसका नतीजा हो रहा है कि हमारे देश में कारें और मोटर के पुर्जे ज्यादा बन रहे हैं जबकि गेहूं और दाल कम पैदा हो रहा है। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान की असली ताकत एग्रीकल्चर बेस, गांव की सभ्यता बेस है, उस पर फोकस किया जाए। आप जान लीजिए, एक टैस्ट 2010 में हुआ था, 12 साल तक के बच्चों को अमेरिका में व्हाइट हाउस दिखाया गया तो 87 परसेंट बच्चे व्हाइट हाउस नहीं पहचान पाए जबकि हिन्दुस्तान के 97 परसेंट पहचान गए।

13.00 hrs.

लेकिन जो हिंदुस्तान के बच्चे थे, उनमें से 97 परसेंट पहचान गये। इससे सिद्ध होता है कि हमारे यहां की इंडस वैली सिविलाइजेशन उनसे ज्यादा बुद्धिमान है, उनसे ज्यादा पढ़ी-लिखी है। इसलिए हमें अपना ही मॉड्यूल अपनाए रखना होगा।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी): उपाध्यक्ष महोदय, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को अपनी हिलोरो से भिगोने वाला अरब सागर समुद्री दुर्घटनाओं का केन्द्र बनता जा रहा है। पिछले डेढ़ साल में ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से मुंबई महानगर के साथ-साथ देश के लिए भी खतरा पैदा होने की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी हैं।

पिछले डेढ़ साल में मुंबई के इर्द-गिर्द दो तरह की समुद्री दुर्घटनाएं देखी जा सकती हैं। 23 मार्च, 2010 को भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज आईसीजीएस विवेक के साथ मर्चेंट नेवी के जहाज एमवी ग्लोबल प्युरिटी की टक्कर हुई। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जिन लोगों ने नाम लिखकर दिये हुए हैं, हम उन्हें बुला रहे हैं। आपने अपना नाम लिखकर नहीं दिया है, इसलिए आप बैठ जाइये।

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : 7 अगस्त, 2010 को मर्चेन्ट नेवी के दो जहाज एमवी चित्रा एवं एमवीआई खलीजिया-3 की टक्कर से समुद्र में फैले तेल से मुम्बईवासियों को काफी परेशानी हुई। 31 जनवरी, 2011 को भारतीय नौसेना का एक जहाज साइप्रस देश के मर्चेन्ट नेवी के जहाज को टक्कर मारने के बाद विंध्यगिरी मुम्बई बंदरगाह के पास डूब गया। इसके अलावा 26 साल पुराने जहाज एमवी विजडम को तोड़ने के लिए श्रीलंका के बंदरगाह से खींचकर गुजरात ले जाया जा रहा था, परंतु बीच में ही यह खींचकर ला रहे जहाज से अलग हो गया।

यदि मुम्बई या देश में यह सब होता रहा तो यह देश की सुरक्षा के साथ-साथ जलीय जीव-जंतुओं एवं पर्यटकों के लिए भी खतरा है।

मेरी मांग है कि इन सबकी रोकथाम के लिए सरकार को उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): Sir, a discussion was allowed and you only heard one side of the House. You please allow the other side to be heard... (*Interruptions*)

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I take this opportunity to request the Government to kindly revoke its move to deregulate the price of urea. Deregulation allows fertilizer manufacturers to fix the price of urea. It will conduce to hike of urea price, different prices for urea produced by different manufacturers, unhealthy competition among various fertilizer manufacturers, and closing down of public sector fertilizer manufacturers using Naphtha, which is a less cost-effective feedstock. But more alarming consequence of price deregulation would be on farming community and food security.

Hiking prices of fertilizers have been the major concern of the farmers since April 2010, with the deregulation of the prices of non-urea fertilizers. The prices of non-urea fertilizers have risen by 25 per cent to 30 per cent after the deregulation.

As per prediction, urea price deregulation may result in a 15 per cent hike in its price. Since urea consists of 60 per cent of India's total fertilizer consumption, its price deregulation will adversely affect the farmers, who are the most vulnerable community in the country. About 60 per cent of farmers in the country are subsistence farmers and they cannot afford the price hike in urea. As a result, the quantity of agricultural produces in the country may drop into a dangerous level and it will have an adverse impact on food security.

It is proved that hiking prices of agricultural produces play a major role in the inflation we face today. Deregulation of urea price will further engulf the situation.

After the price deregulation, urea made of Naphtha and urea made of gas will come out with different prices into the market. Since the cost of production in the Naphtha based units are higher than its gas based counterpart, the price of urea produced by the former will be costly than the latter.

It is also proved that urea price regulation will adversely affect our public sector fertilizer manufacturers that use Naphtha as a feedstock. Most of the urea

production units in South India, including the Fertilizers and Chemicals Tranvancore Limited (FACT) in Kerala are based on Naphtha.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI ANTO ANTONY : I am concluding, Sir.

The Government demands all Naphtha based urea units to switch over to gas in a period of three years. But there is no scheme to ensure adequate supply of gas and infrastructural facilities as well as investment requirements to these units within the stipulated period.

Therefore, after three years, naphtha-based urea manufacturers will not be able to compete with its gas-run counterparts and will have to eventually shut down. Now, about 70 per cent of the domestic urea production is based on gas and the rest on naphtha and furnace oil. This means, India is going to face the shortage of urea and in this way you are allowing foreign manufacturers to conquer Indian fertilizer market.

Having set forth these grave impacts, I humbly request the Government to not to deregulate the price of urea.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Shivkumar Udasi, Shri Devji M. Patel, Shri A.T. Nana Patil, Shri C.R. Patil and Shrimati Jyoti Dhurve are allowed to associate with the issue raised by Shri Anto Antony.

श्री हरिभाऊ जावले (रावेर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र का आज आठवां दिन है। पूरे देश में 60 प्रतिशत आबादी किसानों की है। मैं सदन के सामने किसानों की समस्या को रख रहा हूँ। पूरे देश और विशेष कर महाराष्ट्र राज्य में किसानों की समस्या उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर है। उर्वरकों में पोटाश खाद पूरे देश में कहीं भी नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र राज्य ने केन्द्र सरकार से 2.6 लाख मिट्रिक टन पोटाश की मांग की थी। अभी केन्द्र सरकार में उर्वरक मंत्री कौन हैं, हमें यह भी मालूम नहीं है। हमने 2.6 लाख मिट्रिक टन पोटाश की डिमांड की थी, जिसमें से केवल 50 हजार मिट्रिक टन पोटाश ही मिला है। अगर महाराष्ट्र के किसानों को 20 प्रतिशत पोटाश मिलेगा तो वहां कोई भी उत्पादकता नहीं होगी। जब सदन में मांगों के ऊपर चर्चा होती है तो सभी ओर से खाद्यान्नों की मंहगाई पर अटैक होता है। लेकिन किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता है। किसानों को उर्वरक मिलता नहीं है।

उर्वरकों की शार्ट सप्लाई है, शार्ट सप्लाई से कालाबाज़ारी होती है और कालाबाज़ारी होने से महंगाई होती है। इसी वजह से हमारा किसान मर रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन में यह मांग रखता हूँ कि महाराष्ट्र राज्य में पोटाश की त्वरित उपलब्धता कराई जाए। 4 अगस्त को हमारा तारांकित प्रश्न था। हमारी सरकार ने भी यह मान्यता दी है कि पोटाश की उपलब्धता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षिप्त करें।

श्री हरिभाऊ जावले : उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है जो कि किसानों से संबंधित है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे थोड़ा टाईम दीजिए। पोटाश खाद कहीं भी नहीं मिल रही है। जलगांव जिला, जो मेरा संसदीय क्षेत्र रावेर है, वहां से पूरे देश में केला सप्लाई होता है। केला गरीबों और आम आदमी का फल माना जाता है। अगर केले के लिए पोटाश खाद नहीं मिलेगी तो तो जलगांव के किसानों को हजारों-करोड़ों रूपयों का नुकसान हो सकता है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि जलगांव जिले में पोटाश खाद की त्वरित उपलब्धि कराई जाए। अगर पोटाश नहीं मिलती है तो किसान वॉटर सॉल्युएबल पोटाश को महंगा होने के कारण इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए वॉटर सॉल्युएबल फर्टीलाइज़र पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए। अगर पोटाश नहीं मिली तो सिगाटोगा नाम की डिज़ीज़ जो कि केले के ऊपर होती है, वह होगी। अभी कृषि मंत्रालय ने उसके ऊपर 90 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए कहा है। अगर पोटाश नहीं मिली तो 90 करोड़ रुपये पानी में जाने वाला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सूचित करना चाहता हूँ महाराष्ट्र में पोटाश त्वरित दी जाए। अगर पोटाश नहीं दे सकते हैं तो वॉटर सॉल्युबल पोटाश पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए। मेरी यही डिमान्ड है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री सी.आर.पाटिल, श्री शिवकुमार उदासी एवं श्रीमती ज्योति धुर्वे स्वयं को श्री हरिभाऊ जावले से संबद्ध करते हैं।

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला (वडोदरा): महोदय, अभी हम सारे भारतवासी अमरीका के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी कर अभिमान महसूस कर रहे हैं, वहीं अमरीका ने पिछले तीस वर्षों में एक भी न्यूक्लियर प्लॉन्ट नहीं लगाया है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम, जो कि न्यूक्लियर प्लॉन्ट में यूज़ होता है वह आस्ट्रेलिया में मिलता है। आस्ट्रेलिया में एक भी परमाणु बिजलीघर नहीं है। अपने देश में अलग-अलग हिस्सों में करीब 20 न्यूक्लियर प्लॉन्ट हैं। इन प्लॉन्टों के बारे में बहुत गोपनीयता बरती जाती है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। परंतु इसी कारण इन प्लॉन्टों में जो छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उनकी जानकारी भी लोगों को नहीं मिलती है। एक आकलन के अनुसार बीते दौर में 3000 से ज्यादा कर्मचारियों

में रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा या खतरनाक पाई गई है। भाभा परमाणु केन्द्र में 14 साल में करीब 70 कर्मचारियों की कैंसर के कारण मौत हुई है। मैं गुजरात राज्य से आता हूँ।

वहां काकरापार न्यूक्लियर प्लान्ट है, जिसकी क्षमता 440 मेगावाट है। मिठीविर्दी में प्रस्तावित पावर प्लान्ट है, जिसकी क्षमता 6000 मेगावाट है। काकरापार प्लान्ट में पिछले दिनों 30 मई 2011 को एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। गुजरात के काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन में पिछली 30 मई 2011 के दिन कंट्रोल रूम द्वारा सफाई करने हेतु सात कर्मचारियों को मरम्मत करने हेतु अन्दर भेजा गया। उनका समय सुबह 9.30 बजे से 1.00 बजे दोपहर तक था। एकाएक 11: 45 बजे कंट्रोल रूम के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने टनल शुरू कर दिया और रेडिएशन की जानकारी देने वाली 500 की रेंज वाली डी.आर.डी. अचानक बंद हो गयी और रेडिएशन की मात्रा बढ़ गयी। टनल के अन्दर जो मजदूर मरम्मत कर रहे थे, वे जान बचाकर बाहर तो आ गये, लेकिन दूसरे दिन उनके शरीर में 941 से 9000 तक रेडिएशन की मात्रा पायी गयी। विभाग द्वारा असरग्रस्त मजदूरों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा न देने के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गयी है। अभी पिछले सप्ताह उनके द्वारा जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देने के बाद उन्हें मुम्बई में इलाज के लिए भेजा गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि इन मजदूरों को उचित न्याय मिले, सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाये, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाये और इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए किसी कानून का प्रावधान किया जाये। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती दर्शना जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल और श्रीमती ज्योति धुर्वे अपने आप को श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला जी के विषय के साथ एसोसिएट करते हैं। शून्यकाल के बाकी विषय शाम को लिये जायेंगे। आज लंच ब्रेक नहीं किया जायेगा।

13.12 hrs.**MATTERS UNDER RULE 377***

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matter under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time; and the rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table

(i) Need to ensure proper utilization of funds under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Uttar Pradesh particularly in Sultanpur Parliamentary Constituency

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है उसमें अनियमितताएं फैली हुई हैं। इस योजना के अंतर्गत हर साल गरीब परिवार के व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, परंतु उत्तर प्रदेश में केवल 14 प्रतिशत गरीब परिवारों को ही इस योजना से रोजगार मिल रहा है। मजदूरी नियमानुसार नहीं दी जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन पर काफी अपव्यय हो रहा है और उससे जो काम होना चाहिए, नहीं हो रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा में हुए कार्यों की समीक्षा की जाए और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए, जिससे भारत सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब तबके को मिल सके।

**(ii) Need to grant a special package for all round development of the
Mundrothruthu Island in Kollam district of Kerala**

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I would like to draw the kind attention of the Union Government towards lack of development in the Mundrothuruthu Gram Panchayat of Kollam district in Kerala. This Gram Panchayat belongs to my Parliamentary Constituency Mavelikkara in Kerala.

Mundrothuruthu is inhabited by about 25,000 people and is located at the confluence of the famous Ashtamudi Lake and Kallada River. The living condition of the populace here is deteriorating as the development of the Gram Panchayat is practically non-existent.

Road connectivity in Mundrothuruthu is pathetic and there are several areas with no pacca roads. The amount of funds necessary for the construction of roads cannot be met neither by the Mundrothuruthu Gram Panchayat nor by the State Government. Apart from that, bridges are to be built in order to facilitate connectivity with the island to connect the lake and river with land portion. Inadequacy of basic facilities like drinking water, sanitation, electricity and road transport facilities are hampering the progress and development of the residents there. The Mundrothuruthu railway station do not fully benefit the people as long distance trains do not stop here. The huge potential for backwater tourism in this island has also not been explored properly. The lack of specific projects for the comprehensive development for Mundrothuruthu has left the people here in a state of absolute uncertainty.

Therefore, under these circumstances I demand the Union Government to conceptualize a special package for Munroethuruthu Island for the development and progress of the people living there.

(iii) Need to ensure proper implementation of Mid Day Meal Scheme in Pratapgarh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में मिड डे मील में योजना को नियमानुसार नहीं चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा की ओर उत्साहित करने हेतु मिड डे मील योजना का आरंभ किया गया एवं इसका शुरू में अच्छा प्रभाव पड़ा, परंतु अब उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का पालन केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन्स के अनुसार नहीं हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में तो गुणवत्ता रहित मिड डे मील से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं जिसके कारण लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। इस संबंध में जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया गया, परंतु इस पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई एवं जितना मिड डे मील पर खर्च बताया जा रहा है उतना नहीं हो रहा है। स्कूल में कम बच्चे आते हैं परंतु मिड डे मील पूरे बच्चों को वितरित दिखा दिया जाता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में मिड डे मील योजना में हो रही अनियमितताओं की जांच की जाए और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए।

(iv)Need to undertake safety measures inside the rail coaches to minimize deaths or injuries during train accidents

श्री महेश जोशी (जयपुर): रेलवे सुरक्षा को लेकर हम सभी चिंतित हैं और चाहते हैं कि रेलों की दुर्घटनाओं को पूरी तरह से रोका जाए और इसके लिए जिन उपयोगी यंत्रों अथवा साधनों की आवश्यकता है उन्हें जल्द से जल्द लगाया जाए ।

लेकिन यह दावा नहीं किया जा सकता कि कभी रेल दुर्घटना होगी ही नहीं । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि रेल दुर्घटना रोकने के उपायों के साथ-साथ रेल यात्रियों के जान माल की सुरक्षा के लिए कुछ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है । रेल दुर्घटना के समय रेलों के अंदर जो जान माल का नुकसान होता है उसको रोकने के लिए ठीक उसी प्रकार इंतजाम किए जाने चाहिए जैसे कार एक्सीडेंट के समय कार में सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए जाते हैं, मसलन सीट बेल्ट ।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि रेलों में अंदर ऐसे इंतजाम किए जाने चाहिए कि किसी दुर्घटना के समय यात्री एक दूसरे से अथवा किसी अन्य चीज से टकराने की बजाय अपने ही स्थान पर स्थिर रह सकें एवं साथ ही सामानों को रखने का भी ऐसा इंतजाम हो जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचे । आशा है माननीय रेल मंत्री जी इस संबंध में विचार करेंगे ।

(v) Need to expedite gauge conversion work of railway line between Dindigul and Palani towns in Tamil Nadu

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Gauge conversion between Dindigul and Palani in Southern Railway was take up around 4 years back. The distance between the two towns is only 62 kms. Palani is one of the six famous abodes of Lord Muruga. Lakhs and lakhs of devotees throng the Palani town from all over the world. It was informed by the Railway Board that the conversion would be completed before 31st March 2011. As the conversion works is still incomplete earnest steps should be taken for the gauge conversion so that traffic can be resumed before the end of this year.

(vi)Need to include frost and cold waves in the list of natural calamities eligible for relief under Calamity Relief Fund

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): मैं पाला एवं शीत लहर को सीआरएफ की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किए जाने के संबंध में अनुरोध कर रहा हूँ। राजस्थान राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जहां किसान बारिश की कमी से अकाल की मार झेलते हैं वहीं प्रत्येक वर्ष सर्दी में पाले व शीत लहर के प्रकोप से रबी की फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं जिसके कारण राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जिले में रबी के समय जीरा, रायड़ा मुख्य रूप से होने वाली फसलें हैं लेकिन पाले व शीत लहर के कारण हजारों हेक्टेयर में होने वाली ये फसलें अस्सी प्रतिशत तक खराब हो जाती है।

राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में उक्त मुद्दा अनेक बार भारत सरकार के विचाराधीन रखा गया है। सरकार से अनुरोध है कि पाला वर शीत लहर को सीआरएफ की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किए जाने तथा प्रभावितों को अकाल, ओलावृष्टि, बाढ़ इत्यादि अन्य आपदाओं के अनुरूप सहायता मुहैया करवाए जाने का प्रावधान किया जाए।

(vii)Need to release funds for construction of underground drainage scheme and storm water drainage scheme in Vizianagaram district in Andhra Pradesh.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): I want to bring to the notice of the Government, through this august House, for sanctioning an underground drainage scheme at an estimated cost of Rs. 118.42 crores and storm water drainage scheme at an estimated cost of Rs. 70.31 crores in Vizianagaram district in Andhra Pradesh.

As we all know, Vizianagaram is the most backward district in Andhra Pradesh. During monsoon and cyclones, it is badly affected and inundates low lying areas because there is no proper underground drainage and storm water drainage. People are also affected by vector borne diseases due to improper sanitation. Most of the shops are flooded. Their products are severely damaged and not fit for human consumption. With the help of machines, they drain out water. More than three lakh people inhabit Vizianagaram. Not only this, people from neighbouring State of Orissa come to Vizianagaram for doing business. In the absence of appropriate drainage system, whatever little business reputation Vizianagaram can boast of, will be eroded.

For both the schemes detailed project reports have been submitted to authorities concerned.

I request the Central Government to release the funds for making Vizianagaram a better place to live in.

(viii)Need to fix a remunerative price for cotton in Maharashtra

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): महाराष्ट्र का कपास उत्पादक किसान आज फिर बदहाली के कगार पर है । महाराष्ट्र दिवस पर महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कपास उत्पादक किसानों को उचित दाम दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं । महाराष्ट्र का कपास पैदा करने वाला किसान परेशान है । फिलहाल कपास के 55 लाख गांठ के निर्यात की अनुमति है । कपास की शुरूआती कीमत 7000/- रू. प्रति क्विंटल थी, जो बाद में 3000/- रू. हो गई । अधिक दाम पाने की उम्मीद में कपास न बेचने वाले किसान आज बहुत निराश हैं । मेरा सरकार से निवेदन है कि कपास की उच्च मूल्य दर सुनिश्चित करे ।

(ix)Need to take adequate safety measures with regard to construction of dams in North East region keeping in view the location of Assam in sensitive and seismological area

SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI): Assam is geologically and seismological sensitive area. The people of Assam is anxious to know about the effect of the dams constructed in Arunachal Pradesh on Assam. There is no idea as to how many power projects are constructed in the region. Brahmaputra river is the life line of Assam. The dam constructed in upstream of Brahmaputra or the tributaries of the upstream flowing to Brahmaputra will definitely bear impact on the lower stream of Brahmaputra. China is also trying to divert the water at the Great Bend, the upstream of Brahmaputra.

In view of this, I urge upon the Government to come with a white paper on ongoing Power Projects in Arunachal Pradesh and steps taken to safeguard Assam before any damage takes place. The Government should take up the matter with China in this respect on top priority.

(x)Need to develop the Khirkiya Railway Station in Betul Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh and provide stoppage to more trains at the railway station

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतगत स्थित खिरकिया शहर में रेलवे सुविधाओं की कमी की ओर आकर्षित करना चाहूंगी । आजादी के 64 साल पहले जो सुविधा थी, वही सुविधा आज भी है । पिछले 10 वर्ष पूर्व 6 एक्सप्रेस ट्रेन एवं 2 सवारी गाड़ी (पैसेन्जर ट्रेन) चलती थी , आज भी वही गाड़ियां चल रही हैं ।

पिछले 10 वर्षों की राजस्व की तुलना में अभी अच्छी खासी वृद्धि हुई है । पहले 8 से 10 हजार रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 50000 से 55000 रुपये राजस्व की प्राप्ति हो रही है, यानि अभी उस क्षेत्र से 5 गुना अधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही है ।

मैं रेल मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि जिस तरह से वहां पर रेलवे ने राजस्व का विकास किया उसके अनुरूप खिरकिया रेलवे स्टेशन में गाड़ियों के स्टॉपेज में वृद्धि नहीं हुई है और उस स्टेशन का विकास भी नहीं हो पाया है । इस स्टेशन के इर्द-गिर्द छोटे गांवों के लोगों की रोजी-रोटी भी इसी स्टेशन पर आधारित है ।

(xi)Need to develop Surat Airport and provide better air-connectivity to Surat with all the major cities of the country

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): मेरा क्षेत्र सूरत, गुजरात सदियों से व्यापार के लिए जाना जाता है । आज दुनिया के तीव्र गति से विकास कर रहे शहरों में सूरत शहर का प्रमुख स्थान है ।

सूरत शहर हीरा, टैक्सटाइल्स, जरी आदि उद्योगों का प्रमुख केन्द्र है । उद्योग संबंधी गतिविधियों के कारण यहां विभिन्न राज्यों एवं शहरों से लोगों का भारी आवागमन होता है । ये लोग रेल या सड़क मार्ग से मुम्बई जाते हैं और फिर वहां से देश और दुनिया के अन्य भागों की ओर हवाई मार्ग से जाते हैं ।

वर्तमान में सूरत में स्थित एयरपोर्ट में केवल दिन के समय हवाई सेवा का परिचालन होता है । यहां पर सुबह एवं शाम को भी हवाई सेवा चलाई जाएं । मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि सूरत एयरपोर्ट को देश के विभिन्न शहरों से सीधा जोड़ा जाए, हवाई सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाई जाए एवं यहां पर रात्रि में भी हवाई जहाजों की नाइट लैंडिंग की सुविधा प्रदान की जाए । सूरत एयरपोर्ट के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसका उपयोग कर सूरत एयरपोर्ट का विकास तथा विस्तार किया जाए ।

(xii)Need to construct a Over Bridge at railway level crossing under Sandila-Bilhaur-Kachhona Municipality in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिसरिख): उत्तर प्रदेश राज्य के मिसरिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सण्डीला-बिल्हौर-कछोना नगरपालिका/नगर पंचायत है। इन क्षेत्रों से निकलने वाली रेलवे लाईन क्रॉसिंग पर भारी यातायात होने के कारण कई-कई घण्टों तक ट्रैफिक अवरूद्ध रहता है, जिस कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां के लोगों की पिछले काफी समय से रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है, जिस कारण उनमें भारी रोष व्याप्त है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय क्षेत्र के सण्डीला-बिल्हौर-कछोना नगरपालिका/नगर पंचायत के अंतर्गत रेलवे लाईन क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाए जाने हेतु जनहित में आवश्यक कदम उठाए।

(xiii) Need to establish a medical institute in Anantnag, Jammu & Kashmir on the lines of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi

DR. MIRZA MEHBOOB BEG (ANANTNAG): There is a need to establish a medical institute on the lines of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi in Anantnag, South Kashmir. South Kashmir comprises of four districts i.e., Anantnag, Pulwama, Kulgam, Shopian and even patients from far-flung areas of district Ramban, Doda and Kisthwar come to Anantnag for medical treatment. South Kashmir has famous tourist destinations like Pahalgam, Kokernag, Verinag, Achabal, Daksum and Aharbal and lakhs of tourists visit these places. More importantly lakhs and lakhs of pilgrims visit famous Amarnath cave every year. Besides improving Health services in Anantnag it will have healthy political effects on the people living here.

(xiv)Need to provide safe drinking water in Balurghat Parliamentary Constituency, West Bengal

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): The people of my constituency Balurghat in West Bengal is facing acute shortage of drinking water. The main part of my constituency is mostly attached to the Bangladesh Border. Sometimes the people of my constituency particularly in Tapan Block go to Bangladesh to procure drinking water. The drinking water of my constituency is full of fluoride. In summer no Mark-II tube well is functioning properly. Water is an important aspect of life. So the Central Government should take immediate steps to supply fluoride-free water in my constituency to fulfil the demands of the people.

13.13 hrs.**STATE BANK OF INDIA (SUBSIDIARY BANKS LAWS)
AMENDMENT BILL, 2009 – Contd.**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Item No. 17.

Shri Nishikant Dubey.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, मैं यहां से बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, एक तारीख से यह स्टेट बैंक का बिल लगा हुआ है और आज 11 तारीख को शायद ऐसा लगता है कि यह खत्म हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद आज खत्म हो जाये।

श्री निशिकांत दुबे : पार्लियामेंट किस तरह से चल रही है, आप इसकी बानगी देखिये और इसके दोषी कौन हैं, यह जनता देख रही है। उस दिन चूंकि मेरा भाषण अधूरा रह गया था तो जैसे सिनेमा में होता है कि फ्लैश बैंक स्टार्ट होता है, मुझे लगता है कि अपना भाषण री-कॉल करने के लिए मुझे फ्लैश बैंक में जाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ज्यादा फ्लैश बैंक में मत जाइये।

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, फ्लैश बैंक में इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि उस दिन भाषण देते-देते में डीरेल हो गया था। मेरी डीरेलमेंट यह थी, जो आज माननीय जोशी जी कह रहे थे कि अलौकिका पण्डिततः की तरह, जिस तरह से जो पंडित हैं, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, प्रणब बाबू, जो वित्त मंत्री हैं, मोंटेक सिंह जी हैं, सुब्बाराव जी हैं या रंगराजन जी हैं, वे किस तरह से किताब देखकर नीतियां बना रहे हैं और वे नीतियां किस तरह से देश को बर्बाद कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि एक कहानी हम पढ़ते थे कि नवाब वाजिद अली शाह का जमाना था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। उसकी पहचान यह है कि जब हम प्राइज राइस पर चर्चा कर रहे थे तो लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि महंगाई का मतलब क्या है, चावल का भाव क्या है, आटे का भाव क्या है, दाल का भाव क्या है और फर्टिलाइजर का भाव क्या है? अभी एक रिपोर्ट आयी कि इस देश में 82 परसेंट किसान मार्जिनल हैं, उन किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है। इसका मतलब यह है कि वह जो पैदा करते हैं, वे खरीद नहीं पाते हैं, वे बेच नहीं पाते हैं और सरकार कह रही है कि हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइज बढ़ा दिया। जिस तरह से पूरी लोक सभा में यह चर्चा होती है कि दस परसेंट व्हाइट कॉलर के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए आप

योजना बनाते हैं। आज मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि 10 परसेंट जो किसान हैं, आप उन्हीं के लिए यह नियम बना रहे हैं। गरीबी और किसान की चर्चा करते हुए आप इन चीजों का ध्यान रखें और अगला बजट बनाते समय इसे देखें कि 82 परसेंट मार्जिनल किसान हैं और उनके पास एक हैक्टेअर से कम जमीन है। एक हैक्टेअर से कम जमीन यदि है तो उसके चार आदमी का परिवार क्या खाता होगा, क्या कमाता होगा, क्या बेचता होगा? आप देखें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। खाद की कीमत आज क्या है? पिछले साल जो डीएपी 470 रुपये में मिल रहा था, इस बार 770 रुपये में मिल रहा है। पिछले साल आप 650 रुपये सबसिडी दे रहे थे, इस साल 966 रुपये सबसिडी दे रहे हैं। सबसिडी भी बढ़ रही है, डीएपी का दाम भी बढ़ रहा है। आम किसान का क्या होगा, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से इस देश में कोर्ट अपनी सीमा को लांघ रहा है, जिस तरह से मीडिया अपनी सीमा को लांघ रहा है, माननीय शत्रुघ्न जी यहाँ बैठे हैं, एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है। फिल्म की कहानी और नाम मुझे नहीं पता है। उसमें कादर खान थे। कादर खान का नाम उसमें दुभाषिया था। वे नेता थे। वे हमेशा दो डिक्टेसन लिखवाकर रखते थे। यदि नेता बाढ़ में ट्रेन से जा रहा हो तो कहते हैं कि नेता ट्रेन से जा रहा है और जनता मर रही है। यदि हैलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ से जाते थे तो कहते थे कि जनता मर रही है और इसको कुछ चिन्ता नहीं है, यह हैलीकॉप्टर से चल रहा है। यह जो हालत हो गई है, जिस तरह से मनीष तिवारी जी उस दिन चर्चा कर रहे थे, हम जिस ढंग से कांस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को चैलेन्ज कर रहे हैं, वह हमें चैलेन्ज कर रहा है, इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए।

13.16 hrs.

(Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)

सभापति महोदया, उस दिन जहाँ मेरा भाषण रुका था, उसके आगे का मेरा पॉइंट है कि मैं एसबीआई के संबंध में यह जो संशोधन आया है, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती है और वही सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

मेरा 17वाँ प्रश्न था कि प्रेफरेंशियल शेयर और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में सरकार का क्या रुख है। मेरा 18वाँ प्रश्न था कि जो पेंशन रूल्स एसबीआई ने अमैन्ड किये हैं, ये कब तक लागू हो जाएंगे। मेरा 19वाँ सवाल था कि यह जो मर्जर हुआ है, इसमें जो ब्रांचेज़ हैं, कई बैंकों की ब्रांचेज़ एकदम नज़दीक-नज़दीक हैं। ब्रांचेज़ का क्या करेंगे? यदि एक ही बैंक की ब्रांच अगल-बगल रहेंगी, चूँकि एक ही अथॉरिटी आप दे रहे हैं, तो उस ब्रांच को यदि आप बंद करेंगे तो किस तरह से लोगों का ध्यान रखेंगे?

माननीय सभापति जी, आप इंदौर से सांसद हैं और आप बता रही थीं कि बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज करने के समय इंप्लाइज़ के साथ जो-जो वायदे किये थे, जिस तरह से था, उसमें लोगों की छँटनी की

गई है। यदि इन ब्रांचेज़ को आप मर्ज करेंगे तो उनका क्या होगा? मेरा 21वाँ सवाल था कि जो सबसीडियरी बैंक का शेयरहोल्डिंग है, उसका स्टेट बैंक पर क्या असर पड़ेगा। जो चेन्ज ऑफ ओनरशिप है, The change of ownership was done in the year 2007 and the amendments to the Act of the Subsidiary Banks are being carried out after three years to make consequential changes. It may be explained during this three-year period whether SBI had administrative problems on the issue indicated in the Background Note in the management of their subsidiaries. वह एक बैकग्राउंड नोट मैनेजमेंट ऑफ सबसीडियरीज़ ने दिया है। If not, the reason to amend the Act at this stage may be explained. अंत में है कि ये सारे जो बैंक हैं, What is the policy of the Government on merger of banks? फाइनली कोई पॉलिसी तो होगी, क्योंकि आप बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ लेकर आ रहे हैं, उसमें आप कंपीटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसके लिए आप नया बिल इंटीरड्यूस करने वाले हैं, उससे आप सोचते हैं कि बैंकिंग का मर्जर सीसीआई के परव्यू से ऊपर हो जाए, बाहर हो जाए। तो आपके पास क्या ऐसी पॉलिसी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस रूल के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं? इसके बाद हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आ रहे हैं। क्योंकि जो एनपीए है, वह बढ़ रहा है। इंटरस्ट रेट जब आप बढ़ा रहे हैं, आरबीआई का कहना है कि इंटरस्ट रेट बढ़ेगा तो एनपीए होगा। उस दिन बड़ा अच्छा जवाब दे रहे थे। यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि 44 बिलियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने बाहर इनवैस्ट किया है और 17 बिलियन लोगों ने यहाँ इनवैस्ट किया है। आपने कहा कि कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि यह जो इतना ग्रोथ देश में हुआ है, वह माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी थी, एनडीए की पॉलिसी थी कि हम इंडस्ट्री के लिए अपने लोन को धीरे-धीरे नीचे लेकर आए थे। सात-आठ परसेंट पर वह लोन मिल रहा था इंडस्ट्री को। आज उसके इंटरस्ट का रेट फिर से 14-15 परसेंट पर चला गया है। इससे क्या हो रहा है कि एनपीए बढ़ रहा है, इससे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का प्रोसैस बंद हो रहा है। आप किसके ऊपर जा रहे हैं कि जो एजुकेशन लोन है, प्रायॉरिटी सैक्टर की लैन्डिंग है, उसको बंद कर दो। आप कह रहे हैं कि हाउसिंग लोन को टाइट कर दो। यह इंटरस्ट बढ़ने से जो एनपीए बढ़ेगा, क्या इसके बारे में सरकार ने कभी सोचा है?

महोदया स्टेट बैंक आफ इंडिया दो सौ साल पुराना बैंक है। इसकी 12567 ब्रांच हैं। 150 इंटरनैशनल ब्रांच हैं और 155 मिलियन इसके कस्टमर्स हैं। आपको इसका मर्जर कर रहे हैं, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? वर्ष 2008-09 में हम 55वें स्थान पर थे आज स्टेट बैंक आफ इंडिया की क्या पोजीशन है? रिस्क फैक्टर्स क्या हैं- The bank business is particularly vulnerable in interest

rate risk; and the volatility in interest rates could adversely affect its Net Interest Margin. What would happen to the value of its fixed income portfolio, its income from treasury operations and its financial performance? If the bank fails to maintain the desired level of customer deposits or loans, its business operations may be majorly and adversely affected. यदि आपका कस्टमर कम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? The bank has a large portfolio of the Government securities. सरकार का 55 प्रतिशत पोर्टफोलियो है। ..and that may limit its ability to deploy funds into higher yielding investment. आप ज्यादा निवेश नहीं कर पा रहे हैं, यह आपको रोक रहा है, चूंकि सरकारी सिक्योरिटीज़ हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? The base rate system is a new method for pricing loans; and its impact on the future result of the bank is unclear. क्या आपने यह सोचा है कि बेस रेट का बैंक पर क्या असर होगा? A substantial portion of the bank's income is derived from its Government operations, a slowdown in which could adversely affect the bank's business. अभी माननीय जोशी जी बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में स्लोडाउन होगा। जब एसबीआई के ऊपर होगा और आप इसका मर्जर कर रहे हैं, इसका एनपीए बहुत ज्यादा है, इस बारे में आपने क्या सोचा है? If the bank is not able to control, to reduce the level of NPA in its portfolio, whether its business will be adversely affected or not. Further deterioration of the banks NPA portfolio and inability to improve its provisioning coverage as a percentage of gross NPA could adversely affect the price of the bank. यदि एक रीज़न का एनपीए बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इस बारे में आपने क्या सोचा है? There was a recent requirement of the Reserve Bank of India that all Indian banks increase their provisioning coverage as a percentage of gross NPAs. Would it adversely affect the bank's business or not?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): सभापति महोदया, एक भी कैबिनेट मंत्री सदन में मौजूद नहीं है।

श्री निशिकांत दुबे : महोदया, यह तो प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। हम इतनी सीरियस चर्चा कर रहे हैं।...(व्यवधान) जब तक कैबिनेट मंत्री नहीं आएंगे, तब तक मैं नहीं बोलूंगा।...(व्यवधान) हम इतने सीरियस डिफाल्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं।...(व्यवधान) यह प्वाइंट ऑफ आर्डर भी है।

सभापति महोदया : इस बिल से संबंधित मंत्री बैठे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदया, सरकार यह चर्चा करती है कि वह संसद के प्रति गंभीर है, लेकिन संसद के प्रति सरकार की क्या ज़िम्मेदारी है? क्या सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? जब हम लोगों की सरकार के समय में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता था तो ये लोग हल्ला कर देते थे, आज एक कैबिनेट मंत्री नहीं है, जबकि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा चल रही है।...(व्यवधान)

रूलिंग पार्टी के लोग गंभीर नहीं हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय पर माननीय सदस्य इतनी तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। रूलिंग पार्टी कहती है कि संसद नहीं चल रही है। जब संसद चलती है तो मंत्री लोग गायब हो जाते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : मंत्री महोदय आ गए हैं। अब शुरू करें। आप अच्छी तरह से अपनी बात रख रहे हैं।

श्री निशिकांत दुबे : सभापति महोदया, मैं माननीय श्री पवन कुमार बंसल साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। इनका बयान आज सुबह-सुबह पढ़ा कि विपक्ष इस बिल को पास कराने में इंटेरेस्टेड नहीं है और हम किसी तरह से बिल पास कराएंगे। मैं इनको कह रहा हूँ कि मैं बिल पास कराऊंगा। इनकी ट्रेजरी बेंच कहां हैं, इनको ध्यान देना चाहिए।



सभापति महोदया: मंत्री महोदय ध्यान दे देंगे। वे इसे नोट कर लेंगे।

श्री निशिकांत दुबे : मेरा अगला सवाल है कि The bank may experience delays in enforcing its collateral when borrowers default on their obligations to the bank, which may result in failure to recover the expected value of collateral security, exposing it to a potential loss. यह कोल्लेटरल सिक्यूरिटी के बारे में भारतीय स्टेट बैंक ने कोई चर्चा की है या सरकार ने की है या नहीं? The Indian bank industry is very competitive and the bank's growth strategy depends on its ability to compete effectively. मैंने पहले कहा हम वर्ष 2008-09 में 55वें नम्बर पर थे, आज 100 से भी ज्यादा पार कर गए हैं। क्या यह कम्पीटिशन हम इफेक्टिवली कर पा रहे हैं? क्या भारतीय स्टेट बैंक उसको कर पा रही है? The bank is subject to credit, market and liquidity risk which may have an adverse effect on its credit ratings and its cost of funds. कॉस्ट ऑफ फंड या क्रेडिट रेटिंग के बारे में क्या भारतीय स्टेट बैंक ने कोई बात रखी है या सोची है? क्या सरकार के बारे में बात हुई है? इसके बाद मुद्दा है कंसंट्रेशन ऑफ लोन्स। सभापति महोदया, आज के इस डिप्रेसिएशन में यह सबसे बड़ा सवाल है जो आज अमेरिका या यूरोप में हो रहा है।

The bank has high concentration of loans to certain customers and to certain sectors and if a substantial portion of these loans were to become non-performing, the quality of its loan portfolio could be adversely affected. इनका ट्रेडिंग किस-किसमें है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आयरन एण्ड स्टील में, पेट्रोलियम में, और इंजीनियरिंग में इनकी ट्रेडिंग है। इनका हाई कंसंट्रेशन इसी में है। वह लगभग 2633 बिलियन है और यह 48.4 प्रतिशत है। इसके बारे में बैंक ने क्या सोचा है? A substantial portion of the bank's loan have a tenure exceeding one year, exposing the bank to risks associated with economic cycle and project success rate. क्या इसके बारे में बैंक ने कुछ सोचा है? The bank's funding is primarily short-term. If depositors do not roll over deposited funds, upon maturity could the bank's business be adversely affected or not? Short-term or long-term. शॉर्ट टर्म और लॉग टर्म में शॉर्ट टर्म में ज्यादा है। यदि हम उनको सही समय पर मैच्यूरिटी नहीं देंगे तो क्या होगा, क्या इसके बारे में बैंक ने सोचा है? The bank is exposed to fluctuation in foreign exchange rate. जो अभी मार्केट की इकॉनोमी चल रही है, जिस तरह से तेल के भी दाम ऊपर-नीचे हो रहे हैं, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? आप दाम घटा रहे हैं या नहीं? आप जब दाम बढ़ाते हैं तो 10 रूपया ले रहे हैं। The bank may not be able to detect money laundering. आज मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी बहुत बढ़ा मुद्दा है। The bank may not be able to detect money laundering and other illegal or improper activities fully on a timely basis which could expose it to the additional liability and harm its business or reputation. महोदया, अभी हमने आई.पी.एल. की जांच की थी और उसमें अचानक बिना आर.बी.आई. के आदेश के बैंक एकाउन्ट खुल गया तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भारतीय स्टेट बैंक ने क्या सोचा है? Could significant security breaches adversely impact the bank's business or not? Could regulatory changes in India or other jurisdiction in which the bank operates adversely affect its business or not? जब आपकी इच्छा होती है, आप सी.आर.आर., रेपो रेट, और बेसिस प्वायंट बढ़ाते-घटाते हैं? इसका इंटरनेशनल मार्केट में क्या इम्पेक्ट होगा? आपकी जो 150 ब्रांचेज़ हैं, उनका क्या होगा?

The bank is required to maintain its capital adequacy ratio at the minimum level required by the RBI for domestic banks. There can be no insurance that the



bank will be able to access capital as and when it needs for growth. क्या बैंक को हम इस तरह से कोई पोटेंशियल, लिवरेज देने वाले हैं।

As the bank's majority shareholder, the Government controls the bank and may cause the bank to take action, which are not in the interest of the bank and the holders of the bank. आपने सरकार के ऊपर जो इतनी डिपेंडेबिलिटी दे दी है, उसमें आप कितनी ऑथोरिटी बैंक को देना चाहते हैं, क्योंकि 59, 60 परसेंट आपकी शेयर होल्डिंग है।

If the bank does not effectively manage its foreign operation, this operation may incur losses or otherwise adversely affect the bank's business and result of operation. इसका क्या होगा?

The bank may not be successful in implementing its growth strategy on penetrating new markets. ये हमारा कंसर्न है कि हम जो नयी मार्केट और नयी चीजों में जाना चाहते हैं, उसमें बैंक के पास कोई विज़न नहीं है। इसके बारे में क्या है।

If the bank is not able to integrate any future acquisition, the bank's business would be disrupted or not. If the bank is unable to adapt to rapid technological changes, its business could suffer or not. क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी साल-साल, दो-दो साल में हो रही है, उसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ सोचा है या नहीं सोचा है।

सभापति महोदया : निशिकांत जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखिए।

SHRI NISHIKANT DUBEY : The bank's remuneration scheme may not be as attractive as of other banks with which it competes and may hurt the bank's ability to attract and maintain a skilled and committed workforce. लोग प्राइवेट बैंक की तरफ जाने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकारी बैंक इस तरह की सेवा देने में परेशान हैं, अक्षम है। आपने जो बात कही, उसमें यह है। The bank may not be able to properly manage and gradually reduce its number of employees which would negatively impact its business. इसके आधार पर वे क्या कर रहे हैं कि पुराने जो स्टेट बैंक के एम्प्लाइ हैं, उन्हें कंटीन्यू कर रहे हैं, लेकिन ये जो सब्सिडरी को अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनको उसके आधार पर कर रहे हैं।

उस वर्क फोर्स के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? बैंक के पास कंटीजेंट लायबिल्टी है। इसके बारे में बैंक क्या सोच रहा है?

Increased volatility or inflation of commodity prices in India could adversely affect the bank's business ये जो इनफ्लेशन है, इसके कारण बैंक का जो बिज़नेस डाउन होगा, इसके बारे में बैंक ने क्या सोचा है?

And, a significant increase in the price of crude oil could adversely affect the Indian economy and the bank's business. कई चीजें हैं, मैं उन पर बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता, क्योंकि इस बिल का हम सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा केवल यह कहना है, गीता में एक श्लोक है - “समो दमस्तपः शौचं शांति राजर्मवेव च, ज्ञान-विज्ञान मास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्।” हमें जो ये मौका मिला है, ये अंतःकरण को शुद्ध करने का मौका मिला है, इंद्रियों को ठीक करने का, धर्म का पालन करने का, बाहर-भीतर शुद्ध करने का, आम गरीबों एवं जनता का साथ देने का, उनके लिए कुछ काम करने का और हमारा जो परसेप्शन जा रहा है, जिसके आधार पर विरोध हो रहा है, एम्प्लाइज़ लोग विरोध कर रहे थे।

रामायण की एक छोटी-सी पंक्ति कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जब राम और लक्ष्मण सीता हरण के बाद एक तालाब के किनारे जाते हैं और वहां उनको बगुला दिखाई देता है। वह बड़े धीरे-धीरे तालाब में विचरण कर रहा है तो राम अपने भाई से कहते हैं कि देखो, ये कितना शुद्ध बगुला है। ये चाहता है कि मेरे पैर से कोई जीव मर न जाए, इसलिए धीरे-धीरे चलता है। वे जिस पहाड़ पर, तालाब के किनारे जिस पत्थर पर बैठे हुए थे, उधर से मेंढक चिल्लाता है, वह कहता है कि आप बाहर से देख रहे हो। मैं उससे डर कर छिपा बैठा हूँ और वह मुझे ढूँढ रहा है। मेरे पूरे परिवार का उसने खात्मा कर दिया है। इसलिए जो परसेप्शन है, वह यह है कि आप किस चीज से उसे देखना चाहते हैं। परसेप्शन यह जा रहा है कि रिफार्म्स गरीबी, भ्रष्टाचार ला रहा है, यह आम आदमी से जुड़ा हुआ नहीं है।

इस परसेप्शन को खत्म करिये। हम आपका साथ देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जयहिन्द-जय भारत।

सभापति महोदया : धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे पाइंट्स रखे हैं।




DR. K.S. RAO (ELURU): Madam, as far as the Bill is concerned, I do not find many clauses where we need to discuss for a long time because it is a very simple Bill – just transferring the ownership. At one time the ownership rested with the Reserve Bank of India; now it is being changed to the Government of India. Naturally, in the clauses wherever earlier the Reserve Bank was empowered as the owner, now we are empowering the Government of India, particularly in regard to increasing the authorized capital, fixation of issued capital to subsidiaries, preferential capital, bonus, authority in appointing the Chairman and Managing Director, similarly in cases of misdeed, supersession of the Board, removal of Directors wherever found necessary, and above all, making of rules and regulations. I do not think much needs to be said about clauses and the Bill which everyone of us will automatically support. This could have been done even earlier.

In this context, I wish to express some of my opinions in regard to improving the banking and economy of this country. At the time of independence when there was no corporate sector in India, and when we were depending on outside investors, it had become a necessity for the Banks to finance the public sector undertakings more particularly and also the corporate sector which came forward. Much of the money used to go only to those corporate sector and the rich people who were investing in industry and trade. But, today the situation is changed. A situation has come where our corporate sector is in a position not only to invest in this country, but also to go to other countries, including America and Europe and invest there. So, my humble suggestion to the hon. Finance Minister is to please think in terms of reducing the lending to high corporate sector where they have got crores and crores of rupees with them. So, we should not utilize the public money of about Rs.43 lakh crore lying in the shape of deposits in Banks for the purpose of lending to the rich man, lending once again to multi millionaires. The same money can be given to the poorer sections of society which they can utilize well not only for improving their livelihood, but also to add to the wealth of the nation. Please think on the point whether we can put an end to financing from

banks to the major industrial sector which is very successful, particularly the profit making corporate sector. We can divert a lot of funds to the fresh investors and professionals, people who have got some research and development done, and who have got innovate ideas. They can be helped if they have no money, but if they have got bright ideas with substantial evidence of success for the projects which they think of.

We have also seen and the statistics reveal that much of the exports are being done by small and medium enterprises; so we can encourage that. Similarly, in regard to financing the priority sector, we were allocating only about 40 per cent of the total lendable deposits. This is done decades back at a time when the corporate sector was not developed. But, today, with 70 per cent of people living in villages and 58 per cent of the people living on agriculture, it is time for us to increase this ratio of allocating 40 per cent to the priority sector to at least 60 per cent, so that money would be available to the small scale sector as well as the agricultural sector and professionals among poorer sections of society.

We find -- whenever we go in the Committee Meetings of the Parliament -- that a lot of banks are not even fulfilling that 40 per cent or 18 per cent agricultural financing. So, I wish that the Government must take a serious note to think about increasing the priority sector lending from 40 per cent to 60 per cent, so that we will take care of the real need of the poorer sections and we will replan the economy of this country, which is mostly agro-economy today. 

As regards micro-finance, we hear a lot of things, particularly, in Andhra Pradesh that some of these micro-finance companies have been charging about 50-60 per cent from the poorer sections of the society. Where did they get that money? It is not their own money. Some of the banks, which find that the transaction cost is more for them, are giving crores and crores of rupees to the micro-finance companies. This should have been given under priority sector by the main banks at a lower rate of interest of 9 per cent or sometimes 10 per cent to the users. They are transferring it to the micro-finance companies as if they are going to do

priority sector lending. I can understand if those people were to come with non-profit motive, but even those micro-finance private companies are profit-motivated. Hence, they are squeezing interest from the poorer sections of the society. So, I wish the Government to take note of the fact that no major banks should lend priority sector funds to the micro-finance companies. It must be done by them only or it should be given to an institution, which is non-profit making.

We have got lot of charitable institutions in this country who think of doing service to the poorer sections of the society, and if they do not find major charitable institutions in this country -- who lend to the poorer sections of the society -- in the rural areas, then we have got new avenues now, particularly, the women Self-Help Groups (SHGs) in this country, who are utilising these funds excellently well. We can see the glow on the faces of women in the villages where they earn Rs. 3,000 in a month as it is big money for them, which they were not able to get earlier. So, these SHGs can be encouraged in a big way, and the same money can be transferred to the SHGs where the transaction cost also will be very minimal. So, I wish that the Government seriously thinks about it, and there should not be a loss of time in this regard, namely, in curbing the micro-finance corporations to be given money from the banks. It is public money, and the same thing can be passed on directly to the SHGs who will pass it on to the colleagues who are poor.

Similarly, majority of the private sector banks, by virtue of their opening the branch only in urban areas where the transactions are very substantial that is, running into millions and crores, they do not have the commitment to lend to the poorer sections of the society in the villages. So, they do not open branches in the rural areas. It means that there is no level-playing field between the public sector banks and the private sector banks. There must be level-playing field, and the same guidelines must be applied and strictly enforced. The private sector banks are mainly avoiding this stipulation of priority sector lending by transferring this

money to the micro-finance institutions, which is doing tremendous amount of harm to the poorer sections of the society.

Right from 1985, I am telling in this House that the role of the banks is excellent. If we were to provide Rs. 10 lakh crore in the Budget, then the banks can do more good to the society and to the economy of this country than the budgetary provisions. It is because we will make the budgetary provisions only once, but the banks can lend to a borrower and recycle it 10 times. It means that if they were to identify the right borrower and that too a small borrower for the Rs. 43 lakh crore that is lying with the banks, then all that they need is a vegetable vendor. If he gets Rs. 2,000 loan, then in two days he will recycle it; pay it back; and then take it.

In that Rs. 2,000, he will make his livelihood; he can at least earn between Rs. 200 to Rs. 300 minimum, if not more. So, who is going to give them better dividend? Who is going to create more wealth in this country? It is the poor man or it is the common man who is going to do that. Unless they do some mischief, no major company can afford to make that much return. I wish that these banks must identify the right borrowers, more particularly in the rural areas, so that their wealth, their living standards will go up, while at the same time increasing the wealth of the nation, the GDP of the nation.

In that regard, if the Government were to give the target that this priority sector lending must be done amounting to so many crores, then they will immediately catch the voters' list and prepare the names of the borrowers. That should not be the case. When priority lending is done, all those borrowers must be identified, must be trained in a profession where they are interested, and then only the lending must be linked to them. In such a manner, all that money that is given to them can be put to extensive use and the returns will be more. By merely saying that we have given so many thousands of crores of rupees to the poorer sections of the society who are not connected will be of no use.

In this context, I suppose I told this earlier also, I will give an example to my colleague. I am running a Charitable Trust since 1985 providing skills in various professions totally free. In my constituency, when my people approached some Muslim families requesting them to send their women for training or for learning some skills, they refused to send their women. They said that it was a matter of '*Izzat* or *Izzat ki baat*' and, therefore, they would not send their women and that they were ready to starve but would not send their women outside for learning the skills. When my people convinced them, they ultimately agreed to send their women provided they were trained separately in a different room. We agreed for it, and some of them learnt making phenyl. At the end, when they were fully trained, I called the Collector of the District to give the certificates to the trainees.

Then, the Collector, who happens to be a woman, in a random and not specific manner, asked a Muslim woman in what profession she was trained. The Muslim woman replied by saying that she was trained in making phenyl. The Collector asked her whether she was confident of making this phenyl on her own without support from anybody, to which she replied 'yes'. When she was asked whether she could earn money out of it, she replied by saying 'yes'. When she was further asked as to why she was not doing it in her own house, she replied by saying that she did not have money and she had no investment. When it was enquired from her as to how much money was required by her – had it been party workers or regular followers of any political party, they would have said that they would require a minimum of one lakh rupees for making phenyl – shockingly, this Muslim woman who learnt making phenyl said that she would require Rs. 150. When the Collector asked her how much money she would make out of it, she replied that she would easily make Rs. 100 every day. That was the condition prevailing in those areas.

In these cases, we need to take the lead and see what kind of policies are to be formulated by the Government in power. We must decide that here. This is the

highest policy making body; every law, every Act, every programme and every policy we make must be able to motivate the people and must give them the ability and resources to make wealth for this nation. By simply giving a lecture, by creating the right policy, programme or Act, it is not going to happen. I wish the hon. Minister and the Government in particular will take note of this situation prevailing in the villages and then see that more and more money is given to the poorer sections of the society than to the richer sections.

Madam, in this respect, I just wanted to say a few more things.

We should encourage competition even in private banks. I am not against private banks. But they should not be given separate privileges. Private banks are starting their branches only in Delhi, Hyderabad or Bombay. It is not the right thing. Today when 70 per cent of the people are living in other areas, we must also go. That means, banks should not only think that it is only for profit-making. There must be a social responsibility also in it. While earning money, they must think that they are the trustees of the property. Let them enjoy the benefit. We are not coming on their way. But it should not be solely the profit making one. How does it gain to them except satisfying their ego that they make a lakh of crore of rupees or they make ten lakh crore of money? What do they do after that? I wish that the policy also should be changed in this regard.

While doing so, the people who come prepared to start a bank, should not depend on our deposit. They must have their own money and substantial shares. The limits also can be increased. Earlier, if I remember aright, for opening a bank, a capital of Rs.100 crore or Rs.200 crore was required initially. But it can be made Rs.500 crore or Rs.1,000 crore. Then there will be safety for the banks also.

Above all, I am also fighting right from the beginning that the rate of interest being charged in this country is killing the economy of this country and more particularly the human values are coming down. The sweat of the human beings is not valued properly. If I have, say, a crore of rupees, even if I sit in my house and lend this money, I get Rs.50 lakhs every year. So, why should I strain myself? Why should I work hard? But if it were to be on the hard work turned out by a citizen and not by the interest rate and suppose I do not get 15 per cent rate of interest but two per cent rate of interest, that will not be sufficient for me. Then I will have to work hard. I will work hard, sweat and then create wealth in this nation. So money should not create wealth but sweat should create the wealth. It is possible only when you reduce the rate of interest in this country. I do not know how the policy makers are thinking that by increasing the rate of interest they can control the circulation of money in this country and by which they can reduce the prices. That is not the only solution for the country. I request the Brain Trust of this country, particularly engaged in financial matters to please rethink and understand the situation in this country. Why is America charging only two per cent interest? Why is the inflation there only three per cent? Why is the same thing continuing in Europe? What is the principle of the financial system in Muslim community? They do not charge any interest. If somebody gets profit, let the banks share. In this regard, I also request the hon. Minister to make note that all those companies which are taking finance from the banks, which are making windfall of profits, they must also share some of the profits, if not full, with the banks. If a major company makes profit of an investment of say Rs.100 crore, with Rs.50 crore taken from the bank, which is a public money and if he makes a profit of Rs.50 crore every year, why should he be allowed full profit? I do agree that they are paying interest to the banks. But it is only eight per cent or ten per cent while they are getting hundred per cent margin on their own investment. I do not say that this must be applied to every company. But at least those companies

which are getting a windfall of profit, that must be shared. We must bring a legislation in this House to that extent.

In this regard I also say that no lending must be made to speculative business. I understand that in Delhi, Prithviraj Road or Jor Bagh, the land cost today is Rs.10 to Rs.12 lakhs per yard. It is horrible. How can anybody imagine that he can have even ten square yards for his housing?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): How much is the cost at Banjara Hills?

DR. K.S. RAO : It is throughout the country. My point is that public money should not be given to any speculative business like real estate or even future trading or any markets or none of these things.

If they want to make money, let them make money. In that case, the prices of these things will not go beyond the reach of the persons, more particularly, the poor men. Can any poor person think of having even 10 yards, not necessarily in Prithviraj Road, but in the outskirts of this city? He cannot, unless the Govt. does it. That is why, I have been fighting – keeping all these things in mind – for the minimum requirement of the citizens in this country, the poor men – be it keeping the food grains at an affordable price, or shelter. They should be given by the Government. Similarly, good education or health care, etc. must be taken care of by the Government.

Over and above that, if a poor man wants to come up, he must work hard and compete with others, and then, make money. Unless he has that basic requirement, he will not have an opportunity to come up, not now, but even for hundreds and thousands of years to come.

I just wanted to say in this regard – criticism will always be there – if a particular company were to be successful for a period of 2-3-4 decades, and by any chance, if it were to lose in a particular year, the banks must be able to go to the rescue and see that it is revived because the money belongs to the people. If the banks do not go to the rescue, the company which is 40-50 years old, would

get killed; it is nothing but killing of a human being. So, I wish that there must be a rationality, a vision and a thinking on the part of the banking system to go to the rescue and save such companies which are established – be it individual also.

Intentionally and with a fraud-making-mind, it should not be done. But if it were to be genuine, it must be done. In that regard, there must be an assurance from the Government and from the higher authorities that if a genuine mistake is committed, there is no harm and that there would be no punishment. But if an intentional mistake were to be committed, he must be immediately punished. But the system in this country is such that – be it judiciary or inquiry system like vigilance – the decision on the cases take years. If some officer were to make an intentional fraud and if a Departmental investigation were to be conducted, it will not be decided for 10 years; even if he goes to the court, it will not be decided. That means, his courage to commit fraud is increasing. That is why, I want my colleague-Ministers to bring such legislations in this country which would create a fear in the minds of the people who are committing offences. The law should be very stringent that a person who commits fraud, he would not be spared for his fraud.

Today, everyone thinks that he could commit a murder and hoodwink the law; everyone thinks that he could make Rs.1000 crore overnight and hoodwink the law. If this were to be the way, we cannot check it in the name of democracy; we can give freedom, but democracy does not mean that anybody can do any fraud or offence and get away. In the name of democracy, we should not spoil the growth of this country. I wish that we must think in these lines – what kind of legislation that should be brought forward and how stringent it should be.

It is known to everyone of us that red-tapism is one which is costing the economy very badly. If a decision that could be taken in a day is delayed by a month, the loss is substantial. A product that can be produced in Rs.100 could cost Rs.200 in that case. Who is responsible for that? In this context, I wish to say once again to the Government – I heard that if an American or an European were to go

for an investment in China, they would not allow them to come back for a second time. They will decide the matter across the table and he is forced to invest there. The same is not the case in India. If a multinational wants to come and invest in India, it takes months and years for him to come to a conclusion.

So, I wish that there must be a system. I am happy that there is a committee to decide on the FDI issue, but that also should not take too much time. Let them judge properly. If they want, let them have experts in that committee, who can decide the matter – he could take the history of the investor and see whether he is a genuine investor or whether he is capable or not. They can be taken care of in that way.

14.00 hrs.

In this context, whenever the Government or the Reserve Bank thinks in terms of increasing or decreasing the interest rate, I wish that at least the farming community, poorer sections of the society and self-help groups must be given loan at less than 3 per cent of interest. As far as I am concerned, I wish that some time they may be given loan without interest also. Otherwise, the interest amount will cripple them. For generations they have already suffered because of high interest rates. Nehru Ji must have brought the public sector undertakings with a view that the profits made by them may be shared by not just one family but by more number of people. But he could not have imagined that a day will come when the public sector undertakings instead of distributing profit will distribute losses to the public. I wish no public sector undertaking should incur loss. As I was telling the other day, be it Air India or some other organisation, if it is incurring losses regularly we should put an end to it. Just like the private sector undertakings, we can have all the guidelines and regulate the public sector undertakings strictly. So, we can control it. How long can we go on providing budgetary support to all these loss-making public sector undertakings in a perennial manner? We cannot. So, let us also think in terms of bringing legislation in this regard.

I am of the opinion that no budgetary allocation should be made to some of the revenue generating Ministries, for example, Civil Aviation. We have already given at least Rs.50,000 crore to Rs.60,000 crore to them. Should they not earn profit? Should we provide for their loss making every year? Similar is the case with Railway and Petroleum Ministries. I wish that any revenue that is collected in this country should be utilised for the welfare schemes like education, health care and rural development.

So, I would request all the hon. members of this House to give a thought to these matters. The Government also should take note of these things and accordingly change its thinking and follow a new system where the strength of a large number of people living in rural areas, the poorer sections of the society, goes up and they start generating wealth for the country.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, आपने मुझे भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदया, जहां तक देखा जाए, आज पूरे देश में 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और 22 निजी बैंक हैं और कोशिश हमारी यह होनी चाहिए कि जो कस्टमर्स हैं, उनको बेहतर सुविधा मिल सके। साथ ही साथ, इस विधेयक में कहा गया है कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कानूनों में संशोधन करने के प्रावधान वाले इस संशोधन विधेयक के अमल में आने के बाद आरबीआई एवं बैंकों की शक्तियां बढ़ेंगी। यह देखा गया है कि बैंक की जो पूंजी है, उसको बाजार में कारोबारी गतिविधियों में बढ़ाने से हम ज्यादा पूंजी जुटा पाएंगे। यह हमेशा प्रयास रहा है।

14.04 hrs.

(Shri Inder Singh Namdhari in the Chair)

लेकिन दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में फंसी राशि अर्थात् एनपीए बढ़ना भी एक चिंता का विषय है। इसमें कोशिश करनी चाहिए कि केन्द्र सरकार या बैंक की ओर से ऐसी स्कीम्स आएँ, जिनसे एनपीए बढ़ने की चिंता कम हो सके। इसके लिए भी प्रयास सरकार को करना चाहिए।

इसमें ज्यादातर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई का सबसे ज्यादा पैसा फंसा हुआ है। केन्द्र सरकार को और वित्त मंत्रालय को प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो पूंजी फंसी हुई है, उसे कैसे कम किया जाए।

वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार ने लक्ष्य रखा था कि बैंकिंग सुविधा 43,000 गांवों तक पहुंचाएंगे और बैंकों ने भी भरोसा दिलाया था। लेकिन इस लक्ष्य को अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में और विभिन्न अवसरों पर यह कहा कि दो हजार की आबादी वाले गांवों में 2012 तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर दी जाएंगी। इसके लिए हमें काफी प्रयास करना होगा। वित्त मंत्री जी ने जो यह भरोसा दिलाया था तो तमाम बैंकों को इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए प्रयास करना होगा। यह भी लक्ष्य रखा गया था कि दो हजार आबादी वाले ऐसे 73,000 गांवों की पहचान की गई है, जहां बैंकिंग सेवा प्रदान की जानी है। पिछले वित्त वर्ष में इस तरह के दो हजार की आबादी वाले 29,000 गांवों में बैंकिंग सेवा प्रदान की गई थी, लेकिन शेष लक्ष्य अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

इसके अलावा 4,75,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण का लक्ष्य हासिल करने का भरोसा दिया गया है। उस तक भी हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं और काफी पीछे हैं। अभी बात हो रही थी और मैं सुन रहा था कि शिक्षा के ऋण में कमी आई है, हमने सोचा था कि वृद्धि होगी। हमारे जो तमाम बैंकों में खाते हैं, उनकी राशि में वृद्धि हुई है और 43,000 करोड़ रुपए का बकाया है। दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के उत्थान

के लिए बैंकों से कर्ज उपलब्ध कराने के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। जबकि बैंकों को इस प्रकार के निर्देश भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने दिए हैं।

देश में आज भी शिक्षा, चिकित्सा सबको मिले, सबको रोजगार, छत और भोजन मिले, सबसे बुनियादी जरूरतें हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सरकार इन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए कारपोरेट घरानों के साथ ही साथ बैंकों को भी आगे लाना चाहिए और उन्हें भी साथ लेकर इन सुविधाओं को मुहैया कराना चाहिए।

भारत में सिर्फ 34 प्रतिशत जनसंख्या आधिकारिक बैंकों के दायरे में है। अभी भी 15 करोड़ परिवार बैंकिंग सेवा से वंचित हैं। जो हमारा लक्ष्य है, उस तक हम नहीं पहुंच रहे हैं। आज भी 50 प्रतिशत लोगों के पास बैंक का खाता नहीं है। दूर-दराज के गांवों में 17 प्रतिशत लोग बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि भारत सरकार की तमाम योजनाएं जैसे मनरेगा आदि जिनमें बैंकों में अकाउंट खोलकर लाभार्थी को पैसा देने की व्यवस्था है। देखा जाए तो इसमें अभी भी जागरूकता की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 75 फीसदी लोग रहते हैं, जो अधिकांश खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, उन्हें बैंकों के बारे में कम मालूम है। वे अगर बैंक में जाते भी हैं तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा लक्ष्य है कि बैंकिंग सेवा का विस्तार हो और ग्रामीण स्तर पर ज्यादा हो। इसके लिए हमें सरलीकरण की आवश्यकता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सेवा के दायरे में आ सकें। अभी छः लाख गांवों में सिर्फ 50 प्रतिशत ही बैंकिंग दायरे में हैं। देश की आबादी 125 करोड़ है, लेकिन सिर्फ दस प्रतिशत ही लोग जीवन बीमा के दायरे में आते हैं और 9.6 प्रतिशत लोग अन्य बीमा संस्थाओं का लाभ उठा रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम तमाम ऐसी बैंकिंग सेवाओं को सुदृढ़ बनाएं, उनका विस्तार करें और उन्हें मजबूती प्रदान करें। देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि देश का विकास हो, लोगों का विकास हो। आज जो अपराध बढ़े हैं, उसका मुख्य कारण यह भी है कि लोगों के पास धन है, ज्यादातर उसे वह घरों में ही संचय करते हैं।

वह बैंक तक नहीं जा पाता है और अगर बैंक में उसे खाता भी खुलवाना पड़ता है तो उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने वाले समय में अगर आपने बाहर के बैंकों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित किया है तो प्रतिस्पर्धा पड़ेगी और बेहतर सुविधा में अपने ग्राहकों को देनी पड़ेगी। इन बातों को सरकार और वित्त मंत्रालय को ध्यान में रखना होगा। मैं ज्यादा न कुछ कहते हुए, इस बिल पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।



श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, देश का विकास बैंकों पर निर्भर होता है और आज बैंक सबसे विश्वसनीय संस्था है। गांव का किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो या कोई पूंजीपति हो, सबका सीधा संबंध बैंकों से हुआ करता है। बैंक की दो विधा हैं, एक तो पूंजी को व्यवस्थित करना और दूसरा उधार देना। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में जब माननीय वित्त मंत्री जी अपने आंकड़े इस वित्तीय वर्ष में, बजट पर प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने कई बातें रखते हुए बड़े विश्वास के साथ कहा था कि बैंक का संबंध आकार से नहीं प्रदर्शन से होना चाहिए। उसे लोगों की सुविधाओं से नवाजा जाए, यह बैंक का उद्देश्य होना चाहिए। जैसा कि हमारे सम्माननीय सदस्य ने कहा कि इस समय वर्तमान वित्त वर्ष में 45,000 गांवों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गयी और यह भी कहा गया कि देश में जिन गांवों की आबादी 2,000 या अधिक होगी, उन्हें बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जाएगा।

वर्ष 2012 तक का लक्ष्य रखा गया था कि हम 73,000 गांवों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ देंगे। सुदूर अंचल में बैठा वह ग्रामीण जब छोटे-मोटे लोन लेने के लिए बैंक में जाता है तो उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह अपना खाता नहीं खुलवा पाता है। अगर खाता खुलवा भी लेता है तो लोन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसमें भी बिचौलियों की जरूरत पड़ती है। अगर बिचौलिये हैं तो लोन की व्यवस्था हो जाती है अन्यथा नहीं। अगर पूंजीपति है, धन्नासेठ है तो उनकी व्यवस्था ऑटोमेटिक है, उन्हें बैंक दिल-खोलकर सहयोग देता है। उनकी अट्टालिकाएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन गरीब की झोंपड़ी छोटी होती जा रही है। आज इस देश में जरूरत है कि सुदूर गांव में बैठे हुए लोगों का विकास हो और बैंकिंग सुविधाओं को देने का सरकार का जो लक्ष्य है कि हम गांवों के मजदूर और गरीबों का उत्थान करेंगे, वह पूरा हो। अनेक लाभकारी योजनाएं उनके लिए बनाई गयी हैं और ऐसा भी बताया गया कि बैंक उन छोटे लोगों को बिना किसी धरोहर रखे, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करें। हम लोग गांव में रहते हैं, लोग आते हैं और हम लोगों से पूछते हैं और जब हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि ये योजनाएं कागजों पर हैं और उन्हें इन योजनाओं से अवगत नहीं कराया गया है और अगर उन्हें जानकारी भी हुई तो उन बैंकों के मैनेजर्स गांवों के लोगों के साथ सहयोग नहीं करते हैं जोकि उन्हें करना चाहिए।

मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि आज भी 72 प्रतिशत से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। गांव की गरीबी, गांव की बदहाली, गांव की मजबूरी इस देश की सच्ची कहानी कहती है, सच्ची तस्वीर बताती है। हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, हम सब्जबाग दिखाना चाहते हैं लेकिन आज अमरीका की

तस्वीर क्या बनी है, कहने की जरूरत नहीं है। क्या हम उनके पद-चिन्हों पर चलना चाहेंगे, क्या हम शेयर मार्किट में अपने खाद्यान्न, अपनी जिन्सों, अपने अनाजों को सम्बद्ध करके, देश में भुखमरी की स्थिति लाना चाहेंगे।

महोदय, देश के विकास में बैंकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। शिक्षा लोन, छोटे उद्योगों के लिए लोन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो हमारे देश की रीढ़ हुआ करती थी। पहले लोन साहूकार दिया करते थे। वे मोटी-मोटी ब्याज दरों पर लोगों को लोन दिया करते थे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज देश के बैंक उन साहूकारों जैसे ब्याज ले रहे हैं। वे बैंक जैसे सरकार चाहती है, उस तरह की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। हमारे देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों का व्यवहार साहूकार बैंकों जैसा होता जा रहा है। वर्ष 2007 में ग्रामीण ऋण वितरण 7.93 हुआ था। वर्ष 2006 में इससे ज्यादा 8.93 था। हमें इस दिशा में और बढ़ना चाहिए न कि पीछे हटना चाहिए। हम पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपने देश के विकास को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि गांव का गरीब उच्च शिक्षा के लिए लोन लेना चाहता है या अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, तकनीकी शिक्षा देना चाहता है तो लोन लेने के लिए जब बैंक में जाता है, तो उसकी चप्पलें घिस जाती हैं और उसे लोन नहीं मिलता है। हम लोग भी ब्रांच मैनेजरों से बात करते हैं और कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था है, तो वह उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता, जिस स्तर तक पहुंचना चाहिए। आज गांव के विकास को आगे बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को आज पूंजी जुटाने की कुछ ज्यादा ही छूट दी जा रही है। राष्ट्रीयकृत बैंक कैसे लोगों को सुविधाएं प्रदान करें, इस पर उन्हें बाउंड नहीं किया जा रहा है। इस समय देश में 20 राष्ट्रीयकृत बैंक और 22 निजी बैंक हैं, लेकिन अगर आंकड़े देखें जाएं, तो ग्रामीण अंचलों में, जो सरकार की मंशा है, जो वित्त मंत्री जी अपने भाषण में कह रहे थे, क्या उसका अनुपालन हो रहा है। मैं कहूंगा कि बिलकुल अनुपालन नहीं हो रहा है। हम बैंकों की सुविधाओं को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाएं और गांव की झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भैंस खरीदने के लिए, दुधारू पशु खरीदने के लिए, खाद, बीज तथा खेती के यंत्र खरीदने के लिए ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें कठिनाई हो रही है। जबकि बैंकों को सुविधाएं दी गई हैं कि छोटे ऋण ब्याज मुक्त दिए जाएं।

महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गांव में जरूरतमंद लोगों को व्यवस्था प्रदान की जाए। हमारी जो योजनाएं हैं कि हम बैंकिंग शाखाएं बैंक तक ले जाएंगे, जो योजना वर्ष 2012 तक है, हम बैंकों को गांवों से जोड़ेंगे। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो बैंक के माध्यम से अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं, जो रोजी-रोटी की तलाश में हैं, जो आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, उन्हें अगर छोटे-मोटे ऋण दिए जाएंगे, तो वे अपनी जीविकोपार्जन में लगेंगे और विशेष रूप से गांव का गरीब, गांव का नौनिहाल, गांव का बेकार

और शिक्षित युवक, जिनकी बेंकों में जाते हुए ऐड़ियां घिस जाती हैं, चप्पले टूट जाती हैं, उन्हें ऋण की सुविधाओं से जोड़ा जाए, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): सभापति महोदय, भारतीय स्टेट बैंक सब्सीडरी संशोधन विधेयक, 2009 है, बाद में 2010 हुआ। पहले से जो कानून है, उसका संशोधन करना है। हैदराबाद स्टेट बैंक, 1959 का संशोधन करना है और भारतीय स्टेट बैंक समनुषंगी बैंक अधिनियम, 1959 का संशोधन करना है। इसके जो छोटे-छोटे सब्सीडरी बैंक्स हैं, उन बैंकों को स्टेट बैंक आफ इंडिया में समाहित करना है। अब इसके पीछे बहुत तर्क है। सबसे बड़ा तर्क है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, उसका भी सर्विस एरिया है और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडियरी बैंक्स हैं, उनका भी सर्विस एरिया एक है तो आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। आपस में यह प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसको मर्ज कर देना चाहिए। इसीलिए यह मर्जर के लिए विधेयक है।

दूसरा तर्क यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इस देश का सबसे बड़ा बैंक है। जो छोटे बैंकों को पहले ही समाहित करा दिया गया था-स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। दोनों बैंकों के बारे में पहले भी सरकार ने नहीं कहा कि यह घाटे में बैंक था कि एनपीए ज्यादा होता था कि प्रायोरिटी सैक्टर और नॉन प्रायोरिटी सैक्टर मिलाकर जो सरकारी कार्यक्रम है और जो लक्ष्य दिया जाता था, उस लक्ष्य को पूरा नहीं करता था। उसमें भी यह तर्क नहीं दिया गया, यह स्थिति नहीं बताई गई। अभी जो 5 बैंक्स हैं, जिनको मर्ज कराना है, वे हैं- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और अंत में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये पांच बैंक हैं और कुछ बैंकों में इनकी हिस्सेदारी 92 प्रतिशत और 75 प्रतिशत है। ये बैंक अच्छी स्थिति में हैं लेकिन अभी जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत है, उसमें ग्लोबल सिनेरियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 68वां स्थान है और कहा जाता है कि इसकी जो अधिकृत पूंजी है और निर्गमित पूंजी है, सबको मिलाकर सरकार को इस विधेयक से शक्ति मिलेगी तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह 10वें स्थान पर हो जाएगा। सरकार के दृष्टिकोण में समग्रता नहीं है क्योंकि सरकार जहां स्टेट बैंक के अधीनस्थ जो छोटे-छोटे बैंक हैं, उनका विलय चाहती है तो देश में जितने नेशनलाइज्ड बैंक हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसका स्पॉन्सर्ड बैंक आरआरबी है। जो छोटे-छोटे बैंक हैं, जिनका उल्लेख मैंने अभी किया जिनका परफार्मेंस अच्छा है, उसका एनपीए स्टेट बैंक के मुकाबले में कम है। इसलिए प्रायोरिटी सैक्टर और नॉन प्रायोरिटी सैक्टर दोनों में काम अच्छा किया है लेकिन आरआरबी चौपट है। कमेटी पर कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार बिठाती है कि री-स्ट्रक्चरिंग करो, आरआरबी का सशक्तीकरण करो। 15 प्रतिशत राज्य सरकारों को पैसा देना है और अपने हिस्से का केन्द्र सरकार पैसा देती है तथा स्पॉन्सर्ड बैंक पैसा देता है। लेकिन इसके बावजूद आरआरबी की सेहत अच्छी नहीं हो रही है। जब छोटे बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

के अधीनस्थ हैं, जब इन बैंकों को इसमें मर्ज कर रहे हैं तो आरआरबी को क्यों नहीं? आरआरबी को स्पॉन्सर्ड बैंक में मिला दीजिए। आपके पास कोई ऑर्थोराइज्ड कैपिटल की समस्या नहीं रहेगी और बड़ा बैंक भी हो जाएगा। इसीलिए सरकार का कोई दृष्टिकोण होना चाहिए। राव साहब चले गये, सिर्फ गरीबों को लोन देने, रोजगार देने और आय का सृजन करने का काम बैंक का नहीं है।

हमने देखा है कि अमेरिका में अभी जो मंदी का संकट आया है, जोशी साहब ने, शरद जी ने तथा और भी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, इससे पहले बड़ी मंदी आई थी। सारा देश कांप गया था, सारी दुनिया कांप गई थी लेकिन प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम मजबूत है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हम पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। ठीक है कि आपने ससटेन किया, आपने मुकाबला किया। आपका थोड़ा ग्रोथ रेट घटा, लेकिन अभी जो स्थिति अमेरिका की हुई है, उससे दुनिया हिल गई है।

आज थोड़ा शेयर मार्केट में उछाल देखा गया है, कल अमेरिका में था।

दूबे जी ने कहा कि कल अमेरिका में था, ठीक कह रहे हैं। आज सरकार ने जो कहा और रिजर्व बैंक का कंट्राडिक्टरी बयान आ रहा है। बैंक की जबरदस्त भूमिका हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था में है, हमने ऐसी व्यवस्था की है लेकिन स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थिति बहुत खराब है। आपने दूसरे बैंकों को मिलाया, लेकिन स्थिति क्या खराब है, वह यह है एनपीए बढ़ गया। सरकार ने जब बिल पेश किया तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की सेहत कैसी है, इसके बारे में नहीं कहा। मैं चाहता हूँ जब माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो कहें की स्टेट बैंक आफ इंडिया की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, एनपीए बढ़ गया, मुनाफा घट गया, ऐसी स्थिति में सब्सिडरी बैंक को मिला रहे हैं। यह क्या है? 11 वर्षों में बैंकों का सबसे खराब प्रदर्शन पिछले वित्तीय वर्षों में रहा है। स्टेट बैंक आफ इंडिया बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 21 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। कॉर्पोरेट सैक्टर में छोटी कंपनियां 21 करोड़ रुपया मुनाफा कमाती हैं जबकि स्टेट बैंक आफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक है और इस बैंक में छोटे सब्सिडरी बैंक का मर्जर करना चाहते हैं। मर्जर इसलिए करना चाहते हैं कि हम वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान में चले जाएं। आस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में ब्रांच खोलना चाहते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेट बैंक आफ इंडिया को 21 करोड़ रुपया मात्र मुनाफा हुआ है, सरकार को बताना होगा कि ऐसा क्यों हुआ है? मुनाफा घटा है और एनपीए बढ़ा है। एनपीए कितना बढ़ा है, 21 दूनी 42 करोड़ रुपए नहीं, 100 करोड़ रुपया नहीं, 200 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 1868 करोड़ रुपए स्टेट बैंक आफ इंडिया का एनपीए हुआ है। बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, मुनाफा घट रहा है, बैंक ने सर्विस एरिया सबसे ज्यादा लिया है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया है, इस बैंक में वन स्टॉफिंग ब्रांचिस हैं। ब्रांचिस में ठीक कार्य नहीं हो रहा है। सरकार आज भी स्टेट बैंक आफ

इंडिया की स्थिति नहीं बता पा रही है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि स्टेट बैंक आफ इंडिया के स्टाफ की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी वैकेंसी है और कितनी रूरल ब्रांच हैं जो वन मैन ब्रांच, अंडर स्टाफिंग है? आप ऐसी स्थिति में स्टेट बैंक आफ इंडिया को अन्य बैंकों के साथ जोड़ रहे हैं, जो छोटे बैंक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कर रहे हैं, जिनका एनपीए प्रतिशत अनुपात में कम है।

सभापति महोदय : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मेरा मन भी कर रहा है कि मैं सुनता जाऊं। लेकिन आपको कन्कलूड करना पड़ेगा।

श्री मंगनी लाल मंडल : महोदय, हमारे देश में 89 बैंक हैं जिनमें 31 प्राइवेट हैं, 31 विदेशी हैं। शेष 27 राष्ट्रीयकृत विदेशी बैंक इस देश में आ गए, सरकार इसके लिए सचेत है कि हमारे यहां विदेशी बैंक आएंगे तो देशी बैंकों के साथ मुकाबला होगा तो कैपिटल इनफ्लो होगा। यह सरकार की नीति है। 53000 ब्रांचिस हैं और 17000 एटीएम फैसिलिटी की गई है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 73000 गांवों को 2011-12 के अंत तक बैंकिंग फैसिलिटी देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बैंकिंग फैसिलिटी नेशनलाइज बैंक हैं उन्हीं के माध्यम से देनी है।

जो प्राइवेट बैंक्स हैं, वे डिपाजिट लेते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन नहीं करते हैं और सरकार के पास कोई कानून नहीं है कि प्राइवेट बैंक्स को सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए प्रेरित कर सके या उन्हें दबा सके। यह ठीक है कि जो कारपोरेट सैक्टर है, वह भी चाहता है कि मर्जर हो, सरकार की जो वित्त की स्थाई समिति है, मैं भी उस समिति का मैम्बर हूं, मंत्रालय की ओर से कहा गया और सरकार भी चाहती है कि मर्जर हो। कारपोरेट सैक्टर भी चाहता है कि मर्जर हो। कारपोरेट सैक्टर नेशनलाइज्ड बैंक्स से खुलकर ऋण लेते हैं और एनपीए भी करते हैं। एनपीए कोई छोटा एकाउंट नहीं है बल्कि एनपीए के बड़े-बड़े एकाउंट है। इसके अलावा जो देश के बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके पास कोई सामाजिक दायित्व नहीं है, वे सिर्फ कारपोरेट सैक्टर को लोन देते हैं। जो 53 हजार ब्रांचेज हैं, उनमें आरआरवीज भी नहीं है। आप देखें कि हमारे यहां कितने गांव हैं।

महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने लुई फिशर का नाम सुना होगा। साबरमती आश्रम में लुई फिशर ने महात्मा गांधी से पूछा कि बापू यह बताओ, आपका स्वराज्य कैसा होगा? तब बापू ने लुई फिशर से कहा, आप जानते हैं कि लुई फिशर ने कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने स्टालिन, लेनिन, गांधी आदि पर किताबें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारे देश में स्वराज्य होगा तो यहां सात लाख रिपब्लिक होंगे। लुई फिशर चकराया कि यह कैसा आदमी है, जबकि देश को एक करना है, अखंड करना है, देश में छह सौ से ऊपर रियासतें हैं। ये सबको मिलाने की बात नहीं कर रहे हैं और यह कहते हैं

कि सात लाख रिपब्लिक होगा। तब उन्होंने बापू से पूछा कि यह बताओ कि सात लाख रिपब्लिक कैसे होंगे। तब गांधी जी ने कहा कि हमारा देश सात लाख गांवों का देश है। सात लाख रिपब्लिक यानी बंगलादेश और पाकिस्तान को मिलाकर सात लाख रेवेन्यू विलेजिज थे और हमारा एक-एक गांव रिपब्लिक होगा, जहां सारी व्यवस्था, प्रबंधन हमारा होगा। लेकिन उन्हीं गांवों में बैंक का नेटवर्क भी होगा। यह गांधी जी ने लुई फिशर को कहा था। सात लाख गणराज्य का जो एक इंडियन रिपब्लिक होगा, वह बड़ा शक्तिशाली होगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि पहले यह बतायें कि आरआरवीज, कोऑपरेटिव्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को छोड़कर जो 53 हजार ब्रांचेज हैं, 73 हजार ब्रांचेज खोलने का वित्त मंत्री का ऐलान नहीं है, वित्त मंत्री का ऐलान यह है कि 73 हजार गांवों को बैंकों की सुविधा देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भले ही आप दसवें स्थान पर पहुंच जाएं, लेकिन हमें यह बताइये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। इस देश का आर्थिक दायित्व बहुत बड़ा है, उसमें गांवों में शाखा के विस्तार के लिए क्या किया है।

मैं आपको श्रीमती इंदिरा गांधी की याद दिलाना चाहता हूँ - 1971 में उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद नारा दिया था - वे कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। ऐ देशवासियों, तय करो, इन्दिरा हटाओ या गरीबी हटाओ। तब देश की जनता ने कहा कि इन्दिरा गांधी सही हैं, गरीबी हटानी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि बैंकों को आप एसबीआई में मर्ज कर रहे हैं, लेकिन इस विधेयक में श्रीमती इन्दिरा गांधी के गरीबी हटाओ के नारे का आप कहां तक परिपालन करेंगे, आर्थिक समृद्धि में इसका कितना योगदान होगा और देहाती इलाकों की ब्रांचों को कर्मचारियों से भरपूर करने में कितना सहायक होगा। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. I oppose this Bill *in toto*.

MR. CHAIRMAN: Do you oppose it?

SHRI A. SAMPATH : Yes, Sir. During our school days, we have learnt a poem:

“Pussy Cat, Pussy Cat, where have you been?

I have been up to London to look at the Queen”

Just one hour back, I heard a poem here in this House – hon. Ministers, hon. Ministers where have you been? When we were discussing such an important Bill initiated by the Government in this august House, many of the Ministers were missing. This is just for your information because you have entered the House after that, and that has already gone. ... (*Interruptions*) Anyway, that they may reply. This is just for information because it is the primary duty of the Treasury Benches to see that there is quorum in the House and the Bill is smoothly passed in the House. But unfortunately what we had experienced this situation. Sir, with your permission, I would like to request you to convey my regards to them.

This Bill is continuation of a process and that process is to privatise the Indian banking system. Within two decades, our banking sector is going to be one of the largest banking sectors in the world, next to China. Now, we are almost having the rank of third largest banking network in the world. The number of branches we have is increased only because they are the public sector banks. Now, my humble question to the Government of India is this. I want to know whether the Government of India want to kill the golden goose. Whatever they say, if they are saying about profitability, my humble request, through you, is – “people before profits.” This is the largest democracy in the world; second largest populated country in the world. Our people need more banks, more banking facilities, more efficient services. But what happens here? Now, the Government of India intends to take away the powers which the Reserve Bank of India is having. Only then, the Government can sell the equities. The RBI cannot sell on its own. So, they are taking the powers under the pretext of increasing the efficiency, increasing the

banking activity, spreading of banking activities, deepening of credit, etc. Whatever may be the music they may be singing, the true intention is to kill the public sector banks.

What is the experience of those nations which have denationalised or privatised those banks? We have come through an era of global economic meltdown, which has started due to the sub-prime crisis that took place in the United States. It was a manipulated crisis; it was a man-made crisis; it was an inevitable crisis. At that time, many of our friends said, no, it will not hurt Middle Eastern countries; no, it will not hurt India, “no, it will not spread to European countries.” We all know that there was a change of Government in Iceland; there were revolts in Iceland; there were rebellions and revolts throughout Europe; people attacked ATM machines; they attacked banks; looting and arson happened. I am not saying that just now what is happening in the UK is because of this. But all the private banks in Iceland were nationalised again. At that time, our rulers said, even – with your permission and I may be permitted to quote our hon. Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee, who in this august House while answering to the Starred Question No.82, on 5th of August – the hon. Minister stated that we have a different system. Just because we have a different system, our banks saved our financial sector; our banks will not collapse. That is his reply - our banks will not collapse, we have a different system. so, do not worry about economic global meltdown and the financial crisis that had happened there. But what does the Government of India want to do? What are they going to do? They want to follow the path taken by those banks. There may be some people who may say that, big is beautiful just like some others say, small is beautiful.



I am not concerned whether big is beautiful or small is beautiful. My nation is beautiful, my nation should be beautiful, and our people's concerns should be addressed.

Sir, I am coming from a State where the people are asking me as to what is the fate of the State Bank of Travancore. Not even a single paisa was spent by the Government of India for the establishment of the State Bank of Travancore. That bank was established by the erstwhile Maharaja of Travancore. All the deposits are from the people who are working abroad or who are working inside India and even within my State also. It is the people's money. Now the Government of India wants to – I may be excused for using such a term – slaughter it. It is waiting for its turn in the butcher's house. What has happened to the State Bank of Indore? Then they have showed the way for the State Bank of Saurashtra.

MR. CHAIRMAN : Sampathji, what you are speaking, is it not against the ideology of your party?

SHRI A. SAMPATH : No, Sir. I am speaking fully in line with the ideology of my party. I represent the ideology of my party as well as the concerns of the people. So I am airing the voice of the people. They have killed the State Bank of Saurashtra, they have killed the State Bank of Indore, and now they are going to kill the State Bank of Travancore which cannot be tolerated by the people.

Sir, the State Bank of India is the nation's bank. I am proud of its activities. There is a news item in today's newspaper which is the largest circulated Malayalam newspaper. Even our Congress colleagues will be happy when I quote from that newspaper here. It has reported a news item saying that yesterday the hon. High Court of Kerala has severely deplored the intention and attitude shown by some of the banks, including the public sector banks. They are very much hesitant to give education loans. We all have children. This is the case of children who do not have the voting rights. A child applied for a loan. He gave property, including the house and agricultural property, of his mother worth Rs. 80 lakh as security. The amount of loan applied for was only Rs. 20 lakh. The bank manager

said, 'no, this cannot be given'. This is what is happening now. At the same time, there are agents. I would say that a new mafia is emerging in the banking sector with the connivance of self-financing educational institutions. They are saying, "you go and join there, we will give you the loan. You go to that bank, we will admit you here". It is a case of 'you scratch my head; I will scratch your shoulder'. This is happening in the financial sector. What our Finance Minister has declared in his Budget Speech and what the Indian Banks Association has said should be ensured and our children should get the benefits of educational loans.

Sir, while opposing this Bill, I would like to point out one thing. How many posts are remaining vacant in these banks? Why do they not fill them up? They are indulging in outsourcing. In the name of outsourcing, what is happening in the banking sector? We are compromising with the basic provisions of the Constitution of India which was drafted by Dr. B.R. Ambedkar. Where is social justice? How many people belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Muslims are working in banks? Their number is coming down. How many of them are working in the officer cadre? Their number is coming down. They are poaching the skilled labour under the name of outsourcing. So, where is social justice? Mere rhetoric about social justice and reservation will not do. Whenever a financial institution is privatized, it is the killing time for the principles of social justice and reservation.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI A. SAMPATH : Sir, I am an obedient Member. Definitely I am going to conclude.

Sir, we are having thousands and thousands of ATMs in our country. To use the ATMs, one needs eyes. But there are persons who are visually impaired and there are persons who do not have the ability to hear. Some provision should be made in the ATMs so that the visually impaired also can use them.



I have also personally experienced that many of the disabled persons cannot use the ATMs because of their position that they have kept and because of the language which they use in the ATMs. If you want English, press 1, if you want Hindi, press 2, if you want the local language Malayalam, press 3. When I press 3, then it is down, it finishes and automatically it goes to Hindi or English language. If I do not know either English or Hindi, how can I operate that ATM? A large proportion of our population use the vernacular languages. But these ATM machines are manufactured by well qualified, highly skilled, well educated people, they have put only these languages. This is the people's money and they want to use it, so let them have the benefit of vernacular languages.

MR. CHAIRMAN : Thank you, Mr. Sampath.

SHRI A. SAMPATH : Sir, I plead for your mercy. Please allow me some more time. This is a very important thing because this concerns about the money also.

Now, it is the time when 25 paise, 50 paise are all being banned. No child can go to a shop and ask, 'uncle give me one toffee for 50 paise'. He cannot buy it because it is banned. It is a contraband. This is happening in India. How many nations have banned the usage of small denominations? The United States of America, the UK have not banned. Even China has not banned. We are banning the usage of 1 paisa, two paise, 5 paise, 10 paise, 25 paise, etc. All these coins are disappearing. You have to use only one rupee coin. You are inviting a punishment, a penalty. This is going to be banned. I am strongly opposing this.

Sir, there are private banks, there are foreign banks and there are public banks also. But do we need to kill the regional flavour of the nationalised banks? The regional flavour of the nationalised banks is a must, is a necessity. This is a country of diversities. That diversity is our unity and the strength for our unity.

MR. CHAIRMAN: Mr. Sampath, there is a time constraint, so please conclude now.

SHRI A. SAMPATH : Sir, I am concluding. Our banks should not forget their social responsibility, I mean, the constitutional obligations. I would like to invite

the attention of the hon. Minister and the Government of India that this is the people's money, this is nation's wealth, this should not be thrown to the mercy or the whims and fancies of the foreign banks. We have come to an age, we have reached this stage not because of any foreign intervention or help.

Before concluding, I would like to quote from the report of one international consultancy firm, even though some of us may disagree with them in many matters and even I also disagree, they have made it clear. This firm is US based firm, known as Price Waterhouse Cooper. They have said, "The E-7 – we also are categorised in E-7, the developing nations -- does not need the G-7 -- the richest of the world -- for capital, for decision making, or consumers."

So, this is not for the benefit of we people but for the benefit of those people that this Bill is introduced as part and parcel of other Bills which have been introduced and unfortunately, getting passed and more and more will come that will lead to a deplorable condition, if not, an anarchy in the Indian financial sector.

With these words, I would like to conclude my speech.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, Sir for allowing me to participate in this discussion on the Bill, The State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Bill 2009.

Such attempts were made during the National Democratic Alliance's tenure and very rightly when the Finance Minister, the Leader of this House, stood up last Friday and said that "we will be only pursuing the agenda that had been fixed by the NDA, I need your support." In that respect, I would say that this is an attempt to further the agenda that has been going on for the last two decades.

I have certain concerns while supporting this Bill. Those concerns are not relating to the functioning of the banking sector as such but relating to the specific Bill that is before us today.

There have been many signals in the Government's opinion that India needs more banks. That is why following the Finance Minister's announcement, that was made during last year when the Budget was presented, RBI had put out a Discussion Paper in August, 2010 inviting views on whether banking licences should be issued to industrial houses and also whether non-banking finance companies should be allowed to convert themselves into banks or to promote banks. I think that report must have been before the Government of India today which RBI had circulated.

There have also been calls in the Government circles for more banks in the rural sector. Tomorrow, we have a question listed as the second question relating to the rural banking system. Already four decades have passed since 1969-70. Still we hear today in this House eulogising nationalisation of banks. But, what have we achieved? I think, it is high time that we discuss this issue. After nationalisation of banks, a lot of things have happened. But, has the expectation been met? Have we achieved the expectations of 1969-70 relating to nationalisation? Or, are there certain flaws yet which need to be addressed? I think, only 51 per cent of the population is accessing the facility of the banking sector.

What is the position of banks in our country today? Some information has been provided by Mr. Mandal here. Currently, India has 89 scheduled commercial banks out of which there are 27 public sector banks, 31 private banks, and 31 foreign banks operating. Together they account for about 53,000 branches and 17,000 ATMs. The Minister can correct me if I am wrong. In addition, there are the regional rural cooperatives, regional rural banks, local area banks, urban cooperative banks, and district central cooperative banks. So, what do you mean by the need for more banks? Do you mean more branches or more banks as distinct legal entities? What do we need more? Do we need more number of banks or we need more branches of respective banks that are existing today? My opinion is that we need a bit of both. This is because, it is only when we have more banks, we may have more branches. When we have more banks, we will have more competition. It is only when we have more competition, we have greater range of products and services and a better quality of both. It is only under these conditions of healthy competition that the customer may more likely get a fair deal at the hands of the banking sector. Imagine the plight of a customer service if most of the branches were controlled by a small number of banks.

It is in this context, I would like this House to remember what happened last Friday. Most of the nationalised banks were on strike.

But still it did not affect the running of the finances of this country. I would appreciate if we have more number of banks. It is in this context, the State Bank of India's earlier merger of the subsidiary State Bank of Indore, State Bank of Patiala and State Bank of Hyderabad were opposed. At a time, when the Government's stated intent is to increase the number of banks and for its own largest bank to move forward, becoming a monolith by merging all its subsidiaries seems to make a little sense. I would like to say that the Government is on in record saying that initiative for consolidation has to come from the management of the banks themselves with the Government playing a supportive role as the common shareholder. How can the Government confine itself to only a supportive

role? This is unacceptable. This is indicative of ambivalence in Government's approach on the merger. We have to come out very clearly on this aspect.

The present Bill before us, however, is to transfer the ownership of SBI from Reserve Bank of India (RBI) to the Union Government pursuant to the SBI Amendment Act of 2007.

The Narasimham Committee's Report in 1998 had observed that 'the Reserve Bank as a regulator of the monetary system should not be also the owner of the bank in view of the potential for conflict of interest'. On the policy stands of the Government, on the merger, the subsidiary with the SBI, it was stated that consolidation would bring in economies of scale, reduce administrative overheads, redeploy and channelise trained manpower to business development. And in the process, also reduce avoidable competition from different arms of the same group, engaged in the same activity, in the same segment and geography. Such amalgamation will free a large number of employees from administrative function; to be deployed in business development, lending and to all-round growth in business and profitability. I would like to understand as to what has happened after four years. You are still engaged with business representatives. Some of us have the letter written by the Managing Director, State Bank of India, which clearly says as to how the business representatives are looting certain customers of SBI and to refrain from appointing those business representatives to which my comrade friend has used the word '*mafia*'.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I will take another two minutes.

MR. CHAIRMAN: Take exactly two minutes more.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: It is a fact that the employees, of course, this issue has been raised by the initiator of this debate, after the merger, are enjoying better status but the problem lies with the persons who have already retired. The Bill is silent on issues like pension. Are you going to carry out amendments in the

State Bank of India Pension Fund Rules to take care of payment of pension to the retired employees of the merged subsidiary banks? This needs to be looked into.

I am of the opinion that Government stance and approach in bringing legislative changes in the Act, regulating SBI and its subsidiary in particular, are *ad hoc* in nature. You did one in 2007 and another in 2009. Now, in 2011, you have brought another Bill for amendment.

15.00 hrs.

Please do away with this *ad hocism*. Bring in a comprehensive Bill so that, I think, this House will support you in full.

Last Friday morning, I had drawn the attention of the Government about the huge NPAs of the SBI group of banks. What answer do you have after RBI has come down so heavily on the SBI management? I did not get the answer that day but I would expect you to give your answer to that in your free time. Should I believe that SBI is unable to manage a large size bank? I would expect the Government to spell out the policy.

I would like to draw the attention to the amendment made in the Subsidiary Bank law *vide* SBI Subsidiary Bank Law (Amendment) Act, 2007, which enabled the Chairman, SBI to nominate the Chairman of Board of a subsidiary bank from the franchises of the subsidiary as well and entrusted the regulation making power with the Board of Directors of the subsidiary bank. It is yet to be given effect to. I would like to understand why?

Amendments remain to be made in the SBI Funds Rules. Why? Is this not detrimental to the retirees of the merged subsidiary banks?

With these words, I conclude.

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Prabodh Panda. Please note that there is a time-limit.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I am aware of the time constraint but even then I would request you to allow me to touch upon the points. I am not going to make a very long speech.

Sir, I rise to oppose this Bill.

My previous speakers narrated the state of affairs and the health of the State Bank of India. The speaker from the Congress Party, hon. Dr. K.S. Rao, has already said about the responsibility of the State Bank of India, the largest bank of our country and also its social responsibility. I am not going to touch all these points.

Sir, it is revealed that the State Bank of India, which is the largest bank of our country, has now become a very big white elephant. What is the health of this elephant? It is already by my previous speaker that the NPAs are increasing like anything. A couple of years back, one data had been released by the Reserve Bank of India – it was published by the All India Bank Employees' Association – that the NPAs were about one lakh crore rupees covering all the nationalized banks and the largest share was from the State Bank of India. Defaulters worth more than Rs.1 crore are the billionaires, and they are the main defaulters. So, this is the situation. On the other hand, the profit of the State Bank of India is decreasing day by day.

What is the vacancy situation? A number of vacancies remain vacant. What is needed today? More branches should be opened in the villages. A large part of the rural areas of our country is out of this coverage. In such a situation, this sort of legislation is detrimental and it will not serve the purpose. Rather it will give more authoritarianism to the State Bank of India and the Union Government.

Sir, this Bill amends the State Bank of Hyderabad Act, 1956 and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959. These two Acts regulate all the subsidiary banks of the State Bank of India.

So, the State Bank of India was the regulator of the subsidiary banks. Now, this new law is going to control all the banks, not as a regulator, but as authoritarian and is giving more powers to the Central Government in this relation.

The Bill also requires approvals from the Central Government for increasing its issued capital by issuing equity shares, by public issues, by preferential allotment or by private placement issuing bonus shares. So, it will open the door for more privatisation. This is the essence of this Bill.

Other decisions that require approval from the Central Government in consultation with the RBI, include the composition of the Board of Directors of the subsidiary bank, nominations or appointments of Directors to the subsidiary banks, appointing a Managing Director and removal of Directors. So, all sorts of democratic process would be curtailed. This sort of legislation has been brought before us!

In certain cases, the RBI, on the recommendation of the SBI, may supersede the Board of Directors of the subsidiary bank and issue directions.

Sir, this Bill is going to open doors for more privatisation; this Bill is going to curtail the rights of the subsidiary banks; this Bill is going to damage the very potentiality of the State Bank of India; and this Bill is detrimental to the health of our banking system. That is why I have risen here to oppose this Bill. But I hope, the Government would think over it.

Sir, the other day, in this very august House, the hon. Finance Minister proudly said: "We are not much affected by this international economic meltdown; and it is because of the strong health of our banking system." But you, the Government, are now, step-by-step going to weaken the banking system of our country. This legislation is one of such steps. That is why I am opposing it.

I hope the Union Government would ponder over it and would not go ahead with it. If we want to strengthen the very economic strength of our country, the very economic situation of our country, the Government should not liquidate the rights of all the subsidiary banks. Do not go for further merger. Strengthen the banking system and not weaken it.

These are my main points. With these words I conclude and I oppose this Bill.

सभापति महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह। कृपानिधान जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। समय का थोड़ा ध्यान रखिये।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): जी। सभापति महोदय, यह जो बैंक से सम्बन्धित विधेयक सरकार के द्वारा आया है, इसमें सरकार ने दावा किया है कि सन् 2007 में यह कानून बना था, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मिलिकियत थी, उस मिलिकियत की जगह पर सैण्ट्रल गवर्नमेंट आ जायेगा। वह मिलिकियत रिजर्व बैंक के बदले सैण्ट्रल गवर्नमेंट होने से उनको कानून लाना पड़ा, जो सन् 1956 का कानून हैदराबाद स्टेट बैंक का था और सन् 1959 का कानून जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सक्सिडियरी वाला कानून है, उसमें इस संशोधन का इन्होंने दावा किया है।

महोदय, हम नहीं जानते हैं कि बैंकिंग मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा काबिल है कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट ज्यादा काबिल है। इस सब की हमको जानकारी नहीं है। इस मामले में गांव-ग्राम से अधिक हम नहीं जानते, लेकिन सरकार ने रिजर्व बैंक जफ इंडिया के बदले अपने पास उस मिलिकियत को ले लिया, उसके चलते यह कानून आया। पुराने जमाने में सरकार के वित्त मंत्री ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर बहाल किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर मंत्री हो गये, प्रधानमंत्री हो गये और वित्त-मंत्री वित्त-मंत्री ही रह गये तो यह पुराने जमाने से चल रहा है, इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सैण्ट्रल गवर्नमेंट का सवाल है। जब सैण्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में मिलिकियत है, तो हमारा सवाल नंबर एक है, हमारे वामपंथी मित्र से कहना चाहता हूँ कि पांच तारीख को देश भर में बैंक की हड़ताल हुयी, तो आपने क्यों नहीं इस सवाल को उठाया? किस वास्ते यह हड़ताल हुयी? वर्ष 2007 के कानून के मुताबिक ये कानून लेकर वर्ष 2011 में आए हैं। इन्होंने दावा किया कि वर्ष 2007 में जो कानून बना था, उसके चलते वर्ष 2011 में यह हो रहा है, तब तो यह चार वर्ष विन्ब से अब हुआ। 5 अगस्त को देश भर में बैंकों की हड़ताल हुयी। इसमें कितनी बर्बादी हुयी, उनकी मांग क्या है? आज छः दिन के बाद हम बैंक पर, विधेयक पर बहस चला रहे हैं। इसमें सवाल नंबर एक है कि उनकी मांगें क्या थीं, क्यों हड़ताल हुयी और देश की कितनी बर्बादी हुयी और कारोबार में कितना नुकसान हुआ? इसका जवाब दें। ...(व्यवधान) आज मौका मिला, यह तो वर्ष 2007 के कानून की बात है, हम तो छः दिन के बाद बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, आसन की ओर देखकर अपनी बात कहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, अब मेरा सवाल नंबर दो है।

सभापति महोदय : आप कहां तक जाएंगे?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : चार से ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। इस बिल में है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को बहाल करने में और इस सब में सरकार के हाथ में यह हो गया। अभी स्टेट बैंक में पचास एग्जीक्यूटिव

मैनेजमेंट के लोग और सौ पीओज बहाल हुए। पीओ बहाल होने के लिए कंपटीशन होता है, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कंपटीशन से बहाल हुआ। पीओ का प्रोबेशन दो वर्ष का है, जिसमें 730 दिन होते हैं। 729वें दिन सौ पीओज को हटा दिया और पचास लोग मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के हटा दिए गए। अभी इस घटना के कुछ दिन ही हुए हैं। उसका साल भर का टाइम था, लेकिन उसे 365 दिन के बदले 364वें दिन हटा दिया। यह सरकार को जानकारी है, हटाने की, रखने की आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन स्टेट बैंक में अभी पचास मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव को हटा दिया गया और सौ पीओज को हटा दिया गया। अगर एक साल पूरा हो जाता तो उसका अधिकार बन जाता, आप लोग कानून के बारे में ज्यादा जानते हैं। एक साल तक उनको मनमानी करने का हक है। 365 दिन के बदले 364वें दिन उसे एक कलम के आर्डर से हटाया। उनका क्या कसूर है? मैं यह इंसाफ चाहता हूँ। मैं सदन को जानकारी देकर न्याय चाहता हूँ। वह कहते हैं कि नौकरी दी जाए, कर्मचारियों की कमी है और लड़ाई लड़ते हैं कि आउट-सोर्सिंग हो रही है, जबकि यह तो कंपटीशन से बहाल आदमी को मनमाने ढंग से हटाया। वे सब अभी कोर्ट में दर-दर भटक रहे हैं। वे मेधावी लड़के जो कंपटीशन से मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव में और पीओ के पद पर बहाल हुए थे, कुल डेढ़ सौ आदमियों को हटाया गया। सवाल नंबर दो का जवाब दें कि क्या सरकार को जानकारी है? उनके साथ क्या न्याय हुआ है, उसका क्या कसूर है कि 365वें दिन के बदले 364वें दिन हटा दिया? उन्होंने कहा कि हमें पावर है कि साल भर के अंदर में हम जब चाहेंगे उनको हटा सकते हैं। यह कौन सा कानून है, यह कहां का न्याय है, कहां की डेमोक्रेसी है, कहां है जनतंत्र, कहां है संविधान? यह बहुत भारी अंधेर हुआ। मेरा स्पेसिफिक सवाल नंबर दो है कि क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि नहीं? ...(व्यवधान) यह दूसरा सवाल है।

सभापति महोदय : टोटल तीन हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इसमें कैटेगरीकली जवाब नहीं चाहते, एक्शन चाहते हैं कि उनको फिर से बहाल किया जाए। उनको क्यों हटाया गया? यदि कोई कसूर है, तो मैं नहीं कहूंगा। कोई हेराफेरी या गड़बड़ी है, तब मैं इसके लिए नहीं कहूंगा। बिना कोई हेर-फेरी, बिना कोई कसूर, बिना कोई शोकाज, बिना कोई जांच-पड़ताल के 100 पीओ एवं 500 एक्जक्यूटिव मैनेजमेंट ऑफिसर, जो पीओ से थोड़ा ऊपर रैंक के होते हैं उनको हटा दिया गया। 365 दिन नहीं पूरा होने दिया, 364वें दिन उन्हें हटा दिया। 730 दिन पूरा नहीं होने देंगे, 729वें दिन उन्हें हटा दिया। मैंने ऐसा अंधरगर्दी न तो देखा है और न सुना है। दुःख है, अफसोस है, आश्चर्य ही नहीं गुस्सा भी है। सरकार को बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ है? जो गलत निर्णय हुआ है उसको सुधार कर सदन में जवाब देना पड़ेगा।

सभापति महोदय : धन्यवाद।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जिन्हें गलत हटाया गया है उन्हें बहाल किया जाए। नहीं तो वे गरीब लड़के कोर्ट-कचहरी जा रहे हैं। बेरोजगारी का सवाल है। वे मेघावी लड़के हैं। वे कंपीटीशन से आए थे।

सभापति महोदय : तीसरा प्वाइंट बोल कर समाप्त कीजिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : तीसरा, गांवों में बैंक नहीं है। गांवों में बहुत बैंक जाना भी नहीं चाहता है। बैंक बहुत सिमट रहा है। दावा बहुत हो रहा है। गांवों में बैंक की शाखाओं की इतनी कमी और गांवों में बसने वालों को कितना ऋण मिला तो 7 प्रतिशत। अर्धशहरी और शहरी लोगों को 92 परसेंट ऋण मिलता है। यह क्या हिसाब चल रहा है? देश कहां जा रहा है? ये कहते हैं कि गांव वालों को बैंक की कहां सहायता है। वे अभी भी पुराने जमाने में चल रहे हैं। बैंक भी अब साहूकार हो रहा है। वह गांव में नहीं जाना चाहता है। इसलिए अभी-अभी हाल में मुजफ्फरपुर जिला का ग्रामीण बैंक, बारून थाना में सरमसपुर मैनेजर के ऊपर भी हंगामा है, एजिटेशन चल रहा है ग्रामीण बैंक के लोग कर्मचारी अधिकारी ... (व्यवधान) गांव में बैंक का सवाल आया तो परेशानी शुरू हो गई। गांव की आबादी 72 परसेंट और लोन 7 परसेंट। कर्जा भी नहीं दे रहे हो तो उनको रोजगार कहां तक दोगे। महोदय गांव के लोगों का क्या हाल है।

सभापति महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं यह बता रहा था कि बारून थाना के सरमसपुर गांव का मैनेजर दलाल के चंगुल में नहीं आया। उसको मार कर टांग दिया और बाहर से ताला बंद कर चला गया। दो रोज के बाद जब दुर्गन्ध हुई तब वहां लोग पहुंचे। ग्रामीण बैंक का यूनियन संघर्ष कर रहा है कि सीबीआई जांच कराओ। लोकल पुलिस को अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कहते हैं कि आश्रित को नौकरी दो। उसके बाल-बच्चा का क्या होगा? गांव के बैंक में काम कर रहा था इसलिए जान मार से दिया।

सभापति महोदय : अब कृपया संक्षिप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसकी हत्या हो गई। यूनियन के लोग लड़ रहे हैं। सवाल नम्बर तीन हम सरकार से चाहते हैं।

सभापति महोदय : तीन हो गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उसके आश्रित को नौकरी दी जाए और सीबीआई से जांच कर उनको पकड़ा जाए। अंत में यह कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर बैंक का सवाल स्पेसिफिक है। मुजफ्फरपुर में कैनरा बैंक का रिजनल ऑफिस था, उसे हटा दिया। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजनल ऑफिस डिजर्व करता था, सब बैंक वाले आए थे हमारे पास, कहा बैंक का भी कुछ आए तो उसमें हम लोगों का सुना जाए। आप जानते

हैं कि बिहार में पटना के बाद मुजफ्फरपुर बिहार की राजनैतिक राजधानी है। सब जगह बैंक बढ़ रहा है वहां बैंक घट रहा है। देहात में तो नहीं है बैं। मुजफ्फरपुर में भी कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक का रिजनल ऑफिस होना चाहिए।

बैंक के बिना गरीबी कैसे हटेगी। बैंक में 20 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। गरीब लोग अपना पेट काटकर बैंक में पैसे जमा करते हैं।...(व्यवधान) लेकिन उन्हें लोन नहीं मिलेगा। लोन दूसरे लोगों को मिलेगा।...(व्यवधान) ये लोग एनपीए, एनपीए भाण कर रहे थे। एनपीए की जांच की जाए।...(व्यवधान) ऐसा असैट जो परफार्म नहीं करे। जो परफार्म नहीं करे, क्या वह असैट हुआ? यह चालाकी है। यह गलत पॉलिसी है जो परफार्म नहीं करे।...(व्यवधान) बड़े लोगों ने लूट का पैसा लेकर डुबा दिया।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश जी, मैं दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार रहा हूं।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सब लोग एनपीए, एनपीए कहते हैं।...(व्यवधान) बड़े लोगों ने पैसा डुबा दिया।...(व्यवधान) उसमें कितने प्रतिशत पैसा गरीब लोगों ने लिया है और कितने प्रतिशत बड़े लोगों ने लिया है। ...(व्यवधान) इसका हिसाब भी होना चाहिए। यहां लोग घालमेल कर रहे हैं, यह सही नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब केवल श्री सेम्मलई की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)*

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, thank you for giving me the opportunity to take part in the discussion. Many Members have expressed their views on the prevailing banking system in our country. I restrict my speech only in respect of the proposed amendments because it is an amending Bill.

The proposed Bill is aimed at conferring power on the Central Government, instead of the Reserve Bank of India and putting the Central Government in the place of RBI. What I understood on studying the proposed Bill is that the ownership of the State Bank passes on to the Central Government from RBI and the control of the State of India is being shifted from RBI to the Central Government. This Bill proposes to amend the provisions that earlier dealt with approvals and consultations with RBI on a number of administrative and technical issues. Now, through this proposed Bill the words 'approval and consultation with the Central Government' are incorporated. Technically it may be good and correct.

This august House should consider the status of RBI. RBI is an autonomous body and a very responsible body of the Central Government. It is also an expert body on all banking matters, and there is no doubt that the Reserve Bank of India is the foundation of the Indian economy. The Ministry may or may not have an expert head; but RBI must necessarily have an expert head.

In the present system there is efficiency in the RBI. The Finance Minister also knows this full well. The Government has full faith in the expert management of the RBI. Apparently, even now it is not out of the control of the Central Government also. Then what is the need of amending the provision? My apprehension is that if the Central Government, through the Ministry of Finance, is inducted to exercise day-to-day control in the working of the State Bank, it would certainly bring an element of political interference in the running of the State Bank and its subsidiaries.



Of course, whatever reasons are stated in the Statement of Object and Reasons, but political interference will definitely weaken the system and shake the basic structure of the institution. It will also certainly reduce the efficiency as we cannot expect the same efficiency if it is done. I also apprehend that the management of the State Bank of India will fail in the future.

I would like to make a suggestion here. If the Government is very particular in passing the amendment, then a provision should also be made to make the consultancy or recommendations of the RBI binding in all matters when the Central Government has to accord its final approval. If my suggestion is incorporated or taken into consideration, then normalcy of the RBI will continue and the basic structure will not be affected. I sincerely believe that the hon. Finance Minister will consider this suggestion of mine.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Respected Chairman Sir, I take the floor to oppose the State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Bill, 2009. From our very childhood, we have been knowing that the Reserve Bank of India and the Central Government are one and the same thing. Though RBI has some kind of identity and autonomy, this Bill proposes, “confer power on the Central Government instead of the Reserve Bank, but after consultation with the Reserve Bank ” – it means that the Government wants to usurp all powers of the RBI. The reason is that in this age of globalization the Government thinks it to be its bounden duty to pave the way for foreign commercial banks. We have nationalized banks, private banks, foreign banks and several other smaller banks in our country. The subsidiary banks function on regional basis and they really contribute a lot towards the economic development of their respective regions. These banks have been merged earlier also and even now the policy of merger is underway. Be it the Bank of Indore or the Bank of Surat, not much has been done for the prosperity of these institutions. The promises which were made for the benefit of the employees have not been fulfilled. Now the Government is trying to control the functioning of all these small entities. This is the reason why I am opposing this Bill and this was why the strike of bank employee was held on 5th August. It was a very successful strike which opposed the Government policy of hitting the banking sector hard. We all know that for economic prosperity of the nation, rural economy must be developed. Thus banks must be opened in the far-flung rural areas. There are 6 lacs villages in India. It was declared in the Budget speech that 73,000 branches of banks will be opened in the villages where the farming population is two thousand or more. But the ground reality is something different State Bank has

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

huge premises to operate from but the poor farmers do not get loans from SBI. When they go to SBI for education loan, health loan or home loan, they have to run from pillar to post to get these sanctioned or are outright denied the facility. Only the well to do people are able to get credit from big public sector banks. Thus I want to say that this Bill is not for the benefit of the ordinary citizens of the country.

However the banking sector must be strengthened for steady progress of the country's economy. For that we need village based banks which are rarely to be found. The banks in the villages do not have adequate number of employees. There is acute staff crunch which forces one or two employee to run the organisation with great difficulty. In this age of progress, this kind of situation cannot be allowed to continue.

Moreover, due to this legislation, there will be some legal complications. It means that if the powers of RBI are entrusted with the Central Government in consultation with the RBI then there will be dual authority which will lead to problems while fixing accountability. Therefore my suggestion is that in the rural areas, the local people should be involved more and more in the day to day functioning of the banks. In this way the banks will also learn to act responsibly and in the interest of its customers.

It is not that there rural banks are not doing anything at all. They are contributing to the well-being to the poor, common people no doubt, but the scope of their work must be expanded more so that people get the benefit of the banking system of the country. It is evident that the Government of India is highly in favour of foreign retail investments which may actually choke the small, indigenous, local traders to death. Be it Walmart, or Reliance or any other foreign companies – they are being invited to spread their network in India which will harm the interests of our business communities. The role of the banks is also dubious in this regard.

So my point is that the Bill which is being discussed here is not beneficial to the people of our country. The regional banks must also be given the right to thrive and prosper and with these words I thank you for allowing me to speak on this subject and conclude my speech.

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me the chance to participate in the discussion relating to this legislation on the State Bank of India (Subsidiary Banking Laws) Bill.

Many hon. Members have discussed about various aspects of the legislation. I rise to oppose the Bill.

There are some points which I would like mention here. The State Bank of India is a large institution, but the infrastructure of this institution in most of the rural areas in our country is not up to the expected level. Therefore, the State Bank of India has to develop its infrastructure in the rural areas keeping the welfare of the poor and common people in mind.

In the districts, there are only a few branches of the State Bank of India. There are no branches in most of the rural areas. In my district, Purulia, most of the blocks do not have the branches of the State Bank of India. Wherever the branches of the State Bank of India are there, they do not fulfill the demands of the people. There is not sufficient staff to take care of the welfare of the poor people.

We have seen a number of vacancies being created and the same being advertised. However, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not being appointed for a long time in the vacant posts.

While developing the infrastructure of the State Bank of India, in the rural areas where the welfare of the people should be given priority, it is not going on properly. In the last Budget, our Finance Minister had assured that more branches of the State Bank of India will be opened, but till today not a single branch of the State Bank of India has been opened in my district.

A few days back, on the 5th of August, the employees of the State Bank of India and all other banks have gone on strike against misappropriation and deficiencies of the Government, and it has been completely successful. Whatever the Government has assured, they must do it.

I am of the opinion that the Government is declining educational loans to the youth.

There are many norms. People go to the bank for educational loans. A very few of them go regularly but the loans are not sanctioned. They are returned by mentioning some decision of the bank. Banks must endorse the social responsibility towards the common people of our country. The State Bank of India is not fulfilling the hundred per cent social responsibility of the country. That is my humble submission to you. This legislation will not ultimately render proper welfare of the common people of the rural areas. That is why, I again say that I oppose this Bill.

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Sir, it is an opportunity given to me to speak on the State Bank of India (Subsidiary Banks Laws) Amendment Bill, 2009. It is an important Bill. I support the Government regarding this Amendment Bill.

A sound financial management is essential for the development of a nation. 'Money is the pivot around which the economic science clusters.' This a Marshallian quotation. Our banking system is a very fine system and it is a world class system. It is because of that our Madam Shrimati Indiraji during 1969 nationalised 14 commercial banks. Our Communist Member, Shri Sampath has said that he has some apprehension as to whether it is going to be privatized. There is no need for this. Let him not be afraid of this. Let him not send this type of message among the people. Madam Indira Gandhi nationalized all the banks and we had a tremendous growth in the banking sector in our country. It is not only that. There are about ten lakh workers who are working there. The Communist people are not at all talking about the employees. They have forgotten it completely. We have given all the opportunity including the salary and other things.

We are having a financial crisis, the world over. Even in this crisis situation, our bank is standing high. We have faced the crisis. How? It is because of our banking system or the RBI system. We are having an apex bank the RBI. It is controlling all the nationalized banks. It is controlling it systematically. We are having an able Finance Minister in our country. We are having an apex bank, that is, the Reserve Bank. It is a controlling weapon. Monetary weapons are there to control not only all the commercial banks but the private banks, the foreign banks etc. All these are controlled by our banking system. It is properly being done. That is why, we are facing the crisis nowadays.

I want to say one more thing. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Since he is not yielding, please sit down.

... (*Interruptions*)

SHRI S.S. RAMASUBBU : I am not yielding. I am telling the fact. ...
(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Only the speech of Shri Ramasubbu would go on record and nothing else.

(Interruptions) ...*

SHRI S.S. RAMASUBBU : Sir, nowadays we have to face the competition of foreign banks. We need a fast, commercial bank with sound capital. In this regard, we should merge all the subsidiary banks of the State Bank with the State Bank of India. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Ramasubbu says.

(Interruptions) ...*

SHRI S.S. RAMASUBBU: The rate of interest is very low and it is fixed by the RBI. Some provision should be there to have the differential interest rates. I would like to say that our Finance Minister should be cautious because he is fixing the interest rates. We are fixing the rate of interest; the RBI is controlling the rate of interest of the subsidiary banks. These interest rates should not be different for different banks. We have to be cautious. Some banks may fix higher rate of interest, and some may do it with a profit motive and fix such a rate. But we have to unanimously fix the interest rate; this is my suggestion here.

I want to say one more thing. All the Members were talking about NPA. Our Finance Minister says that the NPA is at the minimum level and there is no more NPA. But the credit should not be affected.

I want to tell one thing regarding NPA to our Finance Minister. It is a very important point. In the small scale industries, the banks are giving loans. The bank officers are doing assessments. The loans are given partially for the small scale industries – they give loans only for the machineries or for the buildings, but not

* Not recorded.

for the vehicles. Some vehicles and trucks are necessary for the business. So, loans should be given in full; partial loans should not be given – loans for all the infrastructural facilities should be given; then only, it will be successful. This is the cause for the NPA. This is essential. The RBI should insist that all the banks have to properly follow this.

Then, I come to the education loan. It is very important because human resource development is essential for the development of the nation. Our Congress led-UPA Government is giving this loan facility to the students; it is a very important loan; most of the lower income people are getting this loan and are studying. Nowadays, easy education loan is given. The RBI should insist and say that this loan should be given to the lower income people easily.

Regarding recruitment of staff members, Khandelwal Committee has recommended this – ‘outsourcing of bank employees is not acceptable’. It says that outsourcing of bank employees should not be there. It is because we are sound; our banks are profitable; our staff members are doing devoted service; all the staff members of the bank are working very well. So, we have to recruit the staff members, even on compassionate ground. There are so many people who are waiting to get appointed. We have to give appointments on compassionate grounds also. We have to give opportunities to rural people to work in the banks. We have to give advance to the agricultural people also.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Sir, totally 13 hon. Members participated in the debate; and I am thankful to them for taking keen interest in the functioning of SBI and its subsidiary banks. I am grateful to them for their observations and valuable suggestions. I have taken note of the inputs which will be useful in improving the operational efficiency of the SBI group.

Before I respond to the main issues raised by the hon. Members, I would like to state that the consequential amendments under consideration today will confer powers on the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India to approve increase or reduce of the authorised capital of the subsidiary bank, fixation of the issued capital of subsidiary banks by SBI, raising of issued capital by preferential allotment or private placements or public issue by the subsidiary banks, issuing the bonus shares to the existing equity shareholders, permitting the Chairman of the SBI to nominate the Chairman of the Board of subsidiary bank, appointments of the Managing Directors, etc.

All the above measures will improve the functioning and increase the efficiency of the subsidiaries of the State Bank of India.

Now, I would like to respond to some of the main issues raised by the hon. Members. Several Members, including S/Shri Nishikant Dubey, Mahtab, Mazumdar, Sampath and Mandal, have raised the issue about the Government's policy on bank mergers and consolidation. Here I would like to tell the hon. Members and the House that the current policy of the Government on consolidation leaves the initiative for consolidation to come from the management of the banks themselves with the Government playing a supportive role as the common shareholder. No directive on consolidation is being issued by the Government and the Reserve Bank of India. Thereafter, the Government takes a decision in consultation with the RBI.

Sir, consolidation and merger is an on-going process. Here I would like to inform the House that there were 35 bank mergers since nationalisation of banks

in 1969. Out of these, there were 25 bank mergers where the public sector banks have acquired the private sector banks. In two cases the public sector banks have acquired public sector banks and in eight instances private sector banks have acquired private sector banks.

Members, S/Shri Dubey, Mandal, Sampath and Mahtab, have also raised the issue about the experience of merger of Saurashtra Bank and Indore Bank. Sir, the experience of the bank has been satisfactory in both the cases. A large number of employees working in the administrative offices of the subsidiary banks have been redeployed in business development areas. Employees of these two merged banks have benefited from the improved superannuation benefits.

Shri Nishikant Dubey has raised a vital point about the autonomy of the subsidiary banks. Sir, I would like to inform him that all the associated banks have full autonomy in their day-to-day operations to conduct the business of banking in areas such as to sanction and disburse loans and advances subject to prudential limits set by the RBI in this regard and in the matters of investment, opening of branches, launching of new products suitable to their areas of operation and recruitment of staff.

A large number of Members have highlighted the asset quality or the Non Performing Assets of SBI and its subsidiaries. Sir, there has been an increase in the NPAs over the last two years. However, the Members will agree with me that there were some pressing reasons for this.


Due to the impact of the global economic crises and the indifferent monsoon, increasing levels of strain have been felt by the different segments of the Indian economy since September/October, 2008. During the global financial crises, public sector banks did a commendable job in meeting the credit requirements of the economy at a time when the private sector banks and foreign banks had practically stopped extending credit. During 2008-09, the advances of public sector banks increased to over 25 per cent as against 10 per cent by private sector banks and around four per cent by foreign banks.

During the financial year, 2010-11, major causes of increase in NPAs of SBI were slippages in agriculture and corporate sector. Further, there were slippages in the restructured accounts also. But the NPAs are being closely monitored. Immediately upon an account turning NPA, the prospects of rehabilitation and restructuring the dues is looked at. In cases where rehabilitation is not possible, actions are initiated, such as, action under SARFAESI Act; action under DRT or civil suits in civil courts; close follow up for recovery of dues including recovery under one time settlement or compromise; and follow up with the BIFR/DRT etc. for expeditious disposals.

Sir, Mr. Nishikant Dubey has raised an issue about non-implementation of some provisions of the State Bank of India Act, amendment of 2007. The amendments were made in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 in the year 2007. Pursuant to the said amendments in the Act, the regulations were required to be amended. The amended regulations were forwarded to the RBI for its prior approval. However, the RBI has advised that consequential amendments which are being taken up today are under consideration of the Parliament and therefore it would be proper to wait for the amendments to be passed before the regulations can be framed.

Several Members have referred to the performance of the SBI. I would like to tell some of the performance parameters of the bank. It has a total number of 13698 branches with all of them under the CBS platform, all are 100 per cent computerised. The total rural branches as on 31st March, 2011 are 4973. An important statistics is that of the total 21646 rural branches of public sector banks and private sector banks, almost 23 per cent are SBI branches. You will find that every fourth bank in the rural areas is a State Bank of India branch. It means that roughly every fourth rural branch is an SBI branch in the rural areas. Members will agree with me that the commercial viability in rural areas is less as compared to cities.

The priority sector advances of the State Bank of India have been 42 per cent against the target of 40 per cent which has been given to banks.

Sir, few Members have raised the question about the vacancy position and recruitment of people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribe communities. The good news for them is that -- I would like to tell Shri Mahato and Shri Sampat, since they have asked this question specifically – the backlog for SC, ST and OBC and persons with disabilities identified up to 31.12.2009 is nil in State Bank of India. Regarding the vacancies I would like to submit,  yes, there are vacancies. In the clerical cadre the vacancies are 5500 and in officers cadre the vacancy position is 2007. The recruitment is already underway and I would like to assure them that the reservation policy of Government of India for recruitment of SC, ST and OBC will be complied with and all banks will do the required formalities.

Sir, regarding the profitability of the bank, the net profit of State Bank of India has been Rs. 8265 crore in the year 2010-11. Shri Dubey and Shri Mahtab had asked about pension. Amendment to the SBI Pension Rules has been framed and the concurrence of the RBI has been taken. The rules are now under consideration and examination of the Government. After concurrence, the Government rules will be notified by the SBI.

Shri Rao has raised the question as to why the banks do not lend directly to the priority sector borrowers at a regulated rate of interest rather than through micro finance institutions. As per the new RBI guideline only specified and regulated lending to MFI would be allowed as priority sector lending. The conditions include amount of loan and the rate of interest. The SBI lending direct to Self-help Groups was Rs. 13,496 crore whereas to MFIs was Rs. 1,878 crore. He again raised the point that the banks should be well capitalised so that the loans are given to poor. To ensure that the public sector banks are adequately capitalised, the Government has recently provided capital infusion to some of our banks.

Shri Mahtab raised a question whether the retired employees of the State Bank of India, State Bank of Saurashtra and the State Bank of Indore are covered under the new pension rules. Retired employees of State Bank of Saurashtra and the State Bank of Indore will also be covered by the pension rules. The Government has already approved the amendments to the SBI pension rules. This will be notified by the State Bank of India.

Shri Panda raised the point that this Bill will open way for privatisation. This Bill is not concerned with privatisation. The provisions of the Bill are merely consequential amendments due to change in ownership of SBI from RBI to the Central Government. I would like to clarify that the Government does not intend to privatise our Public Sector Banks.

शैलेन्द्र कुमार जी, पांडा जी, रघुवंश प्रसाद जी और कई माननीय सदस्यों ने फाइनेंशियल इन्कलूजन की बात कही है। मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले भाषण में बताया था कि देश में 73000 ऐसे गांव हैं जिनकी जनसंख्या 2000 है या उससे अधिक है उनमें बैंकिंग फैसिलिटीज किसी भी मोड से, चाहे बिजनेस करेस्पोंडेन्ट है, मार्च, 2012 तक हम पहुंचाएंगे। इस साल अब तक 29 हजार गांवों को कवर कर लिया गया है और बैंकों ने हमें एश्योर किया है कि मार्च 2012 तक 73 हजार गांवों में बैंकिंग फैसिलिटीज बिजनेस करेस्पोंडेन्ट के तहत पहुंच जायेगी।

16.00 hrs.

(Dr. Girija Vyas *in the Chair*)



अल्पसंख्यकों के ऋण के बारे में भी जिक्र किया गया था। हम वीकर सेक्शंस को जो लोन देते हैं, उसमें 15 परसेन्ट का टारगेट दिया हुआ है। इसे हमने रिव्यू किया था, अभी माइनोरिटीज को 14.16 परसेन्ट दिया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने सभी बैंकों के सीएमडीज को निर्देश दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 15 परसेन्ट के टारगेट को पूरा करें।

जहां तक श्री रघुवंश प्रसाद जी तथा अन्य माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाये हैं...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : अल्पसंख्यकों का जो टारगेट रखा गया था, वह पूरा नहीं हुआ है।

श्री नमोनारायण मीणा : अल्पसंख्यकों के बारे में मैंने बताया कि यह 14.16 परसेन्ट हो चुका है, 15 परसेन्ट टारगेट रखा हुआ है, जो इस फाइनेंशियल ईयर में पूरा हो जायेगा। पहले यह 9 और 10 परसेन्ट था, लेकिन बढ़ाते-बढ़ाते अब 15 परसेन्ट पर आ गया है। हमें सरकार से जो आदेश मिले हैं, उससे यह पूरा

हो जायेगा, मैं इस बारे में आपको एश्योर करता हूँ। ...(व्यवधान) जो 15 परसेन्ट का टारगेट रखा गया है, यह पूरा हो जायेगा।

जहां तक शिक्षा ऋण का सवाल है, शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। हम करीबन 41 हजार करोड़ रुपये का शिक्षा ऋण दे चुके हैं। यह बात महताब जी और पांडा साहब ने भी कही कि हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या बैंकिंग नेटवर्क से एक्सक्लूडेड है, यह बात मैं मानता हूँ। इसीलिए भारत सरकार ने स्वाभिमान अभियान शुरू किया है। माननीय सोनिया गांधी जी ने उसे फरवरी में लांच किया था। इसका यही मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचे, हर हाउसहोल्ड का खाता खोला जाए। अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक करोड़ नो फ्रिल एकाउंट्स खोले हैं। पहले खाता खोलने के लिए बैंक्स इंसिस्ट किया करते थे कि पांच सौ या हजार रुपये जमा कराओ, क्योंकि खाता खोलने में यह कास्ट आती है, इसलिए लोग जमा करते थे। लेकिन अभी आरबीआई ने डायरेक्शंस लिबरेलाइज कर दिये हैं कि आप नो फ्रिल एकाउंट खोलिये, जीरो बैलेंस पर भी खाते खोलिये। अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेरे पास सूचना है कि अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक करोड़ खाते खोले हैं।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मेरे पास शिकायतें आई हैं कि आर.बी.आई. की गाइडलाइंस होने के बावजूद भी कई बैंक्स खाते नहीं खोल रहे हैं। मेरे पास बहुत सी रिपोर्ट्स हैं।

श्री नमोनारायन मीणा : अगर नहीं खोल रहे हैं तो आप स्पेसिफिक बताइयेगा। आरबीआई की इस बारे में डायरेक्शंस हैं कि सबके खाते खोले जाएं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य आप आपस में बातें न करें, चेयर को एड्रेस करें, मंत्री महोदय, आप भी चेयर को एड्रेस करें।

SHRI NAMO NARAIN MEENA : Instructions have been given to all the banks. If there is any complaint, kindly bring it to my notice and we will again give instructions to all the banks.

मैं समझता हूँ कि करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों के सवालों के हमने जवाब दे दिये हैं। वैसे बहुत सारे प्वाइंट्स रेज किये गये हैं, जो हम लोगों को अपनी एफिशिएंसी में लगेगा और उनके ऊपर सरकार विचार करेगी।

With these words, I commend the Bill for consideration of the House.

... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : No questions are allowed.

... (*Interruptions*)

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Madam Chairman, we are not satisfied with the reply of the hon. Minister. We are against this Bill. So, in protest, we are walking out of the House.... (*Interruptions*)

16.04 hrs

At this stage, Shri Prabodh Panda, Dr.Raghuvansh Prasad Singh and some other hon. Members left the House

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill further to amend the State Bank of Hyderabad Act, 1956 and the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MADAM CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.*


Clause 3

Amendment of Section 10

Amendment made:

Page 2, for lines 11 to 13, substitute –

‘(b) in sub-section (3), --

- (i) for the words “with the approval of the S  Bank and the Reserve Bank”, the words “with the approval of the State Bank and the Central Government in consultation with the Reserve Bank” shall be substituted;

- (ii) for the words “public issue”, the words “public issue or rights issue” shall be substituted;’. (3)

(Shri Namu Narain Meena)

MADAM CHAIRMAN : The question is:

“That clause 3, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 Amendment of Section 7

Amendment made:

Page 2, for lines 31 to 33, substitute –

‘(b) in sub-section (4), --

- (i) for the words “with the approval of the State Bank and the Reserve Bank”, the words “with the approval of the State Bank and the Central Government in consultation with the Reserve Bank” shall be substituted;
- (ii) for the words “public issue”, the words “public issue or rights issue” shall be substituted;’. (4)

(Shri Namu Narain Meena)

MADAM CHAIRMAN: The question is :

“That clause 5, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

Clauses 6 to 9 were added to the Bill.

Clause 10 **Amendment of Section 63**
-Power of subsidiary banks
to make regulation

Amendment made:

Page 3, *for* lines 42 to 49, *substitute* --

'10. For section 63 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:--

“63.(1) The Board of Directors of a subsidiary bank section 63. Regulations may, after consultation with the State Bank and the Reserve Bank and with the previous approval of the Central Government, By Notification in the official Gazette, make regulations not inconsistent with this Act and the rules made thereunder, to provide for all matters for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of this Act or any other law for the time being in force.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for –

(a) the powers and duties of the managing director of the subsidiary Bank;

(b) the fees and allowances which may be paid to directors or others for attending any meetings of the board of Directors or of its committees (including the executive committee) or other committees or for attending to any other work of the subsidiary bank;

(c) the time and place at which, and the manner in which the business of the Board of Directors of the subsidiary bank shall be transacted and the procedure to be followed at the meetings thereof;

(d) the constitution of the executive committee of the subsidiary bank and the conditions and limitations subject to which the executive committee may exercise its powers and the procedure to be followed at the meetings thereof;

(e) the formation of any other committees, whether of the Board of Directors of the subsidiary bank or otherwise, and The delegation of powers and functions of the Board to such Committees and the conduct of business in such committees;

(f) the nature of shares of the subsidiary bank, the manner in which, and the conditions subject to which, shares may be held and transferred and generally all matters relating to the rights and duties of shareholders;

(g) the procedure for issuing the certificates of shares;

(h) the procedure with respect to increase, whether by public issue or rights issue or by preferential allotment or private placement, the issued capital by issue of equity or preference shares;

(i) the manner of acceptance of share money in instalments, the manner of making calls and the manner of forfeiture of unpaid shares and their re-issue;

(j) the maintenance of share registers, and the particulars to be entered in such registers in addition to those specified in sub-section (1) of section 21, the safeguards to be observed in the maintenance of the register of shareholders on computer floppies or diskettes or any other electronic form, the inspection and closure of the registers and all other matters connected therewith;

(k) the manner in which every individual registered shareholder nominate, and individual to whom all his rights in the shares shall vest in the event of this death under sub-section (1) of section 18A;

(l) the manner in which, the joint holders may nominate an individual to whom all their rights in the shares shall vest in the death of all the joint holders under sub-section (2) of section 18A;

(m) the manner in which nomination is varied or cancelled under sub-section (3) of the section 18A;

(n) the manner in which every individual registered as the holder of the shares to make nomination where nominee is a minor to appoint, any person to become entitled to the shares in the event of his death during the minority of the nominee under sub-section (4) of section 18A;

(o) the holding and conduct of elections under this Act and the final determination of doubts or disputes regarding the qualifications of candidates for election or regarding the validity of elections;

(p) the manner in which general meeting shall be convened, the procedure to be followed thereat and the manner in which voting rights may be exercised;

(q) the manner in which notices may be served on behalf of the subsidiary bank upon shareholders or other persons;

(r) the payment of dividends including interim dividends;

(s) the delegation of powers and functions of the Board of Directors of the subsidiary bank to the managing director or directors or officers or other employees of that bank;

(t) the conditions and limitations subject to which the subsidiary bank may appoint officers, advisers and other employees and fix their remuneration and other terms and conditions of service;

(u) the duties and conduct of officers, advisers and other employees of the subsidiary bank;

(v) the establishment and maintenance of superannuation, pension, provident or other funds for the benefit of the officers or employees of the subsidiary bank or of the dependants of such officers or employees or for the purposes of the subsidiary bank, and the granting of superannuation allowances, annuities and pensions payable out of any such fund;

(w) the conduct and defence of legal proceedings by or against the subsidiary bank and the manner of signing

pleadings;

(x) the provision of a seal for the subsidiary bank and the manner and effect of its use;

(y) the form and manner in which contracts binding on the subsidiary bank may be executed;

(z) the conditions and requirements subject to which loans or advances may be made or bills may be discounted or purchased by the subsidiary bank;

(za) the conditions subject to which loans or advances may be made by the subsidiary bank to its directors or officers or the relatives of such directors or officers or to companies, firms or individuals with which or with whom such directors or officers or relatives are connected as partners, directors, managers, servants, shareholders or otherwise;

(zb) the persons or authorities who shall administer any pension, provident or other fund constituted for the benefit of the officers or employees of the subsidiary bank or their dependants or for the purpose of that bank;

(zc) the circumstances in which the specific approval of the State Bank shall be required to the grant of loans and advances or investment of funds by the subsidiary bank or to any contract, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by the subsidiary bank;

(zd) the preparation and submission to the State Bank and the Reserve Bank of statements of programmes of activities and financial statements of the subsidiary bank and the periods for which, and the time within which such statements and estimates are to be prepared and submitted;

(ze) the person or persons in the State Bank by whom any powers, duties or functions conferred, imposed or entrusted on or to the State Bank under this Act may be exercised or performed;

(zf) generally, for the efficient conduct of the affairs of the subsidiary bank.

(3) All regulations made under this section shall have effect from such earlier or later date as may be specified in the Regulations.

(4) Every regulation shall, as soon as may be after it is made under this section by the Board of Directors of a subsidiary Bank, be forwarded to the Central Government and that Government shall cause a copy of the same to be laid before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the regulation or both Houses agree that the regulation should not be made, the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation.”.

(5)

(Shri Namo Narain Meena)

MADAM SPEAKER: The question is:

“That Clause 10, as amended, stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

Clause 1

Short Title and Commencement

Amendment made:

Page 1, line 5, --

for “2009”

substitute “2011”. (2)

(Shri Namo Narain Meena)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That Clause 1, as amended, stand part of the Bill”.

*The motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.*

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1, --

for “Sixtieth”

substitute “Sixty-second”. (1)

(Shri Namu Narain

Meena)

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill”.

*The motion was adopted.
Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.
The Long Title was added to the Bill.*

MADAM CHAIRMAN : The Minister may now that the Bill, as amended, be passed.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

MADAM CHAIRMAN: Motion moved:

“That the Bill, as amended, be passed.”

श्री निशिकांत दुबे : मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे संतुष्ट नहीं होते हुए भी मैं कबीर का एक दोहा कहना चाहता हूँ - देख परायी चूपड़ी, मत ललचाए जीभ, रूखी-सूखी खाय के, ठण्डा पानी पी। जिए एनपीए

के बारे में आपने इतना बोला है, एनपीए एकाउन्टिंग के दोष के कारण भले ही 72-75 हजार करोड़ रुपये दिखाई दे रहा है, परंतु वह लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर है। हमने यह कहा था कि आप जो इंट्रेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, इससे एनपीए और बढ़ेगा।

इसके बारे में सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा है और एनपीए न बढ़े, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? यह हमने आपसे पूछा था, इसका सरकार के पास क्या जवाब है?

SHRI NAMO NARAIN MEENA: The policy is same for all the banks. A separate order cannot be given only for the State Bank of India. As I have said earlier, the Minister of Finance has also directed the CMDs of all the banks and the RBI has also given some instructions to all the banks to reduce their NPAs. They are making all-out efforts to reduce their NPAs. I told you also in my reply as to what were the reasons of increase of NPAs. I also told in an earlier question in this very House that the gross NPA is less than three per cent which is acceptable. ...

(Interruptions)

सभापति महोदया : मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दिया है।

... (व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे : आरबीआई के डिप्टी गवर्नर मिस्टर चक्रवर्ती स्वयं कह रहे हैं कि इंट्रेस्ट रेट बढ़ने से एनपीए बढ़ेगा।

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

16.12 hrs.

**TRANSPLANTATION OF HUMAN ORGANS
(AMENDMENT) BILL, 2009**

MADAM CHAIRMAN: Now, the House will take up Item No. 18. Hon. Minister.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Madam, with your permission, I beg to move:

“That the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 be taken into consideration.”

The Transplantation of Human Organs Act, 1994 came into force in February, 1995 in the States of Goa, Himachal Pradesh and Maharashtra and all the Union Territories. Thereafter, it has been adopted by all the States except the States of Jammu and Kashmir and Andhra Pradesh which have enacted their own laws to regulate transplantation of human organs. The main purpose of the Act is to regulate the removal, storage and transplantation of human organs for therapeutic purposes and to prevent commercial dealings in human organs.

It has been observed that despite having put into place a regulatory mechanism for transplantation of human organs, there has been a spate of reports in the print and electronic media about thriving human organ trade in India and the consequential exploitation of economically weaker sections of the society.

The Ministry constituted a Review Committee to examine the lacunae in the Act. The recommendations of the Committee and wide consultations with the stakeholders were taken into account while formulating the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009.

The Bill was introduced in the Lok Sabha on 18th December, 2009. I will highlight some of the important amendments proposed in this Bill.

1. The present law regulates transplantation of only human organs. This Bill seeks to include tissues also.

2. The definition of 'near relative' is proposed to be expanded in order to include the grandparents and grandchildren as 'near relative'. There was no provision for grandparents and grandchildren.
3. This Bill seeks to make it mandatory for the Intensive Care Unit or Treating Medical Staff of the hospital to request relatives of brain dead patients for organ donation.

Four, it is proposed to provide for the enucleating of corneas by a trained technician.

Five, further it is proposed to include a surgeon or a physician and an anaesthetist or intensivist, Specialist Physician working in the ICU, in the medical board in the event of non-availability of a neurosurgeon/neurologist for certification of 'brain death'.

Six, this Bill seeks to regulate the transplantation of organs for foreign nationals, to prevent the exploitation of minors, to provide for Swap Donations of organs, to empower the Central Government to prescribe the composition of Authorisation Committees and to empower the State Governments and the Union Territories to set up the Authorisation Committees.

Seven, the Advisory Committees are being proposed to advise and support the Appropriate Authorities, notified by the State Governments to implement the laws.

Eight, The Appropriate Authorities are being empowered further to summon persons, seek production of documents, and issue search warrants. This has been done to them. Otherwise, these powers were earlier with the lower courts and, as a result of which, we have cases pending for decades together and no action has been taken. To see that immediate action is taken, these powers have now been given to the appropriate Authorised Authorities which would be constituted by the State Governments. Of course, there is the provision who will be the Appropriate Authority.

Nine, it is proposed to establish a National Organ and Tissues Removal and Storage Network to enhance the availability of organs and tissues.

Ten, this Bill also seeks to establish and maintain a National Registry of Donors and Recipients.

Eleven, it is also proposed to appoint a “Transplant Coordinator” in all hospitals registered for organ retrieval and transplantation; and to provide for the registration of Non-Government Organisations working in the field of organ retrieval and transplantation.

Twelve, the penalties provided under the law are proposed to be enhanced to make them more deterrent.

The Bill was referred to the Departmentally-Related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare on 22nd January, 2010 for examination and report. The Committee submitted its Report on 4th of August, 2010.

The Standing Committee has made 43 recommendations and observations in the Report. This Ministry has accepted all the recommendations and observations made by the Standing Committee. Seven of these recommendations would require the amendments in the Act; seventeen would require amendments in the Rules and six would be implemented through Government Instructions. The remaining thirteen recommendations and observations of the Parliamentary Standing Committee reiterate the proposals of the Ministry in the Bill. Accordingly, I will be moving official amendments to the Bill, which have already been circulated to the hon. Members.

These official amendments will be as follows:

Definition of ‘Tissue Bank’ is included in the Bill.

Separate provisions are being made for regulating Tissue Banks.

Definition of ‘Human Organ Retrieval Centre’ is included.

Interest of ‘Mentally Challenged Persons’ is being safeguarded.

The task of making 'required request' is being assigned to the Treating Doctor. This request would be made by the Treating Doctor in consultation with the Transplant Coordinator.

Unregistered hospitals would be permitted to carry out organ and tissue retrieval from the bodies of the dead persons by a team of doctors from a registered and authorized hospital.

The Authorisation Committee would be made more inclusive by inclusion of experts and NGOs.

Penal provisions are made more stringent for illegal activity relating to retrieval and transplantation of human organs, particularly in cases of commercial dealings.

Separate but less stringent penal provisions have been made for contravention of legal provisions of the Act in relation to human tissues.

All other recommendations of the Standing Committee, as I said earlier, will be implemented by making appropriate amendments in the Rules and through Executive orders to be issued by the Government. I am giving enough materials for those who have not read.

The proposed amendments would help the country immensely by increasing the organ and tissue availability for the needy; curbing illegal and commercial dealings through stiffer penalties; liberalizing some provisions like expanding the definition of near relatives, and allowing swap donations; streamlining the regulatory framework for vulnerable sections of the society like minor and mentally challenged; regulating the Non-Governmental Organizations working in the area of organ and tissue transplantation; putting in place institutional mechanisms like the National Organ and Tissues Removal and Storage Network; and National Registry of Donors and Recipients for better monitoring and coordination.

I would like to inform this august House that in spite of various constraints, India currently performs approximately 5000 kidney transplants, 300 liver transplants and 25,000 corneal transplants per year.

I would like to record my gratitude to the hon. Members of the Standing Committee who have made very useful and constructive suggestions.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

“That the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 be taken into consideration.”

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन आर्गन्स एमेंडमेंट बिल, 2009 पर बोलने का मौका दिया।

महोदया, वर्ष 1994 में इसी हाउस ने एक बिल पास किया और फरवरी, 1995 से लागू हुआ। उसके बाद भी जो अभी मंत्री जी बता रहे थे कि कमर्शियल ट्रेड की जो प्रैक्टिस है, वह बंद नहीं हुई है और इसे बंद करना इस बिल का उद्देश्य है। वर्ष 1994 में जब बिल आया था तो उसका उद्देश्य भी यही था कि मानव के अंगों का कमर्शियल ट्रेड क्यों हो रहा है? किडनी क्यों बिक रही है? डॉक्टर, हॉस्पिटल और किडनी बेचने वाला मिल क्यों जाते हैं, एक धुरी क्यों बन जाती है, एक नैक्सस क्यों बन जाता है? यह उस समय भी मुद्दा था। आज यह बिल वाइडर प्रोसपैक्टिव में आया है। हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन कई चीज़ें शेष रह गई हैं, जो इनको इनक्लूड करनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि 4 फरवरी, 1995 को गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और केन्द्र शासित प्रदेशों में यह एक्ट लागू हुआ था। जबकि अन्य राज्यों को इन्होंने रैगुलेशन पर छोड़ दिया था। इस बार भी क्या अन्य राज्य रैगुलेशन पर छोड़े जाएंगे, यह एक विषय है, जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। इस कानून की जो कमियां थीं, जिनमें, गरीबों के अंग ले लिए जाते हैं। मुकदमे दर्ज होने पर भी अपराधियों को सज़ा बहुत कम मिल पाती है। कनविकशन रेट कम है। संसद की स्थायी समिति में जब यह बिल गया तो जैसा कि मंत्री जी बता रहे थे कि 43 रिकमण्डेशन थीं, जिनमें ह्यूमन आर्गन के साथ-साथ टिश्यूज़ को इन्होंने जोड़ा। रिलेटिविज़ की जो परिभाषा थी, उसमें ग्रेण्डफादर, ग्रेण्डमदर, ग्रेण्डसन और ग्रेण्डडॉक्टर को भी शामिल किया। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कमेटी की रिकमण्डेशन यह भी थी कि अंकल और आंटी को भी नजदीकी रिश्तेदारों में जोड़ा जाए, इसे जोड़ने में क्या आपत्ति है?

मैं इस बात पर इसलिए आना चाह रहा हूँ कि इसका दायरा जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा इस एक्ट का उद्देश्य पूरा होगा और जिस उद्देश्य के लिए सरकार यह एक्ट ला रही है, वह पूरा होगा। मानव अंगों का व्यापार रोकना इस एक्ट का उद्देश्य है। मानव अंगों को प्राप्त करने वाले और दान करने वाले यदि गलत पाए जाएं तो उनको बड़ी सजा देना भी इस एक्ट का उद्देश्य है। इन्होंने राज्य में एक सक्षम समिति और एक एडवाइजरी बॉडी बनाने का प्रस्ताव किया है। इन्होंने जुर्माना ज्यादा बढ़ाया है। जो सजा है, वह उतनी नहीं बढ़ी है। जैसे पूर्व में बिना अधिकार के कोई अंग हटाने के मामले में दस हजार रूपए जुर्माना और पांच साल की सजा थी तो अब दस साल की सजा और पांच लाख रूपए का जुर्माना हो गया। मानव अंगों के सप्लायर्स को पहले सजा दो से सात साल की थी, जुर्माना दस से बीस हजार रूपए था। वह अब

इन्होंने पांच से दस साल की सजा और जुर्माना पांच से बीस लाख रूपए प्रस्तावित कर दिया। इसमें राशि ज्यादा बढ़ी है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि मानव अंगों का व्यापार क्यों होता है? मेरा इसमें यह विचार है कि अमीर आदमी शरीर का महत्वपूर्ण अंग खराब होने के बाद भी जीना चाहता है और गरीब आदमी आर्थिक तंगी के कारण अपने शरीर के अंगों को बेचने को मज़बूर हो जाता है। यही इसका एक कारण है, इसलिए यह व्यापार होता है। जिसके पास चना है, उसके पास दांत नहीं है और जिसके पास दांत है, उसके पास चना नहीं है। यह जो जीवन में विरोधाभास है, इसको दूर करने की जरूरत है।

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि स्टैण्डिंग कमेटी ने और भी बहुत-से रिकमेंडेशन किए हैं जो एडवाइजरी नेचर के हैं। स्कूलों और कॉलेजों में आपको सिलेबस में भी सुधार करना पड़ेगा। लोग क्यों देह दान कम कर रहे हैं, अंगों का दान कम कर रहे हैं? मेरे पास एक रिपोर्ट है जिससे पता चलता है कि भारत में इसकी क्या स्थिति है? अभी मंत्री जी डिमान्ड और सप्लाई की बात कर रहे थे। भारत में किडनी की डिमान्ड एक लाख के करीब है। कुछ लोग इसको एक लाख और डेढ़ लाख के बीच में आंकते हैं। लेकिन सप्लाई है मात्र पांच हजार। यह कितना बड़ा गैप है? एक लाख और डेढ़ लाख किडनी की डिमान्ड और उसमें सप्लाई पांच हजार। लीवर की डिमान्ड पचास हजार है और सप्लाई 200 से 250 के बीच हो पाती है। हार्ट की डिमान्ड 50 हजार की है और चार या पांच हार्ट की सप्लाई हो पाती है। आंखों की एक लाख के करीब डिमान्ड है, और सप्लाई 25 से 40 हजार क्यों पहुंची? यह महत्वपूर्ण विषय है। जब आंख ज्यादा डोनेट हो सकती है, उसके पीछे क्या कारण है? हमारे कई कवियों ने भी शरीर में आंखों का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया। जैसे श्री नानक देव जी ने कहा है कि "देह नैन बिना, रैन चन्द्र बिना, धरती मेघ बिना"। इस शरीर में आंख नहीं है तो यह शरीर किसी काम की नहीं। किसी व्यक्ति को लगेगा कि मैं इस आंख से अभी देख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद कोई और भी उस आंख से देखे, यह प्रवृत्ति जब मनुष्य में पैदा होती है, तब डिमान्ड और सप्लाई का गैप कम होता है। यह प्रवृत्ति कैसे बढ़ेगी? यह जो एडवाइजरी नेचर की रिकमेंडेशन है उसको मंत्री जी को स्वीकार करना पड़ेगा।


अब मैं इस बिल पर आता हूँ। कुछ बातें बिल के बारे में मुझे कहनी हैं। मेरा मंत्री जी से सीधा-सा सवाल है कि अगर दान देने वाला और दान करने वाला अलग-अलग राज्यों से होंगे तो किस राज्य की सक्षम समिति से अनुमति लेनी पड़ेगी? आपने इसमें यह कहा है कि स्टेट कंसर्न से सक्षम राज्य की समिति से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर दान देने वाला और दान करने वाला अलग-अलग राज्य से होंगे तो कौन-सी कमेटी के पास यह मामला जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है।

दूसरा कमर्शियल ट्रेड पाया गया तो दोनों दंडित होंगे। गरीब आदमी को उसकी गरीबी शिकायत करने से रोक सकती है, इस विषय पर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि अगर उसने शिकायत ही नहीं की तो दंडित कैसे होंगे। पहले भी जब 1994 का अधिनियम आया तो उसमें कंविक्शन रेट सबसे कम थी। मैं प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने गुडगांव, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र के केस उजागर किए, जिसके कारण यह वातावरण बना और विचार आया कि 1994 के एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि यह व्यापार बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है।

सभापति महोदया, अभी मंत्री जी बता रहे थे कि हमने सभी जो 43 सिफारिशें थीं, उन्हें माना। मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने इसमें क्लॉज़ 4 जोड़ा है। इसमें यह अमेंडमेंट आया कि ह्यूमन ऑर्गंस के साथ-साथ टिशूज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी को भी इसमें इन्क्लुड किया है, अच्छी बात है, समय की मांग भी थी। जब कि स्टैंडिंग कमेटी ने जनरल प्रोविजन के स्थान पर स्पेसिफिक प्रोविजन की बात कही थी। इसे क्यों इग्नोर किया गया? आपने जनरल प्रोविजन तो जोड़ दिया, लेकिन टिशूज़ के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन करने की बात कही थी, उसे बहुत डिटेल में स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा भी है, उसे आपने क्यों इग्नोर किया, मैं यह पूछना चाहता हूँ? आपने क्लॉज़ 5 में, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है कि डिमांड और सप्लाई में इतना गेप होने के कारण अगर आप अंकल और आंटी को भी जोड़ लेते तो इसमें क्या दिक्कत आती। पहले ग्रेंड मदर और ग्रेंड सन नहीं थे, लड़का और लड़की थे, आपने इन्हें जोड़ा, ये भी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी। कमेटी की सिफारिश भी है। आपने ऊपर वाला पोरशन ले लिया, नीचे वाला पोरशन छोड़ दिया। आप अगर इसे भी जोड़ेंगे तो ये अधिनियम आपकी डिमांड और सप्लाई के अंतर को कम करेगा।

सभापति महोदया, मैंने पहले ही जिक्र किया है कि पेनेल्टी बढ़ाने मात्र से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैं इसी हाउस में एक प्रश्न का जिक्र करना चाहता हूँ कि इसी हाउस में एक प्रश्न 889, 12 नवम्बर, 2010 को आया। माननीय मंत्री जी ने उसका रिप्लाई दिया। वह प्रश्न किडनी के अवैध व्यापार का ही था। मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया, रिप्लाई में मुझे यह देख कर पीड़ा हुई। प्रश्न यह था, “Whether the Government had received complaints regarding illegal trade of human organs, such as, kidney, etc. during the last three years.” इन्होंने तीन साल के आंकड़े इसमें नहीं दिए। इन्होंने बताया कि हम इसका कोई लेखा-जोखा ही नहीं रखते। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर इन्होंने बताया कि हम इसका कोई लेखा-जोखा नहीं रखते। फिर भी हमें कुछ राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसे मंत्री जी ने हाउस में प्रस्तुत किया। उसमें इन्होंने सिर्फ छः राज्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस देश में 35

राज्य हैं, इन्क्लुडिंग यूनियन टेरेटरी, इन्होंने एमसीडी दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुड़गांव, हरियाणा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक केस सीबीआई का बहुत हाई लाइट हुआ था, उसे इन्होंने खाली दो पंक्तियों में लिख दिया। “Other States/Union Territories have not reported any commercial sale of organ is.” ऐसा नहीं है। मैं राजस्थान से आता हूँ, सभापति महोदया, आप भी उसी स्टेट से आती हैं। कितनी जगहों पर ये घटनाएं घटीं, स्टेट्स ने सेंटर को रिपोर्ट क्यों नहीं दी? क्या सेंटर स्टेट से वह रिपोर्ट मंगा नहीं सकता, सेंटर के स्तर पर यह कमी कैसे रह जाती है? हाउस में जब जवाब दिया जाता है, ये प्रश्न पहले जब कभी पूछा गया होगा, 25 या 30 दिन का गेप रहा होगा, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से रिपोर्ट मंगा सकती है। मेडीकल हैल्थ डिपार्टमेंट ने एक रजिस्टर मेन्टेन कर रखा है। इतना लाइटली लेने से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

इसको बहुत गम्भीरता से लेना पड़ेगा। यह मानव के अंगों से जुड़ा हुआ व्यापार है। इसमें अमीर आदमी बीमार हो गया तो उसकी पत्नी भी अंग नहीं देना चाहती, इसलिए वह गरीब आदमी का अंग लेना चाहता है। गरीब आदमी अपनी मजबूरी के कारण अंग बेचने पर मजबूर होता है और उसमें हॉस्पिटल और डॉक्टर्स भी यह काम करते हैं। डॉक्टर का पेशा नोबल है, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डॉक्टर्स मिल जाते हैं, जिससे यह व्यापार बढ़ जाता है। अगर  जी हाउस में यह जवाब दें कि सिर्फ 6 स्टेट्स से यह रिपोर्ट आई है और स्टेट्स से रिपोर्ट नहीं आई है तो यह सरकार की सीरियसनेस नहीं दर्शाता है। हमारा ऐसा मानना है कि इसमें जब हम गम्भीर होंगे, केन्द्र सरकार के स्तर से भी मोनीटरिंग मजबूत होगी, इसमें एक स्पेसिफिक सैल बनाना पड़ेगा, जो निरन्तर इसकी मोनीटरिंग करे और राज्यों को भी हमें निर्देश देना पड़ेगा कि वे भी अपने मेडीकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक सैल बनायें और वहां पर एक डॉक्टर नियुक्त हो, जो इसकी मोनीटरिंग करे और रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे और कन्विकशन रेट इम्प्रूव हो, तभी कहीं जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है।

मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें और पेश करना चाहता हूँ। जैसा अभी मंत्री जी बता रहे थे, इसमें क्लाज़ 2 में एक ट्रांसप्लांट कोआर्डिनेटर की बात की गई है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन, मंत्री जी, इसमें नहीं दर्शाई गई कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्योंकि वह बहुत इम्पोर्टेंट आदमी होगा। यह जो ट्रांसप्लांट कोआर्डिनेटर है, वह इसका एक स्पेशलाइज़्ड आदमी होगा, इसलिए इसकी क्वालिफिकेशन आपको इसमें बतानी पड़ेगी, नहीं तो इसका परपज़ पूरा नहीं होगा।

एक इसमें आपने जो लावारिश लाशों को जो महत्व दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं जिस स्टेट से आता हूँ, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे अखबारों में एक खबर छपी। जयपुर का

एक डॉक्टर, जो एस.एम.एस. हॉस्पिटल में प्राचार्य थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने अपनी देह दान की, क्योंकि, सर्विस के दौरान उन्होंने पाया कि शवों की कमी है, इसलिए देह दान करने के लिए प्रेरित हुए, लेकिन उनकी देह को चूहों ने कुतर दिया। राजस्थान में वह बड़ा हैडिंग हुआ कि एस.एम.एस. हॉस्पिटल का प्राचार्य यह पाता है कि मैं इस कमी को कैसे दूर करूं। एम.सी.आई. की एक रिपोर्ट है कि एक छात्र को 10 शव चाहिए और अगर 10 शव नहीं मिलते हैं तो वह स्टडी ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसी से प्रेरित होकर उसने अपनी देह दान की और उसे चूहों ने कुतर दिया, उसकी पेपर में रिपोर्ट आई। इस कमी को हम कैसे दूर करेंगे? देह दान को प्रेरित करने के बाद हॉस्पिटल में जहां बॉडी को रखा जाता है, वह सुरक्षित रहे, क्योंकि अन्तिम संस्कार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। जब उसकी बॉडी उसके परिजन देखने गये कि हमारे पापा जी ने देह दान की तो उसका क्या हुआ तो पता चला कि वह चूहों ने कुतर दी। उसके बाद उनको इतनी पीड़ा हुई कि उन्होंने लोगों को कहा कि देह दान नहीं करनी चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं हैं, उनको रोकने से ही इसमें प्रेरणा मिलेगी।

दूसरे मैं यह कहना चाहूंगा कि मैडीकल कालेज का जो एनोटॉमी विभाग है, वह छात्रों की पढ़ाई के लिए शवों की मांग करता रहता है। देहदान करने वालों की सुरक्षा का जिम्मा अगर मेडिकल कालेजेज नहीं लेते हैं, तो इसकी कमी हमेशा हमें खलती रहेगी। ऐसा विचार करके इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा।

जो सुझाव कमेटी ने दिए हैं, उन पर आकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। ब्रेन डेथ को भी आपने इसमें सम्मिलित किया है। कमेटी यह कहती है कि हर नेशनल हाइवे पर ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। हम कैसे इसको सुनिश्चित करेंगे कि हर नेशनल हाइवे पर ट्रॉमा सेंटर होगा? दूसरा कमेटी ने सुझाव दिया है कि आईईसी के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए। अभी बेसिक नॉलेज नहीं होने के कारण, टीवी चैनल और रेडियो में इसका प्रचार ज्यादा नहीं होने के कारण, लोग देहदान नहीं करते हैं। ब्रेन डेथ के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है, अचेतन होने पर उसको ब्रेन डेथ कह देते हैं। वहां जो आदमी अटेंडेंट होता है, वह सोचता है कि मैं क्यों देहदान की घोषणा करूं, मरीज तो कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन इस एक्ट में आपने सम्मिलित किया है कि जो आदमी उसके साथ खड़ा रहता है, उसे भी अपने को प्रमोट करना पड़ेगा, मोटीवेट करना पड़ेगा कि इसकी तो डेथ हो गयी और बीमार के अंग काम आ सकते हैं। यह कमेटी ने सुझाया है। इसको आप कैसे इनकारपोरेट करेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

कमेटी की एक बहुत महत्वपूर्ण रिकमंडेशन है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं -

“In order to promote organ donation, the children and youth of the nation need to be made aware about the issues related with it from the beginning. Therefore, the Department in consultation with the Ministry of Human Resource Development can start compulsory educational material in the curriculum of schools and universities.”

मुझे लगता है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है और अगर ऐसे सुझावों की क्रियान्विती होगी तो जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, वह निश्चित रूप से दूर होगा।

दूसरा सुझाव जो कमेटी ने कहा है कि Department should start a toll- free helpline. डिपार्टमेंट को एक टेलीफोन हेल्पलाइन भी शुरू करनी चाहिए। इसकी लोगों को जानकारी होनी चाहिए और डेडीकेटेड वेबसाइट की बात भी कमेटी सिफारिश करती है।

इसके अलावा कमेटी ने एक और रिकमंडेशन की है। मैं इसे भी कोट करना चाहता हूँ -

“A National Organ Donation Day may be declared. This would help in generating awareness among people about organ donation. Special functions and camps may be organised to celebrate the day.”

यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है कि नेशनल आर्गन डोनेशन डे मनाने की परंपरा शुरू करनी चाहिए। ये कुछ ऐसे सुझाव हैं, जो कमेटी ने दिए हैं, उनको मानना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है।

अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें जो प्रक्रिया है, वह काफी जटिल है। मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ऑथराइजेशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी और उसको लेकर कई ये जो प्रक्रियायें हैं, उनमें इतनी जटिलताएं हो जाएं कि डोनेट करने वाला परेशान हो जाए तो Act के क्रियान्वयन में बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, जैसे एक मुद्दा आया था कि पोस्टमार्टम होना था, किसी की डेथ हो गयी, सूर्यास्त होने वाला है, मेडिकल डिपार्टमेंट में पोस्टमार्टम सूर्यास्त के बाद नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद बॉडी के टिश्यूज डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या पोस्टमार्टम रात में भी करने की अनुमति मिल सकती है? डोनेशन और पोस्टमार्टम क्या साथ में समानांतर चल सकते हैं? जब यह ईश्यू स्टैंडिंग कमेटी में आया तो उन्होंने कह दिया कि यह गृह मंत्रालय से संबंधित है। मैं फील्ड की रियलिटी को जानता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जो पोस्टमार्टम करने वाला डाक्टर है, जैसे ही सूर्यास्त होने वाला है, अगर उसके घर पर मैसेज करो कि बॉडी आ गयी है, मोर्चुरी में रखी हुयी है और आप आइए। वह उसके इग्नोर करता है। आधे-पौने घंटे तक इग्नोर करता है और इतने में सूर्यास्त हो जाता है। उसके बाद पूरी रात निकल जाती है। फिर सुबह कभी पुलिस का आदमी नहीं आता है। और कभी सूपरिन्टेन्डेन्ट समय पर

नहीं आता है। वह नहा-धो कर आना चाहता है तब तक काफी टाइम हो जाता है। यह तो ऑर्गन डोनेशन की बात है। कुछ ऑर्गन्स आफ्टर डेथ भी निकाले जा सकते हैं। उसकी भी एक समय सीमा है। उसके बाद वे ठीक नहीं रहते हैं। मेरा इसमें यह सुझाव है कि पोस्टमॉर्टम करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो डॉक्टर पोस्टमॉर्टम करते हैं वे ऐसा न माने कि हम पोस्टमॉर्टम करेंगे तो कोर्ट में जाकर विटनेस के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से पोस्टमॉर्टम करने वाला डॉक्टर भी नहीं मिलता है। हॉस्पिटल में यह भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ऐसा देह दान करने वाला आदमी जो ह्यूमन ऑर्गन को डोनेट करने वाला आदमी आया है या डेड बॉडी आई है उसको हम कैसे जल्दी सहूलियत करें ताकि उसका पोस्टमॉर्टम भी हो जाए और उसका डोनेशन भी समय पर हो जाए।

एक बात मैं और इसके लिए कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने इसके लिए फंड भी बनाया है। आपने इसमें एक बात कहीं है। **The Central Government may establish a National Human Organs and Tissues Removal and Storage Network at any place. A sum of Rs. 5 crore has been allocated in the Financial Memorandum.** यह पूरे देश का मामला है मंत्री जी। पाँच करोड़ से इसमें क्या होगा? हो सकता है यह शुरुआत हो। लेकिन राशि तो शुरुआत में ज्यादा लगनी चाहिए। जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले और लोगों को एक प्रेरणा मिले।

चूंकि यह एक महत्वपूर्ण बिल है। हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जब तक जो डाक्टर हास्पिटल की धूरी बना है, डॉक्टर का भी चरित्र स्कूल से ही आरंभ होता है। स्कूल में पढ़ने वाला लड़का ही डॉक्टर बनता है। डॉक्टर, सर्जन और व्यापार करने वाले इनके अंदर चरित्रता, नैतिकता और ईमानदारी जब तक नहीं आएगी तब तक बिल की भी सार्थकता मुझे संदिग्ध लगती है। मंत्री जी, आप मेरे सुझावों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा सुझाव है। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर): धन्यवाद सभापति महोदया, आपने मुझे इस अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। विन्सटन चर्चिल ने कहा था “We make a living by what we get, but we make a life by what we give.” मेरा ख्याल है कि जब ऑर्गन डोनेशन की बात आती है तो उसमें यह बात पूरी तरह से सार्थक साबित होती है। मुझ से पूर्व वक्ता ने और मंत्री जी ने अभी बताया कि बिल में जो मेजर चेंजेज किए गए हैं, जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। मंत्री जी ने बताया कि इसमें टिशूज को ऐड किया गया है। अर्जुन सिंह जी का कहना था कि स्टैंडिंग कमेटी की जो रिकमेन्डेशंस थीं उनमें टिशूज को अलग-अलग स्पैसिफाई करने के लिए कहा गया था जो कि रूल के अंदर आसानी से किया जा सकता है। कमेटी के कई ऐसे सुझाव थे। जिसमें आसानी से इनकॉर्परेट किए जा सकते हैं। टिशूज को डिफाइन किया गया है। टिशू बैंक को डिफाइन किया गया है। नियर रिलेटिव में बात सही है कि दादा-दादी और ग्रैंड चिल्ड्रेन को इसमें इनक्लूड किया। कमेटी की यह रिकमेंडेशन थी कि उसमें जो खास मामा-मौसी या बुआ-चाचा हैं तो उन लोगों को अगर इसके अंदर इंकलूड किया जाए ताकि व्यापार कम से कम किया जाए। जब भी आप ऑर्गन की बात करते हैं तो अगर बाजार में ये चीज उपलब्ध नहीं है इसलिए इसका गलत तरीके से व्यापार होता है। इसे रोकने के लिए इस बिल में बहुत अच्छे प्रावधान हैं। मैं उस मुद्दे पर भी आऊंगी। अगर नियर रिलेटिव रिलेशन के डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपैंड किया जा सके तो इसको मजबूत बनाने में और ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने में शायद और अच्छा रहेगा। ट्रांसप्लांट कॉर्डिनेटर की जो बात की थी, उसकी क्वालिफिकेशन की बात की थी तो वह ज्यादातर एडमनिस्मट्रेटिव काम की तरह होगा। उसका जो मोटा-मोटी डेफिनेशन लगता है और उसमें भी नीचे यह चीज मेन्शन की गई है कि जैसा प्रीस्क्राइब्ड किया जाएगा तो उसके लिए भी रूल्स और गाइडलाइन्स फार्म्यूलेट की जा सकती है। आ.सी.यू के स्टाफ को ट्रेन्ड किया जाएगा ताकि वह काउंसिल कर सके। काउंसिल में कोई पेशन्ट है अगर उसके कोई नियर रिलेटिव हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा सुझाव है क्योंकि जो क्रिटिकली जो इल पेशन्ट होते हैं उनके ऑर्गन समय रहते रिट्रीव किए जा सकें। उनको यूटिलाइज किया जा सके।

दूसरा मुद्दा एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ का बताया गया। एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को चुनने का तरीका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टैरीटरी के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाएगी। एक एडवाइज़री बॉडी उस अथॉरिटी को एडवाइस करने का काम करेगी। उसमें अच्छी चीज यह है कि एडवाइज़री रोल के अंदर एनजीओ और एक ऑर्गन एक्सपर्ट को और इनक्लूड किया गया है जिससे माननीय सदस्यों के जो एप्रिहेंशन्स हैं, क्योंकि आम धारणा यह है कि हमेशा गरीब आदमी ऑर्गन देता है और अमीर आदमी ऑर्गन लेता है। ज्यादातर पेपर्स में यही चीज हाइलाइट की जाती

है, लेकिन ऑर्गन्स गरीब आदमी के भी फेल होते हैं और अमीर आदमी जो साधन सम्पन्न होता है, उसके भी फेल हो सकते हैं। इसका इलाज इस तरह का होता है कि यदि आपने ऑर्गन ले भी लिया, उसके बाद एमिनो सप्लैशन्स के लिए जो दवाइयां लेनी पड़ती हैं, उनकी भी बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। अगर आपने गरीब आदमी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर भी लिया, तो जरूरी नहीं है कि वह बाकी जिंदगी पूरी तरह इलाज ले पाएगा।

जिस स्टैंडिंग कमेटी की आप बात कर रहे हैं, उसकी एक सदस्य मैं भी हूँ। उस समय हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अमर सिंह जी थे। वे खुद इस चीज से पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने बहुत इंटरस्ट लिया था। समिति ने भी बड़ी मेहनत करके रिकमेंडेशन्स दी थीं। मुझे बहुत खुशी है कि समिति की ज्यादातर रिकमेंडेशन्स डिपार्टमेंट ने इस बिल में इनक्लूड की हैं।

यह सबकी आम धारणा है कि इसमें इललीगल ट्रेड को किस तरह कर्ब किया जा सकता है। इसके लिए बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं। अगर आप फॉरेन नैशनल हैं तो रैसीपिएंट नहीं हो सकते। अगर डोनर या रैसीपिएंट में से एक नियर रिलेटिव फॉरेन नैशनल है तो जब तक ऑथराइज़ेशन कमेटी से एप्रूवल नहीं लेते तब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। आप न डोनर बन सकते हैं न रैसीपिएंट बन सकते हैं।

तीसरा प्रावधान यह किया गया है माइन्स से कोई ऑर्गन नहीं ले सकते। उसमें जो एक्सपैण्डेड हैं, वे बहुत वैलिड एक्सपैण्डेड हैं कि जब आपको कोई एडल्ट कमपैटिबल डोनर नहीं मिलता तब आप रीजनरेटिव टिशूज़ को डोनेट कर सकते हैं या आइडेंटिकल टिवन्स के मामले में, अगर वह माइनर है और आइडेंटिकल टिवन्स है, क्योंकि उसमें एमिनो सप्लैशन्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बहुत अच्छे प्रावधान हैं और हर चीज पर सोच-विचार कर रिकमेंडेशन्स दी गई थीं। अगर आप मेंटली चैलेंज्ड हैं जिनका शोषण हो सकता है, इसमें उन लोगों को पूरी तरह प्रोटेक्शन दी गई है।

एक और बहुत अहम मुद्दा है कि कई बार ऐसा देखने में आया है कि दो ऐसे डोनर रैसीपिएंट पेयर्स हैं जो आपस में नियर रिलेटिव हैं लेकिन कमपैटीबिलिटी नहीं है, तो वे ऑर्गन स्वैप कर सकते हैं। हालांकि उसमें बहुत कमप्लैकसिटी आती है। आपको ऑथराइज़ेशन कमेटी से उसकी एप्रूवल लेनी पड़ेगी और फ़ैसिलिटी इतनी बड़ी होनी चाहिए जहां चार ट्रांसप्लांट साइमलटेनियसली, एक साथ हो सकें। ऐसी कुछ ही फ़ैसिलिटीज़ कर पाएंगी। लेकिन प्रावधान होने की वजह से कुछ फ़्लैक्सिबिलिटी रह जाती है।

एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पैनल्टी वाले मुद्दे के बारे में कहना चाहती हूं। इस पर अर्जुन जी के बहुत बड़े एप्रीहेंशन्स थे। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पैनल्टी रखी गई हैं जो डैटरेंट साबित होंगी, चाहे कोई ट्रांसप्लांट अस्पताल करता है चाहे टीम करती है, यहां तक कि अगर कोई डोनर या उसका नियर रिलेटिव एफीडैविट देकर गलत इन्फार्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए भी इसमें पैनल्टी का क्लॉज़ रखा गया है।

अर्जुन जी ने एक बात और कही कि ग्रीवेंस रिड्रेसल में आज तक हमारे पास क्यों इतने कनवैकशन्स नहीं हुए, क्यों स्टेट्स ने सेंटर के पास बहुत सारी शिकायतें दर्ज नहीं करवाईं। अभी तक वह प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को सिविल कोर्ट की पावर्स दी गई हैं। क्योंकि वे लोग अपनी रीजनल पहुंच भी बनाएंगे, अर्जुन जी, जो एप्रीहेंशन्स हैं कि इललीगल, शिकायत या ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए मकैनिज़्म नहीं होगा, जब एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ ऑथराइजेशन के प्लेस में आ जाएगी तब वे एप्रीहेंशन्स भी उस स्टेज में इतना महत्व नहीं रखेंगी। इसके साथ ही मैं एक बात की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जनरली हमारे यहां जब भी कोई इनैक्टमेंट होती है उसी रीविज़िट करने में बहुत लम्बा समय लगता है। इसे देख लीजिए, इसका 1994 में इनैक्टमेंट हुआ था और आज लगभग 17 साल बाद हम इसे यहां डिस्कस कर रहे हैं। कोशिश यह रहनी चाहिए कि इसमें जो कमियां रह गई हैं या जो अच्छे सुझाव आते हैं, उन्हें इसमें हाथों-हाथ इनकॉरपोरेट किया जाए ताकि अमेंडमेंट के बाद इस बिल को सार्थक बनाने का हमारा जो ध्येय है, वह औपॉर्चुनिटी पूरी तरह से यूटीलाइज़ हो सके।

सभापति महोदया, मैं मंत्री जी का ध्यान चार-पांच खास मुद्दों पर आकर्षित करना चाहूंगी। अगर वे उन्हें इनकॉरपोरेट करें तो यह एक्ट काफी सार्थक साबित होगा। इसमें एक प्रोविजन है जहां लॉफुल पोज़ेशन ऑफ बॉडी, मैं उन मुद्दों को टच नहीं कर रही जहां गाइडलाइन्स, रूल्स या सरकारी सर्कुलर जारी करने के माध्यम से उन रिकमेंडेशन्स को एड्रेस किया जा सकता है, मैं उन सजेशन्स की बात कर रही हूं जिनका अगर एक्ट में ही प्रावधान कर दिया जाये तो शायद बेहतर होगा।

इसमें पहला प्रोविजन लॉफुल पोज़ेशन ऑफ डेड बॉडी है। इस अमेंडमेंट में यह बहुत एम्बीगुअस मुद्दा छोड़ा गया है। आप अगर इसके पैरलल लॉ देखेंगे चाहे यूके में देखें या यूएसए में देखें, वहां पर स्पेसीफाई किया गया है और रिलेटिव्स की प्रायरिटी दी गयी है कि पहली प्रायरिटी स्पाउस की होगी। उसके बाद पेरेंट्स की होगी, बच्चों की होगी, नीज़, नेफ्यू की होगी या स्टैप फादर, स्टैप मदर की होगी। उसी तर्ज पर हम लोगों को भी ऐसा प्रायरटाइज़ करना चाहिए कि इसकी ऐब्सेंस में नहीं, तो उससे पूछा जायेगा कि आप आर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, या नहीं। इस मुद्दे पर कुछ स्पेसीफाई करना शायद एक्ट में ही अच्छा रहेगा।

महोदया, मेरी दूसरी रिकमेंडेशन यह है कि डोनर्स या पोटेंशियल डोनर्स, जिन्होंने अपने आर्गन्स प्लैज कर रखे हैं, उनकी एक रजिस्ट्री इस तरह मेनटेन की जाये, नेशनल रजिस्ट्री मेनटेन करने की बात इस अमेंडमेंट्स में की गयी है। लेकिन उसे ऐसे मेनटेन करे कि जो आदमी अपने आर्गन्स को प्लैज करता है, उसे प्रायोरिटी दी जाये, क्योंकि हो सकता है कि उसके गुजर जाने के बाद, उसका इंतकाल होने के बाद या उसके आईसीयू में भर्ती होने के बाद उसके बाकी रिश्तेदार शायद उसके आर्गन्स न देना चाहें। इसका प्रोविजन होना चाहिए कि उसकी आखिरी विश को सबसे बड़ा मानते हुए रखा जाये कि अगर उसने अपने आर्गन्स प्लैज कर रखे हैं, तो उन्हें रिट्रीव करने का एक मकेनिज्म एक्ट के अंदर ही करना चाहिए।

तीसरा मुद्दा बहुत अहम है। इसके ऊपर जब मंत्रालय के लोग हमारी कमेटी के सामने आये थे और उन्होंने इस चीज के ऊपर एग्री किया था कि यह जरूरी होगा। पेमेंट में सैक्शन के (वन) जो किया गया है, उसमें मेनटेनेंस का प्रावधान भी होना चाहिए। आज की तारीख में आप मान लीजिए कि जब तक डिस्सिज्ड की बॉडी या अगर कोई ब्रेन डैड पैशेंट की बॉडी जो दिन तक प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे या जब तक आप आर्गन्स रिट्रीव न कर सकें, वह काम आप ज्यादा आईसीयू टाइप फैसिलिटी में कर सकते हैं। आईसीयू में लगभग 75 हजार रुपये से एक लाख रुपये रोज का खर्चा आता है। इसमें जो पेमेंट की डेफिनेशन की गयी है, उसमें सैक्शन 2, के (1) देखिये --

(k) comes first - “The cost of removing, transporting or preserving the human organ or tissue or both to be supplied..” इस पोर्शन में मेनटेनेंस शब्द जरूर जुड़ना चाहिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी को जब तक आप प्रिजर्व नहीं करेंगे और उसकी जो कीमत है, उसका जो खर्च आता है, जहां-जहां वे आर्गन्स यूटीलाइज किये जाते हैं, उस कीमत को रीएम्बर्स करने का प्रोविजन होना चाहिए, चाहे वह रैसीपिएंट की तरफ से हो चाहे अस्पताल जो डोनेशन लेते हैं, उनकी तरफ से हो।

16.58 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

इस पर कमेटी ने भी उस टाइम एग्री किया था, लेकिन इसमें मेनटेनेंस शब्द नहीं आ पाया।

एक और अहम मुद्दा ज्यूरिसडिक्शन का है। जो ऑथराइजेशन कमेटी होगी, मान लीजिए स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर हास्पिटल होगा, तो उसमें ज्यूरिसडिक्शन किस ऑथराइजेशन कमेटी का होगा। इसमें कमेटी की एक रिकमेंडेशन थी कि जहां पर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, वहां की ऑथराइजेशन कमेटी को ज्यूरिसडिक्शन देना चाहिए ताकि ऐम्बीग्विटी खत्म हो सके और प्रोसीजर जितना सिम्पलीफाई और फैसिलिटेड हो सके।

श्री अर्जुन मेघवाल जी ने पोस्टमार्टम वाला एक मुद्दा और उठाया था। यह बात सही है कि बहुत से ऐसे रिलेटिव्स होते हैं, जो अपने नियर एंड डियर वन्स के आर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वह मेडिकल लीगल केस हो जाता है या उसके अंदर पोस्टमार्टम होना होता है, पहले एक प्रक्रिया होती है जहां पर आर्गन्स को रिट्रीव किया जाता है, दूसरी बार एक प्रक्रिया होती है जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जाता है।

17.00 hrs.

अगर उसमें जनरली 48 घण्टे तक का समय भी निकल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो जो लोग शुरू में बहुत आगे बढ़कर अपने रिश्तेदारों के आर्गन्स डोनेट करना चाह रहे होते हैं, आखिर में वे ही बड़े परेशान होकर, जैसे-तैसे बुरे व्यवहार के साथ अपने रिलेटिव की बॉडी को ले जाते हैं। यह बात सही है कि इसमें होम मिनिस्ट्री की कुछ इंटरवेंशन चाहिए होगी। आर्गन रिट्रीवल मोर्चुरी में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह ऑपरेशन थिएटर में ही साइमलटेनेसली पोस्टमार्टम होने का प्रावधान किया जा सके तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। एक अन्य रिकमेंडेशन जो पुराने एक्ट में थी, जिसकी कोई सार्थकता मुझे समझ में नहीं आती है, इसमें लिखा गया है कि जेल में होने पर या अस्पताल में होने पर अगर दो दिन तक कोई बॉडी को क्लेम नहीं करता है, तो आप उसके आर्गन्स एप्रोप्रिएट अथारिटी की परमीशन से काम में ले सकते हैं। अब्बल, अगर शरीर को ठीक से प्रिजर्व नहीं किया गया है, तो 48 घंटे के बाद में शरीर में ऐसा कोई आर्गन नहीं होता है, न बोन, न टेंडन, न कोई ब्लड वेशल, न कॉर्निया, कोई भी इस तरीके का नहीं है, जिसे यूटिलाइज कर सकें। यह एक बड़ा रिडंडेंड सा क्लॉज है जिसका सार्थकता मुझे समझ में नहीं आती है। जेल वाले केस में यह अनएथिकल भी होगा। अगर अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रावधान को भी रिमूव कर दें, तो बिल के लिए भी ठीक होगा।

दूसरी बात आई थी कि स्कूल के करीकुलम में इसको जोड़ा जाए या लोगों को इसके बारे में और बताया जाए, उनमें जागरूकता बढ़ाई जाए। अर्जुन जी, यह देश महर्षि दधीचि का देश है, राजा शिवि का देश है, 121 करोड़ की आबादी में अगर हम लोगों को इसके लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित कर सकें, हम सभी यहां संसद में बैठे सदस्यगण लोगों को प्रतिनिधि हैं, हम लोगों को बता सकें, तो इस देश में आर्गन्स की कमी हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानती हूं। कहीं न कहीं कमी हमारे सिस्टम में है। यह बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि मैं खुद एल्युमिनाई हूं एसएमएस मेडिकल कॉलेज से और हमारे प्राचार्य की पार्थिव देह के साथ जो हुआ, वह वाकई एक बहुत दुःखद घटना थी। ये ऐसी घटनाएं होती हैं, जो परिजनों को हमेशा डेटर करेगी कि अगर हम अपने किसी परिजन की डेड बॉडी आपको दे रहे हैं, साइन्स को दे रहे हैं या आर्गन डोनेशन

के लिए दे रहे हैं और उसके साथ अगर यह व्यथा होती है कि डेड बॉडी को चूहे कुतर जाएं। इस तरह की घटनाएं एक डेटरेंट का काम करती हैं। जिसने अपनी बॉडी दी है या अपने आर्गन्स दिए हैं, उसका सम्मान पूरी तरह से कायम रहे, इसके लिए अगर हम कुछ विशेष प्रावधान कर सकें, गाइडलान्स इश्यू कर सकें, तो वह भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

हमारी सरकार हर जगह आम आदमी की बात करती है। आप जानते हैं कि एक आम आदमी की अहम भूमिका निभाने के लिए फिल्मों में राज कपूर जी थे और उनको आवाज देने के लिए आम आदमी का एक सिंगर हुआ करता था, वह सिंगर होता था मुकेश। उनके एक दिल को छू लेने वाले गाने की पंक्तियां थीं - एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोल, जग में रह जाएंगे, प्यारे तेरे बोल। उसी में उन्होंने एक जगह कहा था - दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें जो सुझाव दिए गए हैं, उनको इन्कोरपोरेट करें, ताकि यह लॉ सार्थक हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं।


श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, वैसे मेरे दल की ओर से श्री रामकिशुन जी को बोलना था, लेकिन किसी कारणवश वे नहीं आ सके हैं।

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। उनके पीछे तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक रहे, हमारे बगल में ही बैठते थे, श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी बैठे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद आज इस बिल के साथ बैठे हैं। मैं उनको बधाई भी देना चाहूंगा।

मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009 पर यहां चर्चा हो रही है। बहुत अच्छा माहौल था कि सामने राजस्थान की सभापति महोदया बैठी थीं, शुरुआत अर्जुन जी ने की।

अब हमारी दूसरी तरफ से माननीय सदस्या ने अपनी बात कही, वह भी राजस्थान से ही आती हैं। मैं इन सबकी बात सुन रहा था, बहुत अच्छे विचार और सुझाव इन्होंने सदन में रखे।

अंग प्रतिरोपण के विषय में अगर देखा जाए तो यह भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आधुनिक चिकित्सा पद्धति और विज्ञान की उपलब्धि है। पहले जब किसी की कोई अंगुली या हाथ कट जाता था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो उसे वेस्ट मानकर फेंक दिया जाता था। लेकिन  जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, इस मेडिकल साइंस में इतना विकास हुआ है कि अगर कोई अंगुली या हाथ कट जाए तो वह व्यक्ति फौरन अस्पताल जाकर उसे जुड़वा सकता है। हमारे इलाहाबाद में सिटी अस्पताल में ऐसे बहुत से अंग जुड़े हैं।

मंत्री जी का इस बिल को पेश करने का एक कारण यह भी है कि अंगदान को बढ़ावा मिले। अभी तक भारत में नेत्रदान के विषय में ही लोग जानते थे, लेकिन अब अंग-प्रतिरोपण के विषय में भी सुनने को मिलता है। हमारे देश में अभी दस लाख लोगों को कॉर्निया के प्रतिरोपण का इंतजार है, लेकिन केवल 38,000 को ही यह मिल पाता है। इसी तरह हर वर्ष देश में डेढ़ लाख लोगों की किडनी खराब होती है, लेकिन केवल 5,000 किडनियों का ही प्रतिरोपण हो पा रहा है। इस बिल में 15 नए अंगदान केन्द्र खोलने का प्रावधान किया गया है। शुरुआती वर्ष में, मैं देख रहा था, दो-चार तो खुल भी चुके हैं। अगर आंकड़ों पर जाएं तो हर वर्ष देश में दो लाख व्यक्तियों के अंग प्रतिरोपण की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग जीने की आस खो चुके हैं, जिनके अंग बेकार हो गए हैं, वे समझ लेते हैं कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन उन्हें फिर से जीवनदान देने की शुरुआत इस बिल के माध्यम से की जाएगी। हम इसका स्वागत करते हैं।

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर भी इस बारे में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को समझाने की आवश्यकता है। गैर कानूनी ढंग से जो अंग प्रतिरोपण का काम चल रहा है, जैसा अर्जुन राम मेघवाल जी ने भी कहा, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस बारे में जुर्मने की राशि को बढ़ाया गया है। वह कितनी की गई है, मंत्री जी अपने जवाब में बताने की कृपा करें। इसके साथ ही सजा का भी प्रावधान किया गया है।

हमारे एक मित्र ने कहा कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जो खानाबदोश हैं, ऐसे लोगों को देखा गया है कि वे अक्सर ब्लड बेचकर अपना पेट पालते हैं। हमारे इलाहाबाद में कई ऐसे केस सामने आए हैं, जो ऐसा करने को मजबूर हुए। अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि एक एक्सीडेंट हुआ, उस व्यक्ति को उसके परिवार वालों ने अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन जब दो-तीन दिन के बाद डाक्टर ने कहा कि खून की जरूरत है तो उसके ही परिवार वाले वहां से डर के मारे चले गए। इसका कारण है कि गांवों में आज भी भ्रांति है कि खून देने से आदमी बीमार हो जाता है या कमजोर हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और जागरूकता का अभाव है। गांवों में जो पीएचसी और सीएचसी हैं, वहां इस बारे में प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। अगर आंकड़ों पर जाएं तो हर तीन मिनट में हमारे देश में एक व्यक्ति का अंग प्रतिरोपण होता है। इसी तरह भारत में करीब 20,000 लोग लीवर प्रत्यारोपण के इंतजार में हैं। अगर यह बिल अंगदान को आसान बनाने वाला साबित होगा तो जो लोग अंगदान करते हैं, उनके लिए काफी सुविधा हो जाएगी। आज के चिकित्सा युग में लगता है कि आने वाले समय में पुनर्जन्म की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन तमाम विकारों से दूर होना आसान हो जाएगा, क्योंकि अंगदान बहुत अच्छा दान माना जाता है।

इसका पुराणों में और तमाम धार्मिक पुस्तकों में वर्णन आता है। जैसे ऋषि दधिची की बात कही गयी है और उनका जिक्र यहां करना मैंने वाजिब समझा है। परिवार के दो पीढ़ी के सदस्यों को जो अंगदान देने का प्रावधान किया गया है, वह बहुत अच्छी बात है। देश की राजधानी दिल्ली में अपोलो का बहुत अच्छा रिकार्ड है, वैसे ही हमारे एम्स, राममनोहर लोहिया, पंत और तमाम अस्पतालों में, चाहे वे सरकारी हों या गैर-सरकारी हों, यह व्यवस्था होनी चाहिए।

अभी माननीय अर्जुन मेघवाल जी कह रहे थे कि मां-बाप, बेटा, पति-पत्नी, भाई-बहन, जो खून के रिश्ते हैं उन्हें आपने इसमें शामिल किया है। उसके साथ-साथ आपने इसमें दादा-दादी, नाना-नानी और चचेरे-ममेरे रिश्तेदारों को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि जो चाचा हैं तो मेरे ख्याल से चचेरे रिश्ते में वे आ जाते हैं, अगर उसमें क्लासिफिकेशन करके कुछ सुधार कर दें, तो बहुत अच्छा होगा और उससे इस बिल को बल मिलेगा। अगर आंकड़े देखें तो पांच लाख लोग प्रति-वर्ष हार्ट-गुर्दे-लीवर के खराब होने से मरते

हैं। इसके तरफ भी विज्ञान ने काफी प्रगति की है लेकिन प्रत्यारोपण की व्यवस्था अभी हम नहीं कर पाए हैं। आपने इस बिल में यह भी बताया है कि प्यार और लगाव के कारण दान करने वाले लोगों की कैटेगरी का अक्सर दुरुपयोग होता है। इसमें आपने प्रावधान किया है और मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा।

भारत में एक साल में एक लाख से ज्यादा लोग गुर्दे के रोग से पीड़ित होते हैं। लेकिन केवल तीन हजार गुर्दे ही मिल पाते हैं। इसमें मानव अंगों की तस्करी की बात भी कही गयी है। जो बच्चे 15-16 साल के होते हैं, उनका अपहरण करके, उन्हें मारकर, उनके अंगों की तस्करी हो रही है। इस ओर माननीय मंत्री जी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सर्वे आया है उसमें मानव-तस्करी में भारत का नाम भी शामिल है। इस ओर हमें निगरानी रखनी होगी कि जो लोग अवैध तरीके से इसमें लिप्त हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए।

मानव-अंगों को दान करने वाले जो लोग हैं, उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जाए तो अति उत्तम होगा। उन्हें कुछ भी धनराशि आप देंगे तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है, वे पैसे की वजह से दान करेंगे। पहले लोग चोरी-छिपे इस काम को करते थे लेकिन जो लोग स्वेच्छा से करना चाहेंगे, उन्हें अगर सरकार की तरफ से अगर कुछ पुरस्कार राशि मिल जाए, तो बहुत अच्छा है।

दूसरी बात यह है कि जो तमाम हाई-वे बने हैं और उनके लिए फिक्स किया गया था कि इतने समय में हम इतनी दूरी तय कर लेंगे, लेकिन वह मानक आज भी हाई-वे पर पूरा नहीं हुआ है। अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट्स की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि उसमें एक व्यवस्था की गयी थी कि ट्रामा-सेंटर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वह हो नहीं पा रहा है और एक्सीडेंट में आदमी वहीं मर जाता है। अस्पताल एक्सीडेंट की जगह से बहुत दूर हैं और आदमी ले जाते समय ही मर जाता है। विदेशों में तो इसका बहुत प्रचार-प्रसार है और लोग प्रोत्साहित होकर अपने अंग दान करते हैं लेकिन हिंदुस्तान में जो तमाम तरीके के टोने-टोटले हैं उनके कारण आदमी अंग-दान करने में और उनके प्रत्यारोपण कराने में हिचकता है। इसमें जागरुकता की बहुत आवश्यकता है। सभापति जी, मैं इन्हीं बातों के साथ, इस बिल पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा।

एक बात बहुत प्रमुखता से आई कि जो लावारिश लाशें बरामद होती हैं अगर उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए, तो बहुत से अंग हमें मिल सकते हैं। लोग आंख दान करते हैं लेकिन विदेशों में तो अब दिमाग दान की बात, किडनी, फेफड़े, लीवर और कुल मिलाकर 37 अंगों के दान की व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था हमें अपने यहां भी करनी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद। यह बिल चूकि स्टैंडिंग कमेटी से हो कर आया है, इसलिए इसके काफी पहलुओं पर विचार हो गया होगा। इसमें संदेह नहीं होगा कि काफी परीक्षण करके यह बिल लाया गया है। मुझे कुछ शब्दों के बारे अपनी बात कहनी है। आपने पैरा-2 में बृहद नाम को छोटा किया गया है। बृहद नाम था - मानव अंगों के चिकित्सीय परियोजनों के लिए निकाले जाने भंडारणकरण और प्रत्यारोपण का विनियमन करने और मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार का निवारण करना। यह नाम बड़ा था और इसके स्थान पर छोटा कर रहे हैं - मानव अंग और उत्तकों के चिकित्सीय परियोजन के लिए निकाले जाने, भंडारणकरण और प्रत्यारोपण का विनियमन करने और मानव अंगों तथा उत्तकों में वाणिज्यिक व्यवहार का निवारण करने, मैं नहीं समझता हूँ कि पहले से ज्यादा दूसरे वाला छोटा है। दूसरी बात इस बिल में है - संदान। हम बिल मंगदान का ला रहे हैं और इसमें काफी बार संदान शब्द आया है। इस पर भी मुझे ऐतराज है। तीसरी बात इस बिल में जगह-जगह " निकाले जाने के लिए " शब्दों का प्रयोग किया गया है। अपने आप में ये शब्द इस बिल को स्टीक बल नहीं देता है। निकाले जाने में और लिए जाने में बड़ा अंतर है। निकाले जाने का मतलब बफर सिस्टम भोजन की तरह है। जिसे हम निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। हम अंग दान ले रहे हैं और भाषा का प्रयोग कर रहे है - "निकाले जाने का" बफर सिस्टम नहीं, अगर चौका पर बैठ कर खाएंगे, तो अंग दान देने वाले में और अंग दान लेने वाले के लिए आदर का सम्बोधन होगा, इसलिए मुझे इस शब्द पर ऐतराज है। बिल में "निकाले जानै" की जगह "लिए जाना" शब्द होना चाहिए।

महोदय, इसमें तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू देने वाला है, एक महत्वपूर्ण पहलू पाने वाला और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू कार्यकरण करने वाला या इन कार्यों को कराने वाला। अभी तक तीन तरह के लोग अंगदान कर सकते हैं - व्यक्ति जीवित हो तो गुरदा और जिगर का दान कर सकता है। व्यक्ति का दिमाग अगर मर गया हो, तो वह दान कर सकता है। व्यक्ति समान्यतः दान कर सकता है और दुर्घटना में दान कर सकता है। इन छह पहलुओं पर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक प्रश्न आता है - दाता।"दाता" की स्थिति हमें समझनी होगी और मैं समझता हूँ कि इसमें एक उससे भी महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो अंग दान किए गए, उसके लेने वाले की आर्थिक हालत क्या है। अंग दान वही कर सकता है, जो मैं समझता हूँ कि हमारा चालीस परसेंट भारत है, वह चालीस परसेंट भारत इस पचड़े में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास इतनी महंगी प्रत्यारोपण कराने की क्षमता नहीं है कि अंग दान करे और अंग प्रत्यारोपण कराए। इस खर्चे को वह सहन कर सके, यह उसकी क्षमता में नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश का चालीस प्रतिशत जो बीपीएल है, चालीस करोड़ के आसपास है, यह इस पचड़े में नहीं पड़ता है, इसलिए

वह दाता नहीं बन सकता है। बीपीएल दाता कब बनता है, जब वह खाने के बिना मरने लगता है, बेटी की शादी के लिए परेशान हो जाता है या बुरी आदतों में पड़ कर बर्बाद हो जाता है, तो अस्पताल के सामने बैठ कर अपनी किडनी दान कर देता है। ऐसी स्थिति में वह दाता बनता है। अंग लेता कौन है, लेने वाले आदमी की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि वह अपने पिता से, माँ से, भाई से, चाचा से, चाची से, मामा से, जिनसे आपने लाने का काम किया है, उनसे ले न ले, लेकिन निश्चित तौर पर मार्केट से खरीदने की क्षमता रखता है।

आज के सामाजिक परिवेश में ऐसा होता है कि बचपन में भाई भाई होता है, लेकिन ज्यों ही बंटवारा होता है तो भाई भाई को दान नहीं कर सकता लेकिन उसका मित्र और कोई दूसरा साथी भले ही दान देकर उसे बचा सकता है। इसको बचाने के लिए निश्चित तौर पर तीसरा आदमी कौन बनता है? तीसरा आदमी वह होता है जो इन कार्यों का कार्यकरण करता है। उसकी हालत है कि आज ये सारे काम कैसे होंगे? कुशल डॉक्टर से होंगे। बिना डॉक्टर के न हम किसी अंग को ले सकते हैं और न प्रत्यारोपण कर सकते हैं। यह काम महत्वपूर्ण डॉक्टर द्वारा होने हैं और जितनी भी बड़ी घटनाएं अंग प्रत्यारोपण की आड़ में, जैसे कि हम देखते हैं कि कई बड़ी घटनाएं घटी जिसमें अंगों की तस्करी की गई और कलेजे बेचे गये। अंगों की तस्करी इस देश में हुई। यह क्यों हो रहा है? मैं इस बात को व्यवसाय से जोड़ना चाहता हूँ और यह कहने का मेरा आशय है कि अगर एक लाख आप पूंजी लगाएंगे और दस लाख रुपया नहीं कमाएंगे तो आपकी फ़ैक्टरी बैठ जाती है। आप उस व्यवसाय को छोड़ देते हैं। हमें निश्चित तौर पर सोचना होगा कि हम आज जो डॉक्टर बना रहे हैं, कितने में बना रहे हैं? दस लाख रुपया, बीस लाख रुपया माता-पिता खर्च करते हैं तब जाकर एक डॉक्टर पैदा होता है और 20 लाख रुपया खर्च करके बनने वाला डॉक्टर हजार रुपया कमाकर संतोष नहीं करेगा। यदि उसे अवसर मिलेगा तो अंग की वह तस्करी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर पैदा करने का खर्च भी हमारी सरकार को उठाना चाहिए ताकि जो अंग देने वाला है, वह यह न समझे कि भारत सरकार ने जो उसका खर्चा किया है, इसके लिए मैं कोई अंगों का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा और जो 50000 की आवश्यकता है, उसे हम 5000 में पूरा करेंगे। मैं इस पर बल देते हुए कि यह बिल सही दिशा में जाए, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): सभापति महोदय, मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन बिल, 2009 जो लाया गया है, मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं। इसमें जो पहले किडनी, लिवर इत्यादि की तस्करी डॉक्टर लोग करते थे, उस पर रोक लगी है। 1994 में जो बिल लाया गया था, उसमें ही आगे आकर 2009 में संशोधन करके कुछ बातें जो उसमें छिपी हुई थीं, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। मैं चाहूँगा कि जितने भी राज्य हमारे देश में हैं, सभी में समरूपता से काम हो तभी यह बिल सफल हो पाएगा। इसमें मैं देख रहा हूँ कि बिल में कुछ प्रावधान किये गये हैं, जैसे कारावास की सजा दी गई है। उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। जो लोग इसमें पाए जाएंगे, उनके लिए सजा ज्यादा है। उसमें दंड भी 5 लाख रुपये तक का किया गया है, यह अच्छा काम है लेकिन मैं सुन रहा था कि हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि अमीर लोग खरीदते हैं और गरीब लोग बेचते हैं। ऐसा नहीं है। आजकल ऐसी हालत है कि गरीब लोगों को ही ज्यादा बीमारियां होती हैं। खासकर हमारे बिहार में जितनी भी दवाई कंपनियां हैं, आप अगर देखेंगे कि हमारे यहां ही दवाइयां बहुत ज्यादा बिकती हैं क्योंकि वहां पर बीमारियां ज्यादा हैं। मैं चाहूँगा कि इसमें जो किडनी, लिवर और लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन है, इसमें विधेयक के द्वारा जो किया गया है, गरीब आदमी को भी सहायता के रूप में दिया जाए।

ट्रॉमा सेंटर खोले गए हैं। शैलेन्द्र जी बता रहे थे बहुत से एसएच और एनएच बने हैं जहां गति की कोई सीमा नहीं होती है जिसके कारण एक्सीडेंट होने से लोग मर जाते हैं। ऐसी जगहों पर ट्रॉमा सेंटरों की व्यवस्था होनी चाहिए जहां एक्सीडेंट में मरने वाले व्यक्ति का शव पहुंचाया जा सके और बचे हुए अंगों को डोनेट किया जा सके। गरीब आदमी को स्मार्ट कार्ड के तहत 30,000 रुपए का प्रावधान है, इसमें ट्रांसप्लांटेशन का खर्च दे सकते हैं, यह दो या तीन लाख पटना है, इसमें नहीं दे पाएंगे। ऐसा भी देखा गया है कि ऑपरेशन किसी चीज का होता है और अंग कोई और निकाल लिया जाता है। ऑपरेशन कराने वाले व्यक्ति को इस बात का पता दो या तीन साल बाद चलता है। इस तरह के धंधे फलफूल रहे हैं, गरीब आदमी प्रभावित हो रहे हैं ऐसा न हो इसलिए कानून में प्रावधान होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

DR. RATNA DE (HOOGHLY): In the beginning, I would like to express my gratitude for the Chair for allowing me to speak on this most important Bill.

Health care is the fundamental right of every citizen of the country and it should be accessed by all. It is well known that organ transplantation is a boon to the medical services of the world and it has helped in saving the lives of many.

I would like to request the hon. Minister to set up monitoring cells to ensure that donations between the related donors and recipients are streamlined. In case, if they are not matched, they should opt for matching with other similar donors and recipients. Definition of 'near relative' should include grandfather, grandmother, grandson, granddaughter or any other relative who is close to the donor so that unnecessary hurdles are removed when a donor comes to donate his organ for transplantation. It should be ensured that National Organ and Tissues Removal and Storage Network is run on a systematic and scientific manner leaving no room for misuse by moneyed people.

It is stated in the Bill that a Medical Board will be there including neuro-physician, neuro-surgeon, anesthetist and incentivist. In the absence of a neuro-physician and neuro-surgeon, physician and a surgeon will be included. I am afraid that the goodness of the Government may be exploited by medical industrialists and opportunists. It is not a hard task to find a neuro-physician and a neuro-surgeon to declare one a brain dead. It will not only maintain the transparency of organ transplantation, but the relatives will also be satisfied. So, the Ministry may take efforts in this regard. Other than the medical colleges and the Government hospitals, the registration of the NGOs, who are performing the transplantation job, should renew their licenses every six months.


Even after having awareness of donating human organs particularly of those who are brain dead or those who wanted to really donate organs after their death, most of the times, we miss human organ transplantation to get the request from the relatives because of the trauma at the loss of the dear ones, or just before they breath their last.

There has been a huge rush for transplantation of organs from foreign nations. It should be streamlined.

Another important aspect of this whole human organ transplantation is timely transplantation. In spite of the vast growth in the health sector, both hospital officials and relatives fail to arrange for timely transplantation of human organs. This aspect should be seriously looked into in order to find a lasting solution so that every willing donor of human organ, either by himself or by his relative is informed of the timely transplantation arrangement at the nearby hospitals.

In this regard, the ICUs of major and minor hospitals of the country, both in the metros and rural areas should be instructed by way of sending an advisory to ensure that a request be made to relatives for organ donation when they unfortunately die in the ICUs. Retrieval of organs for transplantation in the ICUs or in the major hospitals should be available 24 hours.

Some reports of minors indulging in donation of organs have come to light. This should be taken seriously. Data concerning human organ transplantation should be monitored at the Ministry level so that we actually know as to how many organ transplantations have taken place in a particular period or over the years.

Illegal trade of human organs too is the cause  concern. A number of such incidents concerning trade of kidney have come to light through newspaper reports. Though sale and purchase of human organs are banned under the provisions of Transplantation of Human Organs Act, 1994 still we find such cases. Stringent action should be taken against those indulged in illegal trade of human organs.

Sir, transplantation of human organ is very costly and so is the post-transplantation treatment. So, I would urge the Minister to make efforts in this regard.

It is true that there is a gap between the demand and supply of the organs but how many of us have given consent for donation of our eyes or other parts of our body after our death?

In the end, I would appreciate the hon. Minister for bringing this important Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 before this august House for consideration and passing.

*SHRI S. R. JEYADURAI (THOOTHUKKUDI): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009.

I welcome the move of the Government to bring about certain changes in the legislation that was made in 1994. Now the transplantation of human organs would become legally streamlined, medically facilitated, and humanely implemented one. Taking up the guidelines given by the World Health Organisation and the recommendations made by Rajiv Gandhi Foundation, this Bill provides a human touch and more transparency with enough of monitoring mechanism to the existing Act. When brain death occurs to people when they meet with some accidents or such things, the certification for organ donation was to be obtained from neuro-surgeons. This Bill provides for setting up of a Medical Board in the absence of a neuro-surgeon involving doctors and surgeons of other branches. This seeks to simplify the procedure thereby ushering in a silent revolution in the field of health care.

Avoiding exploitation of minors, providing for exchange of organs by the donors, and regulating human organ transplantation on foreign nationals are taken care of in this Bill. This legislation also provides for setting up of Advisory Committees in every State and Union Territories. Considering the fact that human organ transplantation is required at a critical stage on an urgent basis, it must be ensured that no further delay is caused by way of referring this procedure to various committees.

This piece of legislation also gives extensive definitions of various human organs allowed to be donated and transplanted. I welcome the move of the Government to widen the ambit of the words, 'near relatives' so that it may

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

include grand parents and grand children too along with parents and siblings. All I would like to impress upon the Government at this juncture is that the already time consuming process of getting the legal consent for human organ transplantation even when donors are available must not be delayed further.

Commercialisation of donating human organs and exploitation of innocent poor at the hands of the dacoits of the medical world and under world can be stemmed. Already we come across several instances of kidneys being removed from the gullible poor. This legislation seeks to evolve a registry and monitoring mechanism for transplantation of human organs. Henceforth, this will become a welcome transparent process.

This Bill provides for a national network and a national registry. In this computer age, much of information would be available to all making it a transparent one. I also welcome the move of the Government to appoint a Transplant Coordinator in every hospital approved human organ transplantation in the country. Non-Governmental Organisations will also be permitted to carry out storage, donation, and transplantation after formally registering themselves with suitable bodies to be created for this purpose. Both the world of medicine and the public would welcome the process of the Government to give teeth to the 1994 Act through this Amendment Bill. The penalty for those who violate the law would be increased further. This will desist the illegal ones to quite the field.

At this juncture, I would like to point out to the health awareness created by the erstwhile governance in Tamilnadu provided by our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi through the effective implementation of Kalaignar Insurance Scheme, now shelved and '108-Ambulance Scheme'.

I urge upon the Union Government to extend this service made available still especially to the patients going in for transplantation of human organs also as they have to be attended to on an emergency basis without any further loss of time.

By extending my support and that of my party, Dravida Munnetra Kazhagam to this amendment Bill, I would like to conclude my speech.

DR. ANUP KUMAR SAHA (BARDHMAN EAST): Sir, thank you for giving me a chance to speak on this important Bill.

We all know that transplantation of human organs is vital to prolong the lives of many, but at present, we see that it is very difficult to get a donor and there is also commercialization and criminalization of organ transplantation.

The Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009, seeks to strengthen provisions to prevent commercialization of human organs as well as facilitating organ transplantation for needy patients. So, I welcome the Bill. However, I have some observation.

I welcome the move to make attending physician/surgeon and other medical practitioners in case of absence of neurologist or neurosurgeon eligible to declare brain death, as there is paucity of neurologist or neurosurgeon in this country.

However, there should be a rule that these doctors should not be from the transplant team; thus it will become a safeguard to the “conflict of interests”. They should be from the select panel made by the appropriate authority.

I wish the Government to make arrangement for establishing centres for organ retrieval within a radius of 50-75 kilometres in our country.

Instead of having a general provision for inclusion of tissues along with human organs in the entire Act, specific provisions relating to tissues, keeping in view the characteristics of tissues different from organs, may be incorporated in this Act.

Full protection needs to be provided to the most vulnerable section of the society. Accordingly, exceptional circumstances necessitating organ donation by minor and mentally challenged persons need to be enumerated in the Act itself. There should be stringent vigilance against organ trafficking and severe punishment for illegal activities. Only law making is not sufficient and there should be sufficient and strict vigilance for implementation of this law. I welcome

the expansion of the definition of near relatives as well as the concept of swap donations with the approval of the appropriate authority.

We are concerned about too much involvement of the Central Government in deciding the composition of the Authorisation Committee. It should be entirely left to the discretion of the States/Union Territories.

There is need to cut down the time taken between the post-mortem and organ retrieval. Hence, there should be provision of post-mortem in the retrieval centre. So, different Ministries should be consulted to make it possible.

The trauma centres where large number of brain-dead patients come, may be utilized as centres of organ retrieval. We should also encourage cadaveric organ transplantation.

As there is lack of awareness regarding organ donation in our country, the Ministry may please undertake an intensive publicity through different forms and media. Knowledge of organ donation should be included in curriculum of schools and universities. Otherwise, supply of organ will always be lacking the demand.

With these words, I welcome this amendment Bill.

MR. CHAIRMAN : Since we have finish before 6 o'clock, I would request all other Members to be very brief.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, we are dealing with human organ transplantation and I understand your predicament.

This is an Amendment Bill which is getting support invariably cutting across party lines. But the basic problem is that organ transplant is an area fraught with individual inefficiency in our country. So much so that even when the Transplantation of Human Organs Act came into force in 1995, it proved ineffective either in coming down on the booming black market or in streamlining the process.

This new Bill addresses the scarcity of organs for transplant in imaginary ways. This Bill proposes not only the creation of a registry of those who have undergone transplant but also an ambitious nation-wide network that would incorporate transplant centres, retrieval centres and patients awaiting transplants. Much actually depends on the Government's commitment to follow through these proposals and on making it a viable, accessible data base that could make life easier for patients waiting for transplants of lungs, hearts, livers, pancreata and cornea.

The Central Government, specially the Ministry of Health, has for the first time initiated a procedure to harvest, if I may use that word, organs and reduce reliance on living donations through cadaver, or the dead human body organ donation programme through an e-network of all hospitals. In our country availability of medical transplants is lower than the requirement. For example, an estimated of 1.5 lakh people are diagnosed with kidney failure every year, while about two to four thousand transplants are carried out every year. Most donations also occur in a few States such as Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Delhi.

Sir, it was in 1994 that the Transplantation of Human Organ Act was initiated at the request of the States of Maharashtra, Himachal Pradesh and Goa and was subsequently adopted by all States except the States of Andhra Pradesh

and Jammu and Kashmir which have enacted their own Acts. Despite a regulatory framework, cases of commercial dealings in human organs were reported.

The key objective of this Bill is to strengthen provisions to curb commercial trade in human organs while facilitating organ transplantation for needy patients. Yet, it is not clear. I would like to get a response from the Government, how effective the measures would be in curbing such commercial trade? It is mentioned that both the donor and the recipient would be penalised if convicted of commercial trade in human organs. Penalising donors who may be forced to sell organs due to financial need may deter them from complaining against commercial trade. Organ donation from a person who is not 'near relative' requires permission of the State Authorisation Committee. Which is the State Authorisation Committee?

The Bill provides for establishment of an Advisory Committee. But it does not list its functions. What for have you an Advisory Committee if you do not specify its functions? In the Bill it is mentioned that Central Government and the State Government, as the case may be, by notification shall constitute an Advisory Committee for a period of two years to aid and advise the appropriate authority to discharge its functions. I would be happy if it is incorporated in the Bill.

Sir, I would insist that the definition of Tissue Bank should be included in the Bill. It would be small step that could be a game changer in the creation of a post of Transplant Co-ordinator. In this, the Government has followed the successful experiment in Tamil Nadu where the trained Transplant Co-ordinators counsels the relatives of a person, who is brain dead, is convinced of the need to gift organs and take them gently through a process. A country that often balks at the very suggestion of a cadaver donation needs a hand-holder like that.

Sir, health care is a fundamental right of every citizen of this country. Today when we compare the scene with the past, one can very well say that the rich have come to have better access to the latest medical care and the poor still continue to remain where they were nearly two decades ago in terms of access.

One is surprised no doubt to find a figure, though dubious, which states that over one lakh road accidents occur every year. Brain death is the irreversible end of all brain activities due to loss of blood flow. The patient is clinically dead. Through this Bill a record of such brain deaths can be kept while families will be encouraged to donate organs of the brain dead patients.

I am informed that the Planning Commission has already approved Rs. 15 crore for Model Organ Procurement and Distribution Organisation to be set up as a nodal agency to execute the task under the Directorate-General of Health Services of the Ministry of Health for which posts are being created.

I would look forward to a time when the practice of organ donation after death is harvested by offering a number of incentives and poor do not fall prey to clandestine organ trade cartel.

With these words, I support the Bill.


श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति जी, मानव अंग प्रत्यारोपण विधेयक 2009 के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा 2 को उद्धृत करना चाहता हूँ :-

“यह देखा गया है कि मानव अंगों के प्रतिरोपण के लिए विनियामक तंत्र स्थापित होने के बावजूद भारत में मानव अंगों के फल-फूल रहे व्यापार और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के पारिणामिक शोषण के बारे में मुद्रण और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्टों की बाढ़ आ गई है। इस प्रकार सभ्य समाज में यह धारणा व्याप्त हो रही है कि उक्त अधिनियम अंग प्रतिरोपण के वाणिज्यिक संव्यवहारों को रोकने में निष्प्रभावी रहा है और अंगसंदान के जटिल और लंबी प्रक्रियाओं के कारण वास्तविक मामलों को विफल किया है।”

मैंने यह इसलिए पढ़ा है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि सरकार इस विषय पर गंभीर है और सरकार इस संदर्भ में चिन्तित भी है।

सभापति महोदय, मानव अंगों का जो व्यापार हो रहा है, इसके लिए जब पहली बार 1994 में कानून बना, तब यह मांग महाराष्ट्र ने की थी। उस समय काफी आलोचना हुई थी। आज भी मानवीय अंगों के व्यापार की काफी आलोचना अखबारों में हो रही है और उसका सही कारण है पैट्रो डॉलर। आप यदि इसकी जाँच करें तो मुम्बई या देश के बड़े शहरों में आज भी मानवीय अंगों का व्यापार हो रहा है, आज भी अवैध तरीके से मानवीय अंगों का प्रत्यारोपण हो रहा है और सरकार इस बात से चिन्तित है। महाराष्ट्र के मिरज में और मुम्बई में इसके लिए खास अस्पताल खुले हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में इस प्रकार के अवैध प्रत्यारोपण, खास तौर पर किडनी प्रत्यारोपण वहाँ हो रहे हैं। जो किडनी बेचने वाले हैं, वे गरीब हैं। उसका मूल कारण है कि गरीबी है और बेरोज़गारी है। हमारी बढ़ती हुई आबादी के कारण जो बड़े शहरों में देश के विभिन्न भागों के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, गरीबी और बेरोज़गारी के कारण वे इस प्रकार के अवैध कारोबार में लिप्त हैं और अपने अंगों को बेचने पर मजबूर हैं। इसलिए सख्त और कड़े कानून की आवश्यकता है। इसलिए यह सुधार यहाँ लाया गया है, कानून कड़े किये गये हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन केवल कानून कड़े करने से हमारी समस्या हल नहीं होगी। इस कड़े कानून को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। जब हम इसे सख्ती से लागू करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो अवैध मानव-अंगों का व्यापार हो रहा है, उसे हम रोक सकते हैं। हमारे देश की इतनी आबादी है कि जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, उसके अनुसार जितनी मांग है उसके मुताबिक मानव अंग हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण कई गरीब ऐसे हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है और उनके नज़दीकी रिश्तेदार किडनी डोनेट भी

करना चाहते हैं, लेकिन प्रत्यारोपण का खर्च इतना महंगा है कि गरीबी के कारण वे कर नहीं पाते और केवल किडनी फेल होने से मृत्यु हो रही है, यह वास्तविकता आज भी है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे यहाँ प्रधान मंत्री राहत कोष है, इस प्रधान मंत्री राहत कोष से गरीबों को वित्तीय सहायता दी जाती है और उसका निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार का कोष हमारे आरोग्य मंत्रालय का भी बनाने की आवश्यकता है जिससे जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी आर्थिक सहायता की जा सके। हम कानून बना रहे हैं। कानून से हम अवैध प्रत्यारोपण को रोका जा सकता है। कानून से हम अंगों के व्यापार को रोक सकते हैं। लेकिन इस देश के गरीब, किसान और मज़दूर के लिए मानवीय अंगों की जो आवश्यकता है, उसे नज़दीकी रिश्तेदार देना भी चाहते हैं, लेकिन प्रत्यारोपण इतना महंगा हो चुका है कि वे उसे एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस प्रकार का राहत कोष आपको निश्चित रूप में स्थापित करें, जिससे आम आदमी, गरीब, बीपीएल के लोगों को राहत मिल सके। अंगों का प्रत्यारोपण जीवन दान है।  पीड़ित को जीवनदान देते हैं। इसलिए यह काम आपकी तरफ से किया जाए। मैं आपको इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें कड़े क़ानूनों को प्रपोज़ किया है, लेकिन इन सभी को लागू करने की आवश्यकता है। मैं इस विधेयक को लाने की आपकी मानसिकता की सराहना करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Hon'ble Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009. The transplantation of human organs is a medical marvel of the 20th century. It is noteworthy that the first kidney transplant in India was done in Mumbai at King Edward Hospital. Also, the second successful liver transplant in India was done at the Government Stanley Hospital, Chennai.

There are two types of transplants depending on the donor. One is taking the organ from live donor. For example, taking the kidney from the mother and transplanting into a child. The other is taking organ from a person who is brain dead and whose heart is beating. This is called Cadaveric Transplant and most of the donors are accident victims. To control the menace of paid live transplant, the Transplantation of Human Organ Act, 1994 was promulgated. Now, the new Amendment Bill is being introduced to overcome the deficiencies in the 1994 THO Act.

However, the original Act and the proposed Amendment Bill are not meeting the objectives. Why? It is well-known that many patients suffering from renal failure are poor and cannot afford transplantation. The Bill should have proposed a plan by which at least one medical college in every State should be supported to become a cadaver transplant centre so that the poorest of the poor will be able to undergo transplantation free of cost.

It is noteworthy that the AIADMK Government had established a Tamil Nadu Medical Services Corporation in the year 1994 which procures high quality drugs at an affordable cost. From 2002, the then AIADMK Government headed by our beloved Amma, hon. Chief Minister, J. Jayalalithaa, made free supply of costly immunosuppression medications like cyclosporine, tacrolimus and mycophenolate free of cost to all the economically weaker transplant patients irrespective of whether they have undergone transplantation in Government or in private hospitals. The goal should be to support all transplant recipients with

required drugs. When Tamil Nadu Government can supply free medicines, why not the rest of India?

The hon. Member has already mentioned about not having sufficient donors. My question is, why are we not having sufficient cadavers as donors? The most important reason is we do not have a good trauma care. To qualify as brain dead from whom organs can be harvested, the brain dead person should be on a ventilator. Now, where are the ventilators and the staff to man the ventilators? Provision of proper care in the golden first hour will save many accident victims. Incidentally, we will also get more cadavers, because of ventilator availability.

The Human Organ (Amendment) Bill in the present form fails to address the coordination to save trauma victims, which by itself will save many accident victims and incidentally also increase the supply of cadaveric donors. At present there is no law other than the THO Act to define brain death. As such the brain death is an incidental unfortunate occurrence in some trauma victims. Since brain death declaration is not clarified, many patients continue to be on ventilator. This will lead to private hospitals over charging brain death individuals by keeping them on ventilator. In public hospitals, ventilator service will be wasted on brain death individuals, who will never recover, instead of being used for more needy patients.

This amendment should have included the clause, that the certificate of brain death by the attending registered medical practitioner should be sufficient for ventilator disconnection, though not for organ transplantation. Whenever organ donation is planned, the brain death has to be certified mandatorily. ...

(Interruptions) If the hon. Chairman permits, I just want to go through the Act. ...

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Your time is over.

... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: I am above. When I am sitting here in the Chair, I cannot distinguish any Party.

... (*Interruptions*)

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): Whenever organ donation is planned, the brain death has to be certified mandatorily by two specialists under section 3 sub-section (6), clause (ii) and (iii) of THO Act, 1994. The drawback is that all the specialists should have been pre-approved by the appropriate authority. This is totally impractical. This should be amended to permit any doctor who is qualified in the speciality with a degree recognized by MCI in that speciality to certify brain death.

The THO Act, 1994 does not differentiate between hospitals doing transplants and hospitals who are not ready to do transplants but get many brain dead victims. For example, specialist trauma and neurosurgery hospitals which have all facilities for ventilatory care may not be interested in doing organ transplants.

The Act should specifically make a provision that any hospital with at least 25 beds with a good theatre should be automatically allowed without need for registration by the appropriate authority to retrieve the organs for transplant. This will avoid unnecessary transport of brain dead individuals to transplant approved hospitals solely for the purpose of organ retrieval.

Almost all brain dead donors are accident victims. The interface between an accident case, the transplant team, the police and the forensic expert is not defined at all in the Act. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

DR. P. VENUGOPAL : Even the Standing Committee has pointed out this lapse and advised the Ministry of Health to coordinate with the Ministry of Home Affairs. Sadly this has not been done. Unless this is clarified, it will become very difficult to do cadaver transplants. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

DR. P. VENUGOPAL : The Standing Committee has reported that Organ Retrieval Banking Organization (ORBO) formed to coordinate organ transplant

across India has been a failure. So, what do you do? Instead of disbanding ORBO, you create another agency in “National and Regional Network for Human Organs and Tissues” by allocating Rupees five crore. One has to realize the ORBO model is a bureaucratic top down approach and such efforts will not succeed. Instead a decentralized approach giving support to the State Governments to have their own cadaver distribution priority rules and coordination for organ transplant is need of the hour. ... (*Interruptions*)

Sir, please give me one minute more. This is very important. It is not realized by the framers that buildings are built from foundation and not from top floor. Once a network of cadaver distribution is in place in at least a few States, then and then only an apex national and regional distribution network can be thought of.

The Advisory Committee envisaged in the amendment Bill consists of

- a. Secretary to State Government
- b. Two Medical Expert
- c. One Joint Director of the Ministry of Health and Family Welfare (designated as Member Secretary)
- d. Two Social Workers and
- e. One legal expert. These are busy high level officials who often have no idea about transplants.

It is essential that a police officer of at least DIG rank, who will coordinate inquest, post mortem, etc. and transplant doctors, hospitals, coordinators and NGOs active in the field of transplant and others should be part of the Advisory Committee. ... (*Interruptions*) Also, the amendment does not talk about swap donation which is between two sets of willing but incompatible near relative donors.

Sir, before I conclude, this Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009 to the THO Act requires a thorough scrutiny and overhaul to achieve all the objectives.

SHRI PRATAP SINGH BAJWA (GURDASPUR): Sir, an hon. Member has already taken more than 15 minutes. A lot of other hon. Members have prepared their views on the Bill. So, I would request you to please extend the time of the House till all of them put their views. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He has already completed his speech. We are extending the time of the House.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति जी, एक बहुत ही आवश्यक कानून में संशोधन के लिए यह बिल सदन के पास आया है। सत्रह सालों के बाद इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह प्रश्न है। महोदय, जब अंगों का व्यापार हो रहा था तो उसे रेगुलेट करने के लिए, उसे हतोत्साहित करने के लिए वर्ष 1994 में एक कानून बना था।

18.00 hrs.

अब जो यह कानून इस सदन में बनने के लिए आया है, उसकी हमारी समझ में यही आवश्यकता है कि उसी मनुष्य को दान में अंग मिलेगा, जिसे इसकी आवश्यकता है। उसके साधन दो हैं - एक जो स्वयं जिन्दा है और प्रकृति ने जिनके पास अतिरिक्त अंग दिए हैं, अपने संबंधियों की जीवन रक्षा के लिए वे उसे दान करेंगे। दूसरा साधन यह है कि जब मनुष्य दुनिया में नहीं रहेगा, उसके बाद जो अंग प्रयोग में आ सकते हैं और जिनके लिए आवश्यकता है।... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Jagdanand Singh, just wait for a minute.

Hon. Members, now it is Six of the Clock. I have a list of seven more Members who are yet to speak on the subject. Therefore, if the House agrees, we can extend the time of the House for some more time till the discussion is over. Afterwards, we have to take up the 'Zero Hour.'

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: Thank you. The time of the House is extended for some more time.

Shri Jagdanand Singh, you can continue now.

श्री जगदानंद सिंह : सभापति महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि जिन्हें दुनिया में नहीं रहना है या नहीं रहेंगे, उनके अंग किसी के जीवन की रक्षा के लिए दान में दिए जा सकते हैं। आज जो इस देश में परिस्थिति है, उसमें अंगों के व्यापार हो रहे हैं, उसे रोकना आवश्यक है। भारत में यह व्यापार अपने एक बदनामी के स्तर पर जा चुका है। दुनिया से लोग यहां अंग प्रतिरोपण के लिए आ रहे हैं। बच्चों के अंग निकाले जा रहे हैं। अस्पतालों में जो अपनी दवा लेने के लिए जाते हैं, वहां पर डाक्टरों के द्वारा उनके अंग निकाले जा रहे हैं। इस देश में जितने लोगों की जीवन की रक्षा के लिए मानव अंगों की आवश्यकता है, उसकी तुलना में दानियों की बहुत कमी है। आज जब यह संशोधन आया है तो सरकार के पास विवशता है कि जितनी आवश्यकता है, उतने दानी मौजूद नहीं हैं तो क्या इससे दान बढ़ेगा, इसे प्रोत्साहन मिलेगा।

18.02 hrs

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

संबंधियों के जो विस्तार किए गए हैं, वे अपने आप में बहुत उत्तम काम है। निश्चित रूप से संबंधी अपने संबंधी को बचाना चाहता है, उसमें कहीं रोक नहीं होनी चाहिए। उसका विस्तार हुआ है, ग्रैंड फादर से लेकर ग्रैंड सन तक। चचेरे लोगों को भी निश्चित रूप से इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। स्वयं जिन्दा व्यक्ति को अपने अतिरिक्त अंग को अपने किसी संबंधी को बचाने के लिए देना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ, मानव अंग अब ज्यादा कहां मिलेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में ही दान कर दिए हैं, वे बहुत अच्छे लोग हैं। पांच लाख लोगों से अधिक लोगों की जीवन की रक्षा के लिए विभिन्न अंगों की आवश्यकता पड़ती है। 37 तरह के अंग ऐसे हैं, जिन्हें दान किया जा सकता है या मनुष्य के शरीर से निकाल कर दूसरे मनुष्य की रक्षा की जा सकती है। सबसे मूल प्रश्न है, जब व्यक्ति अपनी बीमारी की हालत में, दुर्घटना की हालत में आईएसयू में भर्ती होगा तो ऐसी अवस्था में निकट संबंधी से अनुमति लेकर डाक्टर उसके अंगों को निकाल सकता है, जब उसके जिन्दा रहने की कोई भी संभावना नहीं रहती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि निकट संबंधी की व्याख्या को कायदे से किया जाए। यदि पति हो तो पहले उसकी पत्नी की प्राथमिकता मिलनी चाहिए और यदि पुत्र हो तो पिता से सहमति लेनी चाहिए। यदि निकट संबंधी को बहुत व्यापक परिभाषा में जोड़ा जाएगा तो जहां मनुष्य अपनी जीवन की रक्षा के लिए जाता है, वहां किसी दूसरे की निगाह पड़ जाएगी, किसी के अंग पर मेरे जीवन की रक्षा हो सकती है, वहां जिन्दगी बचाने के बदले में जिन्दगी चली जाएगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि गरीब लोगों के अंगों का प्रत्यापन नहीं हो पा रहा है, उनके निकट संबंधी देना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से बहुत अदब के साथ आग्रह करना चाहता हूँ कि भारत की सरकार उस जिम्मेवारी को ले, जब वे अपने निकट संबंधी को बचाने के लिए अपने किसी अंग का दान करना चाहते हैं तो भारत सरकार का सहयोग उसमें होना चाहिए। यदि भारत सरकार ईमानदारी से इस सहयोग में आगे बढ़ती है तो इस कानून का बहुत व्यापक असर होगा, अन्यथा यदि केवल अंगों के व्यापार के रोकने पर व्यापार बढ़ेगा, व्यापार की सुविधाएं बढ़ेंगी, उसके लिए रास्ते खुलेंगे।



उसका विस्तार होगा तो यह व्यापार बढ़ाने के लिए शायद इस कानून में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि खरीदने वाले और बेचने वाले, दोनों के दण्ड एक क्यों हैं? अगर दोनों का दण्ड एक होगा तो कभी भी जिसने अपनी गरीबी, मुश्किलात में अपने किसी अंग को बेच डाला हो, कभी भी खड़े होकर नहीं कह पाएगा कि हमने खरीदने वाले को अंग बेचा है। निश्चित रूप से खरीदने वाले का दोष सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वह धनाढ्य होता है और वह गरीबों तक पहुंच जाता है। जो अमीर उसके शरीर का, श्रम का उपयोग करता है, अब उसके शरीर के अंगों का भी उपयोग करने का प्रयास कर सकता है। इसे निश्चित रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। जेल की सजा लम्बी अवधि की होनी चाहिए। एक धनाढ्य को, जो अंगों को खरीदता है, लम्बी सजा होनी चाहिए। उस पर मोनीटरी फाइन भी करना चाहिए, जो अंगों को खरीदता है।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इस मुल्क में कभी किसी अमीर ने किसी गरीब को अपना अंग दान किया है, कभी सरकार ने ऐसे दान का विश्लेषण कराया है, जहां करोड़पति गांव में रहने वाले किसी मजदूर को अपना अंग दान कर दे, शायद यह कभी एक उदाहरण ही मिलेगा, लेकिन अंगों का प्रतिरोपण हो रहा है। अभी जो गरीब हैं, उनके अंग बिक रहे हैं, वे अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, इसलिए महोदय, मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। जब माननीय मंत्री जी इस संशोधन को लाये हैं और इसमें ईमानदारी है तो गरीबों के सम्बन्धियों के प्रत्यारोपण में भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी ले और जो अस्पताल में खर्चे आते हैं, उनको वहन करे, अन्यथा उनके अंग बिकेंगे। अगर अंगों की बिक्री को रोकना चाहते हैं, मानव अंग की बिक्री से दुनिया में कोई भी कुत्सित कार्य नहीं हो सकता तो निश्चित रूप से खरीदने वालों के दण्ड की व्यवस्था बड़ी होनी चाहिए। मजबूरी में अपने किसी परिवार, किसी सम्बन्धी, किसी अन्य कामों के लिए किसी का अंग बिक जाता हो तो वह कम से कम कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा, यदि दण्ड की व्यवस्था 10 सालों की जेल की होगी और 10 लाख रुपये के फाइन की होगी। इसलिए फाइन की व्यवस्था में यदि परिवर्तन नहीं हुआ तो गरीबों के अंग बिक जाएंगे और यह कानून जो रैगुलेट करने के लिए आया है, उसका मकसद पूरा नहीं होगा। ईमान और अंग का व्यापार इस देश में रोका जाये।

मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से दो कारणों से आई.सी.यू. में सहमति के नाम पर और दण्ड की व्यवस्था को बढ़ाकर मानव अंग की बिक्री की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। जो हमारा अंग प्रतिरोपण, 2009 का विधेयक आया है, मैं उसे पवित्र मानता हूँ, इस पर अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ, लेकिन जहां खतरे हैं, उसके प्रति मैंने सावधान किया है। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि उस सावधानी को बरतें,

वरना व्यापार बढ़ेगा, दान घटेगा और गरीब के अंग बिकते चले जाएंगे और जो इस विधेयक का मूल उद्देश्य है, वह समाप्त हो जायेगा।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, Sir, I support the Transplantation of Human Organs (Anendment) Bill, 2009.

Sir, it is revealed that the availability of medical transplants is lower than the requirement. So there is a mismatch between the demand and supply. It is estimated that nearly 1.5 lakh people are diagnosed with kidney failure every year while only about 2,000 to 4,000 kidney transplants are carried out every year. There are many complaints and it is revealed that a commercial trade in human organs is going on. In this situation, this sort of a Bill is a welcome step. This Bill seeks to amend the Transplantation of Human Organs Act, 1994 which regulates removal, storage and transplantation of human organs. In addition to human organs, the Bill seeks to regulate transplantation of tissues of the human body.

The Act permits donation from living persons who are near relatives and it extends the definition of near relatives to include grand parents, grand children, in addition to parents, children, brothers, sisters and spouses. So, it is welcome. The Bill enhances the penalty for unauthorised removal of human organs and for receiving and making payment for human organs. All these are welcome.

But I would like to seek some clarifications and explanation from the hon. Minister in this regard. Firstly, the Bill seeks to strengthen provisions to curb commercial trade in human organs while facilitating organ transplantation for needy patients. It is not clear how effective such measures would be in curbing the commercial trade. How has it been done? It is not clear. The hon. Minister may kindly clear this aspect.

Secondly, both the donor and the recipient shall be penalised if convicted of commercial trade in human organs. Penalising donors who may be forced to sell organs due to financial needs may deter them from complaining against commercial trades. So, how would the hon. Minister address this problem?

Thirdly, the organ donation from a person who is not a near relative requires permission of the State Authorisation Committee. It is not clear which State Authorisation Committee will have this jurisdiction if the donor or recipient

belong to different States. Who is the authority? It is under whose jurisdiction? It is not possible that the donor and the recipient belong to the same State. So, if they belong to different States, then who will be the authority; under whose jurisdiction it will come?

The Bill provides establishment of Advisory Committees. What would be the function of the Advisory Committees? So, I think, the hon. Minister, while replying to this debate, may kindly clear all these things and I seek clarifications in this regard.

I also want to say that due to this commercial trade in human organs, in most cases, the unemployed youth and poor people are the victims. So, how would he address this problem? This is the main thing.

Lastly, I want to say that in case of the transplantation of the human organs of the poor people, the economically weaker sections of the society, the Government should, at least, provide some sort of financial assistance or make a provision so that this can be carried out with moderate charges to help the poor people, the weaker sections of the society.

With these words, I support this Bill.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, we will wind up the discussion and we will continue it tomorrow. Now the House shall take up 'Zero Hour'.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आजादी के छः दशक बाद भी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अफसरों के साथ जो दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है, वह अत्यंत चिंताजनक है। भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारी और सिविल सेवाओं के अधिकारी, इन दोनों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। संघ लोक सेवा जब उनका चयन करता है, तो इन दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बराबर रहती है। लेकिन भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी जो अपनी ट्रेनिंग के लिए आईएमए, आर्मी के लोग आईएमए में, नेवी के लोग नेवल अकादमी कोझीकोड में और एयरफोर्स के लोग एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में जाते हैं। उनको पहले दिन से वेतन नहीं दिया जाता है, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा और अन्य सेवाओं के अधिकारियों के उनके प्रशिक्षण के पहले दिन से ही वेतन दिया जाता है।

यह परिपाटी अंग्रेजों के समय से चली आ रही है और यह अब तक चल रही है। यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अधिकारी प्रशिक्षण के दौरान हर वर्ष कम से कम दस-बारह लोग बोर्ड आउट किए जाते हैं। वे विकलांग हो जाते हैं। उनकी विकलांगता के कारण उनको बाहर किया जाता है। उस दशा में उनको पहले दिन से वेतन न मिलने के कारण अपनी आजीविका के लिए कहीं और आश्रय ढूंढना पड़ता है। इसलिए पहले दिन से, मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, और आप के माध्यम से सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारियों के साथ जो विसंगति की जा रही है, उनको अभी चार-पांच वर्ष से स्टाइपेन्ड दिया जा रहा है उसके पहले उन्हें वह भी नहीं मिल रहा था। प्रशिक्षण के दौरान उनको पहले दिन से जैसा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा के और अन्य सेवाओं के लोगों को पहले दिन से वेतन दिया जाता है वैसा ही वेतन देने का प्रावधान भारतीय सशस्त्र सेना के अधिकारियों के साथ भी किया जाए। आज भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी है। करीब 15 हजार ऑफिसर कम हैं। इसके कारण जो दूसरा दुष्परिणाम सामने आता है वह यह है कि भारतीय सशस्त्र सेना के ऑफिसर ट्रेनिंग के बाद, एक साथ ट्रेनिंग शुरू होती है और एक ही समय दो अलग-अलग अकादमी में, तो भारतीय सशस्त्र सेना के ऑफिसर ट्रेनिंग के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से एक साल जुनियर हो जाते हैं। इस विसंगति को दूर किया जाना आवश्यक है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए इस विसंगति को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): धन्यवाद सभापति महोदय, आजकल दिल्ली के पीने के पानी में पाइप लाइन से सीवर का पानी मिक्स हो कर आ रहा है। यह बात दिल्ली नगर निगम के सर्वे में सामने आई है। यह सीवर का पानी दिल्ली के लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। एक तरफ लोग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, पीलिया, टायफायड जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ पीने का पानी ही दूषित हो कर मिल रहा है। इन बीमारियों को काबू करने का विभागीय दावा सिर्फ खोखला दावा है। दिल्ली में पानी की कई लाइनें 70-70 साल पुरानी हैं। उनमें से 23 लाइनों में लिकेज पाया गया है। जिससे कई इलाकों में सिवेज और पीने के पानी की लाइन मिल चुकी है जिससे पीने का पानी दूषित हो कर घरों में पहुंच रहा है। दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गंदा पानी पीने की वजह से डायरिया, हेपेटाइटिस, कॉलरा और टायफायड जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। दूषित पानी को रोकने और जनता को बीमारियों से बचाने के लिए सख्त उपाय करना चाहिए। यह मेरी जनहित में पुरजोर मांग है।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल, अपने आप को श्री हर्षवर्द्धन जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for permitting me to bring an important public issue pertaining to my home town to the notice of the hon. Minister of Road Transport and Highways.

Salem is one of the fast developing two-tier cities in Tamil Nadu. Three major National Highways, namely, NH 7, NH 47, and NH 68 pass through the city. These three National Highways carry heavy traffic and the existing roads passing through Salem are heavily congested. These three National Highways bisect Salem city at more than 12 important points and also in number of places feeder roads are cutting.

In order to ease the traffic congestion on the NH 7 connecting NH 47 and NH 68, a proposal to construct an elevated express carriageway, that is flyover bridge, is under consideration. The elevation starts from km. 196 on the NH 7 and ends at km. 207.6 at the intersection of NH 68 with an exist at km. 204.5 to connect NH 47, which has an existing flyover on NH 47. This will provide smooth flow of traffic on the NH 7, NH 47 and NH 68.

So, considering the importance of the proposal, the Ministry may be pleased to expedite the said proposal to sanction the same at the earliest.

Thank you, Mr. Chairman, Sir, for having given me this opportunity.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): सभापति महोदय, मैं एनर्जी ड्रिंक और स्वास्थ्य के बारे में सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि देश में एनर्जी ड्रिंक से सेहत पर जो परिणाम हो रहे हैं, उन पर अंकुश लगाना आवश्यक हो गया है। हमारे देश में विदेशी नकल के आधार पर किसी भी उत्पाद का बड़े से बड़ा बाजार बन जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं जिनमें प्रमुख कारण हमारी युवा जनसंख्या है। इस कारण दुनिया के तमाम उत्पादकों की नजर भारत पर होती है। आकर्षक विज्ञापनों तथा कुशल मार्किटिंग के जरिए एनर्जी ड्रिंक हमारे युवाओं का पसंदिदा पेय बन गया है। इस पेय को अपनाने का एक और भी कारण है। इनके निर्माताओं का दावा है कि इस ड्रिंक को पीने से आदमी तरोताजा हो जाता है। आज एक आकलन के अनुसार एनर्जी ड्रिंक का बाजार लगभग तीन सौ करोड़ रुपये के आसपास का है और यह तेजी से बढ़ रहा है।

इस एनर्जी ड्रिंक ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या वास्तव में यह पेय स्वास्थ्यवर्धक है? क्या इसके कोई साइड इफ़ैक्ट्स नहीं हैं? विश्व में एनर्जी ड्रिंक को लेकर कई अध्ययन हुए हैं। अधिकतर अध्ययनों से यह पता चला है कि एनर्जी ड्रिंक स्वास्थ्यवर्धक नहीं हैं। वास्तव में इस ड्रिंक में कैफिन का उपयोग किया जाता है जिसका अति सेवन हानिकारक है। इस ड्रिंक में कितने प्रतिशत कैफिन होनी चाहिए, इस पर भी मतभेद है। अध्ययन से पता चला है कि एक लीटर एनर्जी ड्रिंक में 320 मिलिग्राम तक कैफिन होता है। कैफिन का इन पेयों में ज्यादा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कैफिन उत्तेजना पैदा करता है। कैफिन का लगातार सेवन करना जानलेवा भी हो सकता है और इसके चलते ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। कुछ ड्रिंक्स में ज्यादा चीनी उपयोग करने के कारण डीहाइड्रेशन की शिकायतें आई हैं। इसी के मद्देनजर दुनिया के कई देशों में एनर्जी ड्रिंक पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने जरूर कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह एनर्जी ड्रिंक से होने वाले परिणामों को गंभीरता से ले और इनके उत्पादों पर सख्त मापदंड लगाए।

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं जलगांव संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र में धरणगाव, अमलनेर, पाचोरा और चालीसगाव से बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं लेकिन वहां स्टापेज न होने के कारण हमें उनका

कुछ लाभ नहीं मिलता। वहां स्टापेज के बारे में कई सालों से मांग चल रही है। लेकिन रेलवे की ओर से हमें अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। विगत चार महीने पहले, अप्रैल में जलगांव स्टेशन पर सचकन एक्सप्रेस और गीतांजलि एक्सप्रेस के लिए चार-पांच महीने से स्टॉप मिला हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने जलगांव स्टेशन के लिए दो स्टॉप दिए हैं। इस वजह से संसदीय क्षेत्र से सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन आज संसदीय क्षेत्र के लोग जब टिकट लेने जाते हैं तो उन्हें सितम्बर महीने का टिकट भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सितम्बर महीने से वह स्टॉप शुरू नहीं होगा। अगर यह स्टॉप कंटीन्यू नहीं किया गया तो संसदीय क्षेत्र के सब लोगों को बहुत निराशा होगी। इस कारण जिले में रेलवे के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है जिससे रेल खाते और सरकार को बहुत भारी नुकसान होगा। इसलिए मैं आपके जरिए मांग करता हूं कि जो दिए हुए स्टॉप हैं, उन्हें कंटीन्यू किया जाए और संसदीय क्षेत्र की मांगों को पूरा किया जाए।

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, in Tamil Nadu there is only one Regional Office of ESI and four Sub-Regional Offices at Coimbatore, Madurai, Salem and Tirunelveli. My parliamentary constituency, Tiruchirappalli is surrounded by nine districts namely, Dindigul, Pudukottai, Karur, Thanjavur, Nagapattinam, Tiruvarur, Perambalur and Ariyalur. There are 24 ESI Dispensaries functioning in the abovementioned districts.

There are a huge number of ESI beneficiaries in those districts, and there is an urgent need for setting up one Sub-Regional Office of ESI at Tiruchirappalli to cater to their needs. Now, one Branch Office of ESI is functioning in Tiruchirappalli. There is a long pending demand from the people of Tiruchirappalli for upgradation of the Branch Office of ESI into Sub-Regional Office to facilitate those ESI functionaries.

I would, on behalf of the people, request the Government to consider this long pending demand and to upgrade the Branch Office of ESI at Tiruchirappalli as Sub-Regional Office.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, मैं इस सदन में एक बहुत तकलीफ भरा मुद्दा उठाना चाहता हूं। हमारे बुजुर्ग, विडो या हैंडीकैप्ड लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने पेंशन देने का प्रोविजन रखा है। जो लोग नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट के बाद रेशियो के अनुसार किसी को 10

हजार रुपये, किसी को 20 हजार रुपये और किसी को 40 हजार रुपये मिलते हैं। जो आदमी जवानी में मजदूरी करता रहा, गुस्बत में जीता रहा और अपनी ताकत, सेहत से काम करता रहा, जब वह आदमी बुजुर्ग हो गया, तो उसके लिए आपने 200 रुपये पेंशन रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 200 रुपयों से क्या उसकी खुराक चल सकती है? जब उसे दवाई की जरूरत हो, तो क्या वह उससे दवाई ले सकता है? इससे उसे पूरा खाना नहीं मिल सकता. कपड़े भी नहीं मिल सकते। मैं कहना चाहता हूं कि उस बुजुर्ग के साथ यह बहुत बड़ा जुल्म है।

सभापति महोदय, मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बुजुर्गों के साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट किया जाये और उनको मिनिमम पर-डे सौ रुपये मिलने चाहिए। यह पर मंथ 3000 रुपये बनता है। वह बुजुर्ग जवानी में अपने घर में बहुत शान से रहता था, लेकिन बुढ़ापे में उसका कोई सहारा नहीं रहा। उसके बच्चे भी उसे छोड़ देते हैं। सब माननीय सांसदों ने उस जगह पहुंचना है और कई पहुंचे हुए हैं। उनको कोई नहीं पूछता। इन लोगों की तो पेंशन लगनी है, लेकिन जिनकी पेंशन नहीं है, उनका क्या होगा? जिन लोगों को पेंशन मिलती है, चाहे वे अमीर फैमिली के ही क्यों न हों, उनके बच्चे भी उन्हें नहीं पूछते। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इन बुजुर्गों को जो पेंशन दी जाती है, वह कम से कम 3000 रुपये-पर-मंथ मिलनी चाहिए। बुजुर्ग, विडो और हैंडीकैप्ड, इन तीनों का खास ध्यान रखने की जरूरत है।

SHRI PRABODH PANDA : Sir, I would like to draw your attention and also the attention of the Union Government to a very important matter of public importance.

Sir, across the country the farmers are agitating against the forcible land acquisitions. In several places – whether in Jagatsinghpur district, Orissa or in Jaitapur, Maharashtra or in NOIDA, Uttar Pradesh or in other places – the farmers are coming on the streets, and the Governments are patronizing the corporate sector and other sectors. Even the Government itself is going against the farmers. *Lathi* charge is going on. Even in Pune, Maharashtra, Police opened firing and three persons were killed. *Lathi* charge is going on in different places of Uttar Pradesh.

Sir, on the one hand, the Union Governemnt has released the new Draft Bill, namely, the Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Bill and put it in



the public domain for discussion and on the other hand, the forceful occupation and eviction of land is going on. So, this double role is being played by both the Union Government and the State Governments across the country.

Therefore, I would urge upon the Government to please stop this kind of playing the double role. The new Draft Bill is already in the public domain and under discussion. In this new Draft Bill, it is already there that the land will not be transferred until the rehabilitation and resettlement is completed. So, please stop the forcible land acquisition process. Do not attack the farmers. Stop the land acquisition process till the disposal of this sort of legislation. This is not a simple thing.

I hope the Government of the day will read what is written on the wall; and will see the mood of the farmers across the country.

I would, therefore, earnestly request the Union Government to instruct all the State Governments and all concerned to immediately stop the land acquisition process till this sort of newly Draft Bill gets disposed of.

डॉ. संजीव गणेश नाईक (टाणे): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आपने अखबारों में पढ़ा होगा और टीवी पर भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले मुंबई के नजदीक एमवी रैक नामक एक जहाज डूब गयी। उसके डूबने से समुद्र में करीब 60,000 टन से ज्यादा कोयला और 350 टन से ज्यादा ऑयल आ चुका है। इसकी वजह से गुजरात से लेकर से गोवा तक, चेयरमैन साहब, आपकी कांस्टीट्यूंसी तक, यह ऑयल समुद्र में फैल चुका है। अलग-अलग जगहों पर उसके सैम्पल भी कलेक्ट किए गए हैं। दो दिन पहले मैंने पर्यावरण मंत्री जी का बयान सुना कि इसके बारे में जांच चालू है। मैं विनती करूंगा कि पिछले साल इस दरम्यान इस प्रकार का हादसा हुआ था, उसके बारे में शासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस साल भी इस तरह का हादसा हुआ है। वहां लाखों मछुआरे हैं जो समुद्र में जाते हैं। इन दिनों में खासकर मछलियों के अण्डे समुद्र के किनारे डाले जाते हैं। हमें डर है इस बात की हजारों-लाखों की तादाद मछलियां मर सकती हैं। मैं सरकार से विनती करूंगा कि पिछले साल में श्री जयराम रमेश जी ने खुद सदन में अपनी बात कही थी, मैं इस बार भी चाहता हूँ कि सदन में पर्यावरण मंत्री जी अपना बयान रखें।

श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में ब्रिटेन में हो रहे दंगों पर चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। आज सुबह ही अखबारों में मैंने यह पढ़ा कि ब्रिटेन में तीन एशियाई मूल के लोगों को कार से कुचलकर मारा गया। इन वारदातों से, इन दंगों में भारतीय लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी भारत सरकार की तरफ से सुनिश्चित हो, यह मैं आपके माध्यम से सदन में अपील करना चाहता हूँ। आज ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, वह संस्कृति परिवर्तन की जो चर्चा सुबह हो रही थी, उसी दिशा में पूरे विश्व के लिए बड़ी चिंताजनक चीज के रूप में उभर कर आई है। मैं कोट करना चाहता हूँ।

The British Prime Minister says: “The rioting that has gripped the country for much of the past week is not about politics or protest, but is the result of a culture that ‘glorifies violence.’”

हम लोग महात्मा गांधी जी के देश के लोग हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा का रास्ता दिखाया था। मैं पूरे विश्व को यह कहना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए अहिंसा के रास्ते पर चलकर सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, ग्लोरिफाइड वायलेंस का दौर हमारे खुद के देश ने भी देखा है और उसका परिणाम भी भुगता है। लेकिन आने वाली पीढ़ी वह न भुगते इसलिए मैं सदन को यह बात अवगत कराना चाहता हूँ।




श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश देश का एक बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। खरीफ की फसल के समय राज्य सरकार ने रासायनिक खाद की मांग केन्द्र से की थी और उसका 40 प्रतिशत से भी कम हिस्सा हमें दिया गया। इस साल मध्य प्रदेश में बारिश भी काफी अच्छी हुई है और रबी की फसल बोने का रकबा भी बढ़ेगा। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से यूरिया, डीएपी और एनकेपी खाद की पर्याप्त मात्रा में मांग की है। हमारे मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने मंत्री जी से मुलाकात की थी और हमने भी मुलाकात की थी। मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि वह प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति करेंगे। लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। केन्द्र सरकार लगातार कह रही है कि मध्य प्रदेश खाद का आयात करे। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है और वहां आसपास कोई बंदरगाह नहीं है। जब हम खाद का आयात करेंगे तो वह इतनी महंगी कीमत पर मिलेगी कि हम किसानों को सस्ते दर पर नहीं दे पाएंगे। वैसे ही किसान परेशान हैं, क्योंकि वैसे भी खादों के दाम काफी बढ़े हुए हैं। जो राज्य कृषि कार्यों में अच्छा काम कर रहा है, स्वयं मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मध्य प्रदेश कृषि उत्पादक राज्य है। पिछले दिनों वहां उत्पादन भी

बढ़ा है और खाद की वहां खपत भी काफी हुई है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि मध्य प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति की जाए, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

MR. CHAIRMAN : You can send your slips.

Shri Rakesh Singh, Shri Gobind Prasad Mishra, Shri Ravindra Kumar Pandey and Shri Arjun Ram Meghwal are also allowed to associate with the matter raised by Shri Ganesh Singh.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत सरकार के संज्ञान में एक लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ। जब हम सांसद अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो कोई 100 लोग मिलने आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के सांसदों से 80 प्रतिशत लोग बिजली की मांग करते हैं। भारत सरकार ने 2005 में गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना प्रारम्भ की थी। इस योजना के तहत विभिन्न प्रदेशों में 100 से अधिक आबादी वाले गांवों और मजरों को स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश में 2004 में कई गांव और मजरे मुख्य योजना में शामिल किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की स्वीकृत योजना के अनुसार 100 से अधिक आबादी वाले 1,38,373 मजरों को विद्युतीकरण करने हेतु 12,367 करोड़ रुपए की योजना केन्द्र को भेजी थी। केवल रायबरेली और सुल्तानपुर के लिए 453 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, शेष आज तक बाकी है। भारत सरकार यह कह रही है कि 300 से अधिक आबादी पर योजना मांगी गई है प्रांतों से। केन्द्र सरकार ने 2012 तक प्रत्येक घर को बिजली देने की घोषणा की थी। लेकिन जब योजना ही स्वीकृत नहीं होगी तो विद्युतीकरण का काम कैसे पूरा होगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मजरों के विद्युतीकरण की योजना केन्द्र में जो लम्बित है, उसके लिए तत्काल राशि स्वीकृत की जाए ताकि हम लोग जो अपने पिछड़े इलाकों से जीतकर आए हैं, वहां के लोगों की बिजली की मांग पूरी कर सकें, जो देश की मूलभूत आवश्यकता है।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्रालय के एक बड़े गंभीर मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कश्मीर के कुपवाड़ा में सीमापार से आतंकवादियों को घुसपैठ से रोकने का काम हिंदुस्तान की सेना कर रही थी। 19 राजपूत रेजिमेंट के दो जवानों, हवलदार जयपाल सिंह, अधिकारी व लाइंस नायक देवेन्द्र सिंह का पाकिस्तान के आतंकवादियों ने सर कलम करके ट्रॉफी की तरह, भयानक तरीके से पाकिस्तान में ले जाकर घुमाते रहे। इससे  दर्दनाक घटना यह रही कि भारतीय सेना के इन जवानों का शव उनके परिजनों को न सौंपकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। ये सारी घटनाएं उस समय हो रही थी जब पाक विदेश मंत्री हिना रब्बानी के साथ भारतीय सरकार शांति वार्ता कर रही थी। पाकिस्तान का हाथ हमारे शहर के कई बम धमाकों में रहा है और मुम्बई

शहर को इन्होंने ज्यादा निशाना बनाया है। क्या यह उचित है कि पाक के साथ बार-बार शांति वार्ता रखी जाए। अमरीका और चीन ने ऐसी घटनाएं होने पर हमेशा गंभीरता दिखाई है और पाक सरकार को ये देश सबक सिखाते रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता पर पुनः विचार न करें और अपने देश की सेना और जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायी रहें और इस घटना को गंभीरता से लेकर पाकिस्तान को करारा झटका दें और उन जवानों का बदला लें।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि झारखंड राज्य में ओबीसी के तहत 12 उपजातियां आज की तारीख में हैं। पिछली बार भी हमने इस बात को उठाया था और इस बार भी यह बात रखने का आपके आदेशानुसार मौका मिला है। इसमें वैश्य, यादव, मेरा-मल्लाह-कुशवाहा आदि जातियां झारखंड में ओबीसी में आती हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्हें पिछड़े वर्ग से हटा दिया गया है। इसकी जानकारी तब मिली जब एक बच्ची हमारे क्षेत्र से बैंक की परीक्षा देने यहां आयी। उसका लिस्ट में नाम था, ओबीसी में उसका फार्म भरा गया था लेकिन यहां कहा गया कि यह बर्नवाल परिवार जो वैश्य परिवार है, यह ओबीसी में नहीं आता है। यहां जंतर-मंतर पर भी लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से भी यहां पर रिक्मेंडेशन आया है। हमारा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि इन जातियों को भारत सरकार उपजातियों में शामिल करे।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति महोदय जी, आजकल सरकार की नौकरियों में ओबीसी और एससीएसटी के आरक्षण में जो भेदभाव किया जा रहा है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। आज नौकरियों में जो संवैधानिक अधिकार मिला है, उसके साथ साजिश और भेदभाव किया जा रहा है। नौकरियों में नियुक्ति से लेकर प्रमोशन तक में साजिश की जा रही है जिससे प्रमोशन में अवरोध पैदा हो। अभी दिल्ली के एम्स में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की जा रही है।

अगस्त 2011 सेशन में बीएससी और एमएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए छपे प्रारूपेक्टस में लिखा था कि एससी के लिए 15 परसेंट और एसटी के लिए साढ़े सात परसेंट सीटें आरक्षित होंगी, लेकिन सीटों के बंटवारे का जो टेबल दिखाया गया है, इसमें इस नियम को दरकिनार कर दिया गया है। एम्स ने अपने प्रारूपेक्टस में लिखा है कि एमएससी नर्सिंग में 18 सीटें हैं। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसी तरह से बीएससी नर्सिंग आनर्स की कुल सीटों की संख्या 60 है, इसमें केवल 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं, जो कि आरक्षित सीटों से बहुत ही कम हैं।

सभापति महोदय, मेरी मांग और अनुरोध है कि सरकार एम्स सहित केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों, उपक्रमों, चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थाओं आरक्षण के अनुरूप सीटों को भरने के लिए

कार्यवाही करे। मैं आपसे चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री रावत जी सदन में मौजूद हैं, इस बारे में जरूर आश्वासन दें कि आने वाले दिनों में ऐसा भारत सरकार की नौकरियों में नहीं होगा।

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): In Karnataka, Hubli-Dharwad is the second largest city after Bangalore. It is also the educational hub of Karnataka. There is one small airport there and that airport is operating only small aircraft. In this context, I approached the Airports Authority of India and requested them to upgrade and expand the airport. They said that if the State Government gives the land of around 500 acres free of cost, they are ready to upgrade and expand it. The State Government has acquired around 500 acres of land at a cost of around Rs.350 crore and is ready to hand it over to the Airports Authority of India. Many times we have requested the Airports Authority of India to take over the land and develop the airport. But, unfortunately it is not being done. They are not taking possession of the land and upgrading the airport.

Recently, machinery for Instrumental Landing System, DOR, has come to Hubli. For the installation of this machinery, civil work is being done. But, after construction of all the buildings and other things for the installation of the machinery, the Airport Authority of India in Delhi is asking them to shift it to some other city for some other airport.

Hence, through you, I urge the Central Government and the Airports Authority of India firstly to take possession of the land for Hubli airport immediately, upgrade it and secondly not to shift the Instrumental Landing System machinery, which have arrived at Hubli and are ready for installation.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज लगभग पूरा विश्व बेरोजगारी और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। एक तरफ जहाँ पूरे विश्व में आबादी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ चाहे कृषि का क्षेत्र हो या औद्योगीकरण हो, रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि रोजगार के अवसर भी मिलें और देश में समृद्धि भी आए। पर्यटन इस समय एक ऐसे विषय के रूप में सामने आ रहा है, जहाँ समृद्धि के साथ-साथ रोजगार भी लोगों को बड़ी संख्या में मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे देश में पर्यटन को ले कर असीम सम्भावनाएँ हैं। मैं मध्य प्रदेश से चुन कर आता हूँ। मध्य प्रदेश का जबलपुर जहाँ पर मार्बल राक्स हैं, जहाँ विश्व एकमात्र प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानें यहाँ मिलती हैं। बहुत ही दर्शनीय ऐतिहासिक स्थल है। इसके आस-पास कान्हा, बांधवगढ़, अमरकंटक, चित्रकूट आदि कई स्थान हैं और इन सबका केन्द्र जबलपुर है। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल भी वहीं पर है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे आग्रह पर मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए एक प्रस्ताव बना कर केन्द्र सरकार के पास भेजा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही उसे स्वीकृति प्रदान करें, ताकि ऐसे पर्यटन क्षेत्रों का विकास हो, उनका उन्नयन हो, जिससे कि उस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के साथ-साथ समृद्धि के अवसर भी मिलें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए अपना बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गणेश सिंह : महोदय, मैं अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र (सीधी): महोदय, एनएच-7 जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि नेशनल हाईवे पर सिवनी के पास, जबलपुर के पास, कटनी के पास, रीवा के पास देखें, आज वह सड़क चलने लायक नहीं है।

आज तो टी.वी. पर भी दिखा रहे थे कि वहाँ सड़कों में इतने बड़े गड्ढे हो गये हैं कि क्या ट्रक, क्या बसें क्योंकि छोटी गाड़ियाँ तो उनमें घुस जाती हैं। मैं आपके माध्यम से नेशनल हाईवेज के जो मंत्री हैं, उनसे और केन्द्र सरकार से अनुरोध करूँगा कि आज एनएच-7 जो आवागमन का एकमात्र साधन है और जो मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश को और महाराष्ट्र को, चूंकि सीधे वह सड़क कर्नाटक से होकर कन्याकुमारी तक जाती है, इतनी महत्वपूर्ण सड़क है लेकिन केन्द्र सरकार की लापरवाही और अनदेखी के कारण आवागमन सम्बद्ध होने की स्थिति में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस समय जो सड़क चलने लायक नहीं है, उसकी तुरंत मरम्मत करके उसको चलने लायक बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदय, मैं गोविन्द प्रसाद मिश्र द्वारा उठाये गये विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 12th August, 2011 at 11 a.m.

18.51 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 12, 2011 / Sravana 21, 1933 (Saka).